VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

मार्च - 2018

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान **5**

1.1 विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा 5

1.2 आकांक्षी जिलों का बदलाव 6

1.3 अरुणाचल की द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 7

1.4 पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं 7

1.5 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 8

1.6 एनुअल सर्वे ऑफ़ इंडियाज सिटी-सिस्टम्स (ASICS), 2017 9

1.7 ई-ऑफिस 9

1.8 उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 10

1.9 प्रसार भारती 10

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध **12**

2.1 भारत-फ्रांस संबंध 12

2.2. भारत-जर्मनी संबंध 13

2.3.भारत-वियतनाम 14

2.4. भारत-जॉर्डन 15

2.5. भारत अफ्रीका विकास पहलें 16

2.6. भारत अमेरिका सौर विवाद 18

2.7. स्टील एवं एल्युमिनियम पर अमेरिकी आयात ड्यूटी में वृद्धि 18

2.8. अफगानिस्तान द्वारा तालिबान के समक्ष शांति प्रस्ताव 19

2.9. भारत और चीन के संबंधों में तिब्बत कारक 20

2.10. चीन के संविधान में संशोधन 21

2.11. दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP)22

2.12. सिंधु जल संधि 22

2.13. रूपपुर नाभिकीय विद्युत् संयंत्र 23

2.14. ऑस्ट्रेलिया का 457 वीजा 24

2.15 UN ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 24

2.16. विदेश आया प्रदेश के द्वार 25

2.17. स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम 26

3. अर्थव्यवस्था **27**

3.1. कृषि निर्यात नीति का मसौदा 27

3.2. नीति आयोग द्वारा कृषि हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य मॉडल28

3.3. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 29

3.4. उर्वरक सब्सिडी 30

3.5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन 31

3.6. सिटी कंपोस्ट योजना 31

3.7. खाद्य तेल का निर्यात 32

3.8. वित्त विधेयक 2018 33

3.8.1. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को आरम्भ किये जाने से संबंधित मुद्दे 33

3.9. प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में परिवर्तन 34

3.10. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण 36

3.11. स्वर्ण बाज़ार पर नीति (NITI) आयोग पैनल 36

3.12. विद्युत क्षेत्रक में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 37

3.13. रेशम उद्योग के विकास हेतु समेकित योजना 38

3.14. राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम 39

3.15. पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 का प्रारूप 40

3.16. उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास योजना (NEIDS), 2017 41

3.17. मानकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति का प्रारूप (INSS) 41

3.18. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) 42

3.19. कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी मानदंड 44

3.20. म्युनिसिपल बांड 45

3.21. प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 47

3.22. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (NSDF) 48

VISION IAS

3.23. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 48

4. सुरक्षा 50

4.1. रक्षा उत्पादन पर मसौदा नीति, 2018 50

4.2. रक्षा औद्योगिक गलियारा 51

4.3. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड 52

4.4. भारत- बांग्लादेश सीमा पर प्रथम 'अपराध-मुक्त-क्षेत्र' 52

4.5. संरक्षित क्षेत्र परमिट 53

4.6. मालवेयर 53

4.7. नौसेना अभ्यास 55

5. पर्यावरण 56

5.1. राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा, 2018 56

5.2. रेत खनन 57

5.3. ब्राज़ाविल घोषणा 59

5.4. संरक्षण आश्वस्त | बाघ मानक : CA|TS 61

5.5. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या में वृद्धि 61

5.6. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 62

5.7. राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम 62

5.8 UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 63

5.9 स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, 2017 64

5.10 क्लीन सी कैम्पेन

(One Planet One City Challenge of WWF) 65

5.12. स्थायी कार्बनिक प्रदूषक 66

5.13. ई-कचरा (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 67

5.14. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2018 68

5.15. रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 69

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 71

6.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टास्क फोर्स रिपोर्ट 71

6.2. ई-सिगरेट 72

6.3. सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक 73

6.4. स्टीफ़न हॉकिंग 74

6.5 जीसैट- 6A 75

6.6. कॉपरनिकस कार्यक्रम 75

6.7. एयर-ब्रीथिंग इलेक्ट्रिक थ्रस्टर 76

6.8. माइक्रो-LED: अगली पीढ़ी की डिस्प्ले प्रौद्योगिकी 76

6.9. शीत संलयन रिएक्टर 77

6.10. अपशिष्ट ऊष्मा को विद्युत् में परिवर्तित करने वाला नवीन पदार्थ 77

6.11. वैटेराइट- पौधों में दुर्लभ खनिज 78

6.12. गैलीनीन 78

6.13. रिडबर्ग पोलरॉन्स: पदार्थ की एक नई अवस्था 78

6.14. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर दुर्लभ 'आइस-VII' का पता लगाया 79

6.15. डिजीज 'x' 79

6.16. इंटरस्टीशियम 80

7. सामाजिक 81

7.1. एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना 81

7.2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 82

7.3. नेशनल एकेडमिक डिपाजिटरी 82

7.4. आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति 83

7.5. बाल विवाह में तीव्र गिरावट 84

7.6. निष्क्रिय इच्छामृत्यु 85

7.7. डिजिटल इनफार्मेशन इन हेल्थकेयर सिक्योरिटी एक्ट (DISHA) का मसौदा 86

7.8. लक्ष्य (LaQshya) कार्यक्रम 87

7.9. सुविधा 87

7.10. लैंगिक वेतन असमानता 88

7.11. लिंग भेद्यता सूचकांक 89

7.12. निर्भया कोष 90

7.13. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2018 90

8. संस्कृति 92

VISION IAS

8.1 सौरा चित्रकला 92
8.2. कुथियोट्टम 92
8.3. माधवपुर मेला 93
8.4. नब कलेवर उत्सव 93
9. नीतिशास्त्र 95
9.1 नीतिशास्त्र और अंगदान 95
9.2 नीतिशास्त्र एवं वैन्डलिज़म 96
10. विविध 97
10.1. महिला उद्यमिता पोर्टल और उद्यम सखी पोर्टल 97
10.2. अतुल्य भारत 2.0 अभियान 97
10.3. राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय 98
10.4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क सम्मेलन 98
10.5. केरल का एनर्जी-पॉजिटिव कैंपस 99
10.6. कड़कनाथ 99
10.7.प्रित्ज्कर पुरस्कार 99

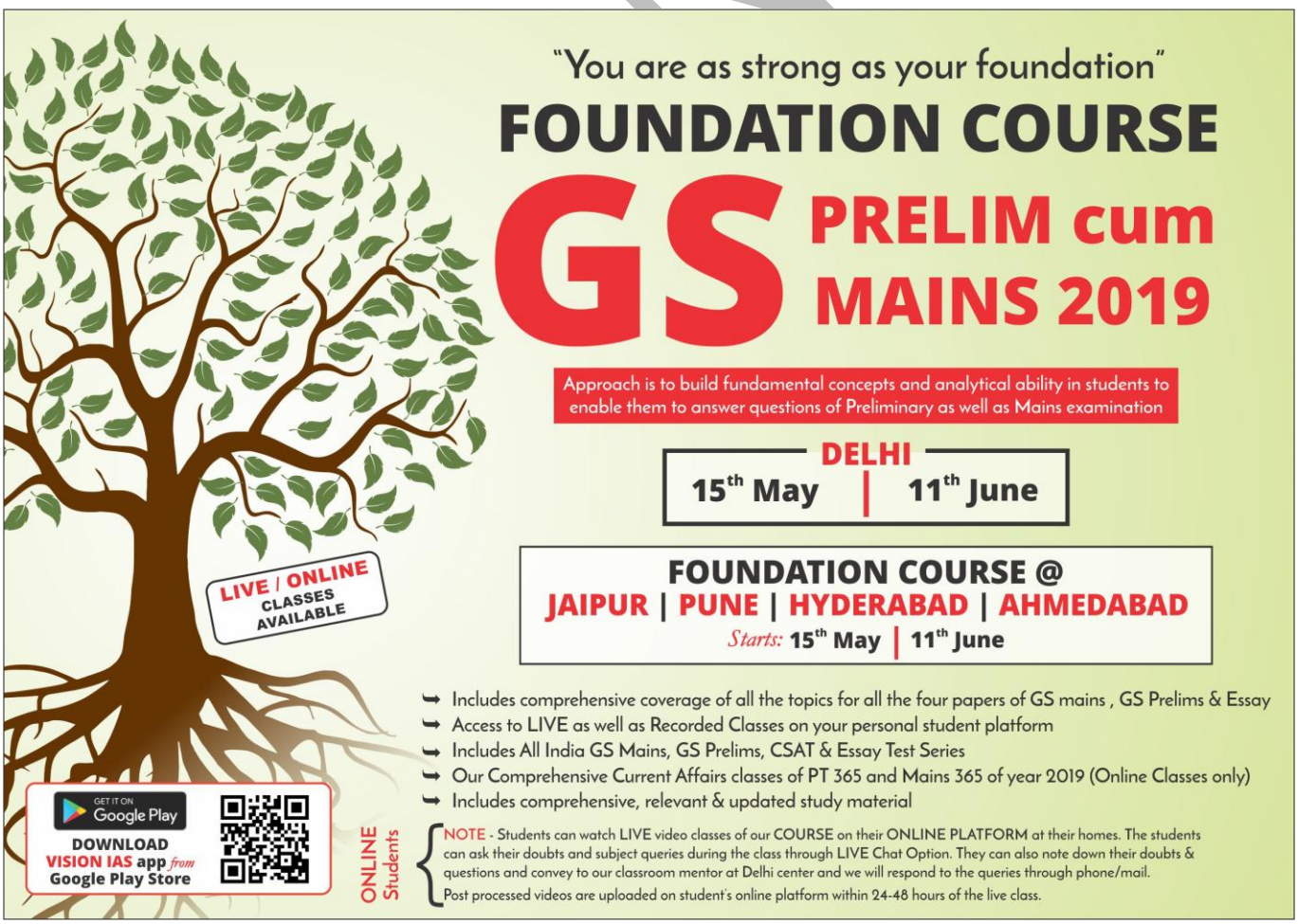

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1 विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा

(Special Category Status -SCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आंध्र प्रदेश के सांसदों द्वारा राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग की गयी। केंद्र ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- यह मांग आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर की गयी। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि "केंद्र सरकार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को उचित अनुदान प्रदान कर सकती है और यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त लाभ और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं "।
- यद्यपि केंद्र द्वारा राज्य को विशेष श्रेणी राज्य के समान वित्तीय अनुदान प्रदान करने पर सहमति प्रदान की गयी है, लेकिन विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। केंद्र द्वारा यह तर्क दिया गया कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

- आयोग ने राज्यों को सामान्य राज्यों या विशेष श्रेणी के राज्यों में वर्गीकृत नहीं किया है क्योंकि यह इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- इसके बजाए यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अन्तराल को 'कर अंतरण' से समाप्त किया जाए। इसके लिए केंद्र से राज्यों को प्रदान किये जाने वाले कर राजस्व के हिस्से को 32% से बढाकर 42% तक करने की अनुशंसा की गयी है।
- आयोग के अनुसार यदि कुछ राज्यों के अन्तराल को अंतरण द्वारा पूरा किया जाना संभव नहीं है तो केंद्र इन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान प्रदान कर सकता है।

SCS क्या है?

- संविधान में किसी राज्य को SCS प्रदान करने से संबंधित कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया है। परन्तु देश के कुछ भागों की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत पिछड़ी हुई थी, अत: पूर्ववर्ती योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा SCS राज्यों को केंद्रीय योजनागत सहायता (Central plan assistance) प्रदान की गई।
- विशेष श्रेणी राज्य की अवधारणा पहली बार 1969 में गाडगिल फ़ॉर्मूले के आधार पर 5वें वित्त आयोग द्वारा लागू की गयी थी। समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप इस फॉर्मूले को कई बार संशोधित भी किया गया।
- 1991 में गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला अपनाया गया। इसे 14वें वित्त आयोग तक प्रयोग में लाया गया।
- विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रमुख तर्क यह था कि कुछ राज्यों में अंतर्निहित विशेषताओं के कारण संसाधन आधार संकुचित हैं तथा वे विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों को नहीं जुटा सकते हैं |

आगे की राह

- योजना आयोग की समाप्ति के पश्चात् SCS को आवंटित अनुदान में अत्यधिक कटौती की गयी है। वर्तमान में, SCS और अन्य राज्यों को आवंटित अनुदान के मध्य का अंतर अत्यंत कम हो गया है और यह दर्जा राजनीतिक लाभ का प्रतीक बन गया है।
- हाल ही में कर अंतरण में हुई 42% तक की वृद्धि और राज्यों को प्रदत्त सामान्य केंद्रीय सहायता में कमी के परिणामस्वरूप SCS के तहत प्रदत्त लाभ कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी निधि अंतरण की अधिक न्यायसंगत विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है।

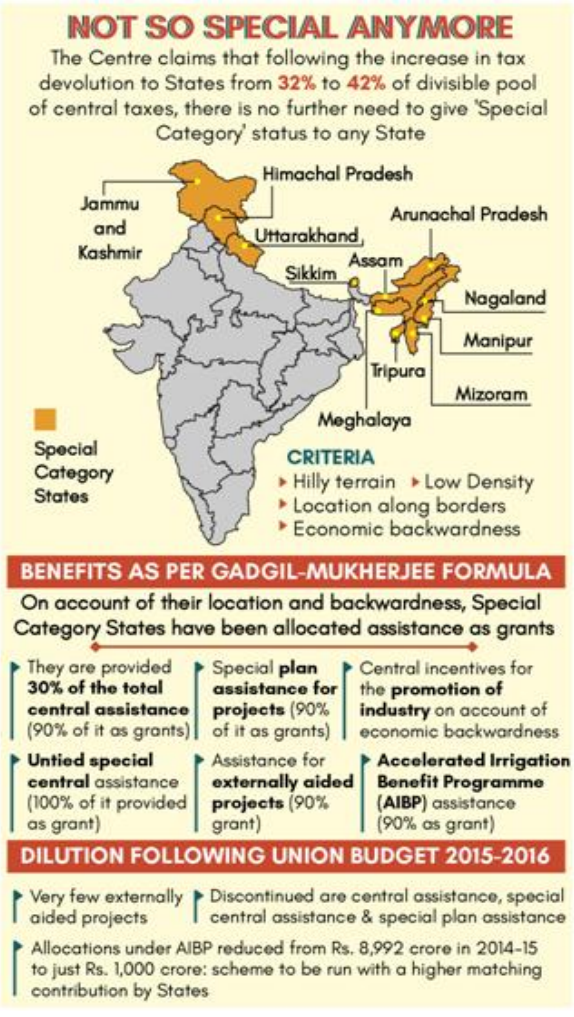

VISION IAS

- रघुराम राजन समिति (2013) द्वारा "अल्प विकसित राज्यों" की श्रेणी के आरम्भ और "SCS" की समाप्ति हेतु प्रस्तुत की गयी सिफारिशों को विभिन्न राज्यों के विकास संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए लागू किया जा सकता है।
- इस समिति द्वारा प्रस्तुत "अल्प विकसित राज्यों" की श्रेणी समान रूप से भारित 10 संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सुविधाओं, निर्धनता दर, महिला साक्षरता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, शहरीकरण दर, वित्तीय समावेशन और भौतिक कनेक्टिविटी सम्मिलित हैं।

1.2 आकांक्षी जिलों का बदलाव

(Transformation of Aspirational Districts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा 'आकांक्षी जिलों के बदलाव' कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है।

सम्बंधित तथ्य

केंद्र द्वारा 115 जिलों को "पिछड़े(backward)" से "आकांक्षी(aspirational)" जिलों में परिवर्तित करने हेतु वामपंथी चरमपंथी (LWE) जिलों में प्रयुक्त एकीकृत कार्य योजना (IAP) के समान एक पहल प्रारम्भ करने पर विचार किया जा रहा है।

एकीकृत कार्य योजना क्या है?

- एकीकृत कार्य योजना (IAP) एक नीतिगत उपकरण है, जिसका प्रयोग नीतिगत चुनौती के विरुद्ध सशक्त रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए किया जा सकता है। स्थानीय संदर्भ, विषय और कवरेज में प्रत्येक IAP विशिष्ट होती है। इसकी कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है।
- LWE जिलों के लिए 2010 में लॉन्च IAP के तहत, ऐसे जिलों को 30 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के साथ सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सेवाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

अन्य संबंधित तथ्य-

- 115 जिलों में से 30 जिलों का चयन नीति आयोग द्वारा एवं अन्य 50 जिलों का चयन केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किया गया है। शेष 35 जिलों को गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी चरमपंथी जिलों के रूप में चयनित किया गया है।
- KPIs (प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों) पांच निर्दिष्ट क्षेत्रों में इनपुट, आउटपुट और आउटकम का संयोजन हैं।

संबंधित नवीनतम विकास

- *स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया* (SIDBI) देश में इन आकांक्षी जिलों में से 115 आकांक्षी जिलों में सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना लागू करने के लिए जन सेवा केंद्रों (CSC) से संबद्ध हुआ है।

जन सेवा केंद्र (Common Services Centers)

- यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत निर्मित एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अभिगम केंद्र (ICT एक्सेस पॉइंट) है। इस परियोजना के तहत सम्पूर्ण देश में 100,000 से अधिक CSCs के नेटवर्क का निर्माण किया जाना सम्मिलित है।

पृष्ठभूमि

- नीति निर्माताओं द्वारा लंबे समय से देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विकास संकेतकों में व्यापक असमानता संबंधी चुनौती का सामना किया जा रहा है।
- हालांकि, पिछले कार्यक्रमों में समन्वय का अभाव, केंद्रीकृत निगरानी तंत्र का अभाव, जिलों तक स्वीकृत राशि का केवल एक अंश ही पहुँचना, रियल टाइम डेटा की उपलब्धता की कमी, जन भागीदारी की कमी और उपर्युक्त सभी में 'वन साइज़ फिट्स आल' दृष्टिकोण जैसी विभिन्न कमियाँ विद्यमान रही हैं।

कार्यक्रम से संबंधित तथ्य

- आकांक्षी जिलों में बदलाव कार्यक्रम का लक्ष्य 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में से कम से कम एक ज़िले का चयन करते हुए चयनित 115 जिलों का त्वरित और प्रभावी कायाकल्प करना है।
- कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा **समन्वय** (केंद्रीय और राज्य योजनाओं में), **सहयोग** (केंद्रीय, राज्य स्तर के 'प्रभारी' अधिकारी और जिला कलेक्टरों का), और जिलों में जन भागीदारी द्वारा संचालित **प्रतिस्पर्धा** है। यह रियल टाइम डेटा पर आधारित और जन भागीदारी द्वारा संचालित होगा।

VISION IAS

- इस कार्यक्रम में मुख्य संचालक राज्यों को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले के सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हुए, त्वरित सुधार के लिए जिलों में शीघ्र विकसित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करने, प्रगति की माप करने और रैंक प्रदान करने का कार्य करेगा; तथा इस कार्यक्रम को नीति आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- रणनीति के मुख्य तत्वों में चयनित **प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI)** की पहचान करना, इन संकेतकों के आधार पर की गयी प्रगति की निगरानी करना और वृद्धि संबंधी प्रगति के आधार पर वार्षिक रैंकिंग प्रदान करना सम्मिलित है। चयनित KPIs जिला विशिष्ट हैं।
- इस उद्देश्य हेतु 5 क्षेत्रों की पहचान की गई है- स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी अवसंरचना और वित्तीय समावेशन और कौशल विकास।
- कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त/संयुक्त सचिव के स्तर पर "प्रभारी" और नोडल अधिकारी के रूप में केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी केंद्र, राज्य और जिले के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करेंगें।
- एक जिला स्तर की टीम विभिन्न संकेतकों की वर्तमान स्थिति की बेसलाइन रिपोर्ट तैयार करेगी और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगी।
- केंद्रीय प्रतिनिधि दो महीने में कम से कम एक बार जिले का दौरा करेंगे और नीति आयोग हेतु एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। नीति आयोग इसका विश्लेषण करने के बाद निष्कर्षों को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

1.3 अरुणाचल की द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

(Arunachal's 2-Tier Panchayati Raj)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा **अंचल समिति** (मध्यवर्ती स्तर) को समाप्त करने और राज्य में द्विस्तरीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है।

द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश

गोवा, मणिपुर, सिक्किम, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में मध्यवर्ती पंचायत नहीं है क्योंकि यहाँ केवल द्विस्तरीय व्यवस्था ही स्थापित की गयी थी।

विवरण

- 73वें संविधान संशोधन के तहत सभी राज्यों में त्रिस्तरीय अर्थात् ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का प्रावधान किया गया है। हालाँकि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन अनिवार्य नहीं है।
- अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 13.84 लाख है, इस प्रकार यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपना सकता है।
- इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि अंचल समिति के स्तर पर योजनाओं और नीतियों में विलंब होता है। इस प्रकार, यह कदम राज्य के निम्न संसाधन आधार को देखते हुए वित्तीय संसाधनों के उपयोग को मानकीकृत करेगा।
- इसके अतिरिक्त, योजनाओं का नियोजन एवं निष्पादन द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में तीव्रता से होगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम एवं जिला स्तर पर गठित क्रमशः ग्राम पंचायत तथा जिला परिषदों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा।

1.4 पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं

(North Eastern Council Schemes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के साथ ही **पूर्वोत्तर परिषद (NORTH EASTERN COUNCIL: NEC)** की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।

नॉन लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिर्सोसेज (NLCPR)

- इसका निर्माण 1997–98 (1998–99 से संचालित) में किया गया। यह मंत्रालयों/विभागों के अनिवार्य 10% बजटीय आवंटन की **व्यय नहीं की गयी की गई राशि का संचय** है।
- NLCPR योजना का व्यापक उद्देश्य पूल में उपलब्ध निधियों का उपयोग कर इस क्षेत्र में विद्यमान अवसंरचनात्मक अंतराल (आर्थिक और सामाजिक) को समाप्त कर अवसंरचना का त्वरित विकास सुनिश्चित करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- NEC की योजनाओं के तहत- विशेष विकास परियोजनाओं को 100% केंद्रीय अनुदान (वर्तमान में केंद्र और राज्य के मध्य 90:10 के अनुपात से) के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
- NEC द्वारा वित्त पोषित अन्य परियोजनाएं (राजस्व और पूंजीगत दोनों ही) 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के आधार पर मौजूदा प्रतिरूप के साथ जारी रहेंगी।

VISION IAS

- 100% केंद्रीय वित्त पोषित **पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (NERSDS)** का विस्तार।
- **नॉन लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिर्सोसेज (NLCPR)** के क्रियान्वयन के लिए इसे NEC को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- व्यय वित्त समिति (EFC) के अनुसार NEC योजनाएं 14वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही संचालित रहेंगी। इसलिए, सभी NEC योजनाओं को मार्च 2020 तक पूर्ण करना अनिवार्य है।
- बांस, सूअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, पिछड़े क्षेत्रों में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल (tertiary healthcare) एवं विशेष हस्तक्षेप, आजीविका परियोजना, NER में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्तियां, सर्वे एवं जांच तथा NER संवर्द्धन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- NEC हेतु उपलब्ध कुल निधियों को दो घटकों में विभाजित करने का प्रस्ताव है।
    - **राज्य घटक (60%)-** इसका उपयोग प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं के लिए मानक आवंटन के आधार पर उनके हिस्से के अनुसार किया जाएगा।
    - **केंद्रीय घटक (40%)-** इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विशेषता वाली ऐसी परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें अंतर-मंत्रालयी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर परिषद (NEC)

- यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के **आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु नोडल एजेंसी** है। इसमें, क्षेत्र के आठ राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं।
- यह पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत 1972 में स्थापित एक **सांविधिक निकाय** है। इसकी स्थापना तीन प्रमुख उद्देश्यों यथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास, बेहतर अंतर-राज्य समन्वय को प्रभावी बनाना और इस क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है ।
- इस अधिनियम के 2002 में संशोधन द्वारा NEC की भूमिका को परामर्शदात्री निकाय से बढ़ाकर क्षेत्रीय नियोजन निकाय के रूप में कर दिया गया।
- यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संचालित होती है।

लाभ

- इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में **विकास परियोजनाओं को बढ़ावा** देने की अपेक्षा की जाती है जिससे वहां लोगों को सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करते हुए **संसाधनों का इष्टतम दोहन और दोहराव से सुरक्षा सुनिश्चित** करेगा।

1.5 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018

(Arbitration and Conciliation(Amendment) Bill, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018** को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

पृष्ठभूमि

- **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015** द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया को सरल एवं लागत प्रभावी बनाना एवं मामलों को शीघ्र निपटान तथा मध्यस्थों की तटस्थता सुनिश्चित करना था।
- सरकार द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, **न्यायमूर्ति बी.एच. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) का गठन** किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य तदर्थ मध्यस्थता के स्थान पर संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना तथा मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 को लागू करने में आ रही कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करना था।
- प्रस्तावित संशोधन, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता संस्थानों के माध्यम से **मध्यस्थों की त्वरित नियुक्ति** में सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामलों में संबंधित पक्ष सीधे उच्चतम न्यायालय तथा अन्य मामलों में संबंधित उच्च न्यायालयों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
- यह **भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI) नामक एक स्वतंत्र संस्था के निर्माण** का प्रावधान करता है। यह संस्था मध्यस्थता संस्थानों को ग्रेड प्रदान करेगी और मानकों का निर्धारण करके मध्यस्थों को मान्यता प्रदान करेगी। यह संस्था प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और सभी मध्यस्थता संबंधी निर्णयों आदि की इलेक्ट्रोनिक डिपॉजिटरी रखेगी।
- ACI एक निगम निकाय होगी। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या कोई ख्याति लब्ध व्यक्ति हो सकता है। अन्य सदस्यों में सरकार द्वारा नामित लोगों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित शिक्षाविद आदि शामिल होंगे।

VISION IAS

संभावित लाभ

- मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकारों के हित में बनाने एवं विवादों का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करने से **संस्थागत मध्यस्थता को सहायता प्राप्त होगी**।
- **भारत को एक सुदृढ़ वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का केंद्र** बनाने में सहायता मिलेगी।
- **भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा** होगी क्योंकि भारतीय कंपनियां सामान्यतः सिंगापुर जैसे देशों में मध्यस्थता पर विदेशी मुद्रा का महत्त्वपूर्ण भाग व्यय कर देती हैं।
- **ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस में सुधार होगा** और इस प्रकार घरेलू के साथ-साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

1.6 एनुअल सर्वे ऑफ़ इंडियाज सिटी-सिस्टम्स (ASICS), 2017

(Annual Survey of india's city-systems, ASICS 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी द्वारा ASICS, 2017 रिपोर्ट जारी की गयी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत शहरों में अभिशासन का मूल्यांकन किया गया है।

ASICS से संबंधित तथ्य

- यह एक वार्षिक शोध है जो शहरी-प्रणालियों का मूल्यांकन करता है। इसमें **मुख्यतः चार अंतर्संबंधित पहलुओं** जैसे शहरी नियोजन और डिजाइन; शहरी क्षमता और संसाधन; पारदर्शिता, जबावदेही एवं भागीदारी; तथा सशक्त एवं वैध राजनीतिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता है।
- इसका परिणाम **शासन प्रणाली की स्थिति** और **गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करने की क्षमता** को इंगित करता है। इसका उद्देश्य **शहरी शासन में परिवर्तनकारी सुधारों** को बढ़ावा देना है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- इस सर्वेक्षण में **पुणे** (स्कोर 5.1) शीर्ष पर है जबकि बंगलुरु (3) सूची में सबसे निचले स्थान पर है।
- तुलनात्मक रूप से जोहान्सबर्ग, लंदन और न्यूयॉर्क के वैश्विक बैंचमार्क का स्कोर क्रमशः 7.6, 8.8 और 8.8 है जबकि भारतीय शहर मुश्किल से 5.1(उच्चतम स्कोर) के स्कोर तक ही पहुँच पाए हैं।

रिपोर्ट में रेखांकित समस्याएं

- विगत 3 वर्षों में विभिन्न प्रमुख शहरी मिशनों जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत, अमृत और सबके लिए आवास आदि के कारण कुछ शहरों के स्कोर में अल्प वृद्धि हुई है।
- 23 में से केवल दो शहरों में वार्ड समितियों और क्षेत्रीय सभाओं का गठन किया गया है, यह **स्थानीय लोकतंत्र का अभाव** दर्शाता है।
- अधिकांश शहर **शहरी निकाय स्तर पर न तो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और न ही पर्याप्त रूप से कर्मचारी उपलब्ध हैं|**
- 23 शहरों में से केवल 9 में **सिटीजन चार्टर** विद्यमान था। यहाँ तक कि जिन शहरों में यह चार्टर हैं वहां सेवा के स्तरों और सेवा वितरण के लिए समय-सीमा का उल्लेख नहीं है। साथ ही सेवा स्तर पूर्ण नहीं होने पर राहत प्राप्त करने के लिए किसी तंत्र का उल्लेख नहीं है।
- ओम्बड्समैन, विशेष रूप से नागरिकों के मुद्दों का समाधान करने के लिए तीन भारतीय शहरों-भुवनेश्वर, रांची और तिरुवनंतपुरम को छोड़कर किसी भी शहर में नियुक्त नहीं किये गये हैं।
- 23 में से 19 शहर, प्रयोज्य प्रारूप में अपनी **कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में मूलभूत आंकड़े भी प्रकाशित नहीं** करते हैं।
- अधिकाँश भारतीय शहर उन **टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट्स** का प्रयोग करते हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के दशकों पहले तैयार किया गया था। इस प्रकार, आधुनिक, समकालीन शहरी नियोजन फ्रेमवर्क की कमी के कारण भारत को प्रति वर्ष अपनी GDP के 3% के बराबर लागत चुकानी पड़ती है।

(शहरी अभिशासन पर अधिक जानकारी के लिए कृपया दिसंबर 2017 करेंट अफेयर्स का संदर्भ लीजिए)

1.7 ई-ऑफिस

(E-Office)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 34 मंत्रालयों को अपने विभागों में 'ई-ऑफिस' को लागू करने के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया।

ई-ऑफिस क्या है ?

- इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी कार्यों को मैन्युअल से डिजिटल में परिवर्तित करना है।
- **ई-क्रांति: नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP) 2.0** के अंतर्गत यह एक प्रमुख मिशन मोड प्रोजेक्ट(MMP) है।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR&PG), ई-ऑफिस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग है।
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC) इस परियोजना में तकनीकी भागीदार है।

संबंधित तथ्य

- **ई-क्रांति: नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP) 2.0**- नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभों में से एक है।
- ई-क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजनाएं हैं।

1.8 उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017

[The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, संसद द्वारा उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया है।

प्रमुख तथ्य

- इसे कारखानों, खदानों, तेल खनन क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपादान के भुगतान की योजना हेतु अधिनियमित किया गया था। इसके तहत दस या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान में कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
- उपादान को उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा विधिक शक्ति प्रदान की गयी है, जिसे केंद्र सरकार और इसके अंतर्गत नामित प्रतिष्ठानों द्वारा प्रशासित और लागू किया जाता है।
- यह अधिनियम पांच या अधिक वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले श्रमिकों को 10 लाख रुपये का उपादान प्रदान करने का प्रावधान करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- इसके तहत कर मुक्त उपादान की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करते हुए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान की गयी है।
- यह केंद्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है:
  - कानून में संशोधन किए बिना उपादान की सीमा को अधिसूचित करने की शक्ति।
  - विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र सरकार में निरंतर सेवा में शामिल महिला कर्मचारियों को वर्तमान 12 सप्ताह के स्थान पर 'प्रसूति छुट्टी की अवधि' को अधिसूचित किया जाए। ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि प्रसूति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से प्रसूति छुट्टी की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार को वर्तमान 12 सप्ताह की अवधि को ऐसी अन्य अवधि के लिये अधिसूचित करने की बात कही गई है।

1.9 प्रसार भारती

(Prasar Bharati)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रसार भारती (PB) ने अपने बोर्ड में एक सेवारत आईएएस अधिकारी की नियुक्ति और दूरदर्शन एवं आल इंडिया रेडियो की अध्यक्षता हेतु पेशेवरों की नियुक्ति के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।

संबंधित तथ्य

- प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति द्वारा नामांकित व्यक्ति भी सम्मिलित होते है। जिसकी सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति में मंत्रालय की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है।
- प्रसार भारती बोर्ड (PBB) सभी अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के मंत्रालय के सुझाव से भी असहमत है। ये कर्मचारी वर्तमान में कुल स्टाफ़ का लगभग तीन-चौथाई है।
- ओवरस्टाफ भागों की पहचान के लिए सैम पित्रोदा समिति (2014) सहित विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तावित PB की मैनपावर ऑडिट को शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा।

प्रसार भारती से संबंधित तथ्य

- यह एक सांविधिक स्वायत्त सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, जिसे 1997 में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम,1990 के तहत स्थापित किया गया था।
- इसके अंतर्गत दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और आल इंडिया रेडियो शामिल हैं, जो इससे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भाग थे।

VISION IAS

पित्रोदा पैनल (2014) की अन्य महत्त्वपूर्ण सिफारिशें

- इस पैनल ने प्रशासन, वित्त पोषण, सामग्री, प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया और वैश्विक पहुंच जैसे मुद्दों से संबंधित सिफारिश की है।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामक की स्थापना करते समय प्रसार भारती बोर्ड को पेशेवर रूप से प्रबंधित निकाय (प्रोफेशनली मैनेज्ड बॉडी) का स्वरूप प्रदान करने हेतु इसका पुनर्गठन करने का सुझाव दिया गया।
- वित्तीय जवाबदेही के साथ स्वायत्तता की आवश्यकता के मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रसार भारती के लिए एक निधीयन तंत्र को विकसित करना।
- सार्वजनिक सेवा प्रसारण के दायित्वों को पूरा करने के लिए उपग्रह और डिजिटल केबल टीवी के परिचालन में विस्तार करना।

आगे की राह

- वर्तमान में यह संगठन वित्तीय स्वायत्तता, कर्मचारियों की भर्ती, निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा और सरकार द्वारा हस्तक्षेप से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इसलिए, इसे सरकारी प्रसारकर्ता के रूप में बने रहने की अपेक्षा वास्तविक जनप्रसारकर्ता बनने के लिए अपनी रचनात्मक शक्तियों, लोकाचार, संस्कृति और महत्वाकांक्षाओं को उन्मुक्त करने हेतु स्वतंत्र व्यावसायिक और वित्तीय आत्मनिर्भरता के साथ सशक्त और सक्षम होने की आवश्यकता है।
- प्रसार भारती अधिनियम,1990 द्वारा निगम को स्वायत्तता प्रदान करते हुए इसके संचालन से संबंधित मामलों में बोर्ड को अंतिम शक्ति प्रदान की गयी है। इसलिए इस संदर्भ में, पित्रोदा समिति की सिफारिशों सहित प्रसार भारती अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1 भारत-फ्रांस संबंध

(India-France Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत की यात्रा की।

यात्रा के दौरान हुई महत्त्वपूर्ण प्रगति

दोनों देशों ने शिक्षा, पर्यावरण, शहरी विकास, रेलवे आदि सहित **14 समझौतों** पर हस्ताक्षर किए।

सामरिक साझेदारी से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रगति निम्नलिखित रही है

- हिंद महासागरीय क्षेत्र पर **संयुक्त दृष्टिकोण वक्तव्य** प्रस्तावित किया गया है।
    - भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के स्थापना **सम्मेलन की सह-अध्यक्षता** की। इन दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश के एक गांव दादर कला में एक सौर ऊर्जा सयंत्र का भी उद्घाटन किया ।
- दोनों नेताओं ने "अपने सशस्त्र बलों के मध्य **पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता** के प्रावधान हेतु समझौते" पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा बलों को एक दूसरे की सुविधाओं का लाभ उठाने तथा पारस्परिक आधार पर सैन्य सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
- **जैतापुर में छह परमाणु रिएक्टरों** के निर्माण हेतु फ्रेंच यूटिलिटी EDF और भारत के NPCIL के मध्य **"इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट"** पर हस्ताक्षर किए गए।

पृष्ठभूमि

भारत और फ्रांस के मध्य परंपरागत रूप से सुदृढ़ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। 1998 में, दोनों देशों ने **सामरिक साझेदारी** की शुरुआत की थी। यह साझेदारी रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग के तीन स्तंभों पर आधारित है। दोनों देशों के मध्य महत्वपूर्ण संबंध निम्नलिखित हैं-

- **सामरिक क्षेत्रों से संबंधित संस्थागत वार्ता**- भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता दोनों देशों के NSAs के मध्य संपन्न होती है। काउंटर, साइबर डायलाग आदि पर संयुक्त कार्यकारी समूह अन्य क्रियाशील तंत्र हैं।
- **रक्षा सहयोग-** सैन्य प्रमुखों द्वारा नियमित रूप से यात्राएं की जाती हैं। तीनों सैन्य बलों के मध्य नियमित रूप से सैन्य अभ्यास भी किये जाते हैं, जैसे- अभ्यास शक्ति (थल सेना), अभ्यास वरुण (नौसेना), अभ्यास गरुड़ (वायु सेना)। इसके अतिरिक्त, 2008 में भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य एक असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- **आर्थिक सहयोग-** फ्रांस भारत का नौवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। पिछले दस वर्षों से भारत-फ्रांस व्यापार भारत के पक्ष में बना हुआ है।

भारत के लिए फ्रांस का महत्त्व

- **हिंद महासागर में साझेदारी -** हिंद महासागर में फ्रांस के सैन्य अड्डों की व्यापक श्रृंखला (जिबूती, आबू धाबी और रीयूनियन द्वीप) को देखते हुए दोनों के मध्य **पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता** के प्रावधान हेतु समझौता महत्त्वपूर्ण है। यह भारत की **सैन्य ताकत को कई गुना** बढ़ा सकता है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में भी यह महत्त्वपूर्ण है।
- **ISA में साझेदारी-** ISA, भारत में स्थित पहला संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक प्रमुख इंडो-फ्रेंच पहल है जो अक्षय ऊर्जा की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस द्वारा समर्थन-** फ्रांस उन देशों में से एक है जो नियमित रूप से भारत की **UNSC की स्थायी सदस्यता** का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, **वासेनार समूह** में भारत के शामिल होने के लिए फ्रांस द्वारा किया गया समर्थन भी सराहनीय है। फ्रांस ही एकमात्र पश्चिमी देश था, जिसने बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शरणार्थी संकट के संबंध में भारत की चिंताओं की वैधता पर टिप्पणी की।
- **परमाणु सहयोग**- मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के पश्चात् जब भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया तब भारत के साथ वार्ता करने वाली पहली बड़ी शक्ति फ्रांस था। फ़्रांस ने अन्य देशों की तुलना में भारत की सुरक्षा बाध्यताओं की व्यापक समझ को प्रदर्शित किया था। इसने परीक्षण के पश्चात भारत की निंदा करने से इंकार कर दिया और सार्वजनिक रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया।
- **रक्षा सहयोग-** फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग 1950 के दशक में प्रारम्भ हुआ था जब भारत ने औरागन (Ouragan) विमान का अधिग्रहण किया था तथा यह मैट्रेस (Mystères), जैगुआर, राफेल, स्कॉर्पियन पनडुब्बी आदि के साथ सतत रूप में जारी रहा।

VISION IAS

- 1960 के दशक से ही फ्रांस के साथ **अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में सहयोग** जारी है, जब फ्रांस ने भारत की **श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट** की स्थापना में सहयोग किया था। इसके पश्चात् द्रव इंजन के विकास और पेलोड प्रेक्षपण में भी सहायता की है। वर्तमान में परिचालित अन्य परियोजनाओं में पारितंत्र दबाव और जल उपयोग निगरानी हेतु TRISHNA नामक संयुक्त उपग्रह मिशन, इसके साथ ही भारत के ओसनसैट-3 उपग्रह में फ्रांस के उपकरणों का उपयोग करना भी शामिल हैं।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्रों** में फ्रांस और भारत में सीमा पार आतंकवाद और आतंक संबंधी घटनाओं की अभिव्यक्तियों के साथ आतंकवाद के सभी रूपों का उनके द्वारा किया जाने वाला प्रबल विरोध सम्मिलित है।
    - शहरी नियोजन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए फ्रांस स्मार्ट सिटी मिशन में भी सहायता कर रहा है। जैसे चंडीगढ़, नागपुर और पुदुच्चेरी तीन ऐसी स्मार्ट सिटी हैं जिन्हें फ्रांस के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

आगे की राह

- हालांकि उपर्युक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में साझेदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है, परन्तु यह मुख्य रूप से **गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट** के स्तर पर बना रहा है।
- हाल के वर्षों में यह स्पष्ट था कि व्यापक साझेदारी के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस और पीपल-टू-पीपल संबंध आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, यद्यपि भारत और फ्रांस के मध्य व्यापार में वृद्धि हो रही है, किन्तु अभी-भी इसका अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचना शेष है।
- अनुमानों के अनुसार **फ्रांस, यूरोप के लिए भारत का प्रवेश द्वार** बन सकता है। फ्रांस, एशिया में भारत को फ्रांस का पहला रणनीतिक साझेदार बनाना चाहता है।
- चीन के उदय के साथ वैश्विक भू-राजनीति का आधार तेजी से बदल रहा है। पश्चिमी विश्व की आंतरिक समस्याओं और रूस में पूर्णतया संलग्नता; अमेरिकी प्रशासन की "अमेरिका फर्स्ट" प्राथमिकताओं और वैश्वीकरण के लिए बढ़ते खतरों की पृष्ठभूमि में भारत और फ्रांस एक दूसरे को आकर्षक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं।

2.2. भारत-जर्मनी संबंध

(India Germany Relations)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर ने भारत की पांच दिवसीय यात्रा की।

भारत-जर्मनी सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

जर्मनी, यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यह महाद्वीप के केंद्र में अवस्थित है। इसकी केन्द्रीय अवस्थिति इसे पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के मध्य एक पुल के रूप में स्वाभाविक स्थिति प्रदान करती है। यह अनुसंधान, विकास एवं कौशल के केंद्रबिंदु सहित एक वैश्विक केंद्र है।

- **रणनीतिक साझेदारी**: 2001 से ही भारत और जर्मनी के मध्य **'रणनीतिक साझेदारी'** है। यह साझेदारी समय के साथ और अधिक सुदृढ़ हुई है।
- **गंगा नदी की सफाई पर भारत-जर्मनी सहयोग:** 2016 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और GIZ जर्मनी ने गंगा कायाकल्प के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत जर्मनी द्वारा प्रदूषण से निपटने हेतु डेटा प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए 3 मिलियन यूरो प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी।
- G-4 के फ्रेमवर्क के भीतर UNSC के विस्तार, G-20 में प्रत्येक देशों के साथ जलवायु परिवर्तन, संधारणीय विकास आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर परामर्श तथा अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर मुद्दे, निरस्त्रीकरण और अप्रसार, निर्यात नियंत्रण, पूर्वी एशिया, यूरेशिया आदि से संबंधित मुद्दों पर **द्विपक्षीय सहयोग**।
- **रक्षा सहयोग:** भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग समझौता (2006), द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:** जर्मनी, यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
    - जनवरी 2000 से ही जर्मनी, भारत में 7वां सबसे बड़ा **प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक** है।
    - 2015 में दोनों देशों ने भारत-जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारी पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। इस MoU के तहत अगले 5 वर्षों में जर्मन सरकार द्वारा एक बिलियन यूरो का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा।

भारत-जर्मन सहयोग का महत्त्व:

- भारत और जर्मनी कई मामलों में एक-दूसरे के पूरक हैं। जर्मनी की विशेषज्ञता अत्याधुनिक इंजीनियरिंग उत्पादों में हैं। भविष्य की प्रौद्योगिकियों को IT नवाचारों की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में जर्मनी को भारतीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। भारत उच्च गुणवत्ता वाली जर्मन वस्तुओं के लिए बाजार बन सकता है और बदले में भारत जर्मनी के लिए कौशल का स्रोत बन सकता है।
- भारत, जर्मनी के **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs)** से लाभ प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक फ़ास्ट ट्रैक मेकेनिज्म की स्थापना की गयी है।

- जर्मनी अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को समाप्त कर रहा है और उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। चूंकि भारत भी 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 40 प्रतिशत पूरा करने की योजना बना रहा है, अतः ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों के माध्यम से **द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक संभावनाएं** विद्यमान हैं।
- जलवायु अनुकूलन और शमन सहित वित्त एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के उत्तरदायित्व के साथ **जलवायु परिवर्तन** पर संतुलित समझौते के लिए जर्मनी का समर्थन भी महत्त्वपूर्ण है।
- दोनों देश सुरक्षा चिंताओ को भी साझा करते हैं, जिनमें जर्मनी शरणार्थी संकट से प्रभावित रहा है वहीँ भारत के समक्ष पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से उत्पन्न खतरे है।

निष्कर्ष

- संयुक्त राज्य अमेरिका **में संरक्षणवादी व्यापार उपायों (protectionist trade measures)** के प्रारंभ के साथ भारत और जर्मनी दोनों ने आपसी सहमति और नियमों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के साथ ही मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार तथा निवेश के लिए सहयोग हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की हैं।
- इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य सुरक्षा एवं आतंकवाद, नवाचार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, नदियों की सफाई, कौशल विकास (स्किल इंडिया मिशन), शहरी आधारभूत संरचना, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य एवं वैकल्पिक चिकित्सा आदि में सहयोग की व्यापक सम्भावना विद्यमान है।

2.3.भारत-वियतनाम

(India-Vietnam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह यात्रा वियतनाम और भारत के मध्य 45 वर्षों के राजनयिक संबंधों को भी इंगित करती है।
- दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए-
  - ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टिसिपेशन (GCNEP) एवं वियतनाम एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट (VINATOM) के मध्य असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन (MoU)।
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और वियतनाम के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मध्य, वर्ष 2018-2022 की अवधि के लिए कार्ययोजना।
  - आर्थिक संबंधों के संवर्द्धन हेतु आर्थिक एवं व्यापार सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU)
- दोनों देशों द्वारा नेविगेशन एवं ओवर-फ्लाइट की स्वतन्त्रता और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) के अनुसार दक्षिण चीन सागर संबंधी विवादों को सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

संबंधित तथ्य

ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टिसिपेशन (GCNEP)

- यह परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास (R&D) इकाई है।
- इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में 2010 में स्थापित किया गया।
- यह सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करता है।

यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS)

- इस पर 1984 में हस्ताक्षर किए गए और इसे 1994 में लागू किया गया।
- यह कानून व्यापार, पर्यावरण, विश्व के महासागरों के उपयोग और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
- इस कानून के अंतर्गत अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की अवधारणा प्रारंभ की गई। यह अवधारणा मछुआरों को अन्य देश के मत्स्य संसाधनों के दोहन करने से प्रतिबंधित करती है।
- EZZ में, तटीय देशों को अपने तट से 200 समुद्री मील के भीतर समुद्री संसाधनों के उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है।
- इस कानून में स्थलरुद्ध देशों को पड़ोसी तटीय देश की क्षेत्रसीमा के माध्यम से समुद्र तक पहुंच का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

भारत-वियतनाम संबंध

भारत और वियतनाम में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के अपने साझा इतिहास के आधार पर घनिष्ठ संबंध बने हुए है। इसके अतिरिक्त, दोनों के मध्य एक गहरा सांस्कृतिक संबंध भी है।

- **रणनीतिक संबंध**- वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार भी है। वर्तमान में यह भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के क्षेत्रीय समूह आसियान के साथ समन्वयक देश है।
- **रक्षा और सुरक्षा**- भारत अपनी रूस निर्मित किलो-क्लास पनडुब्बियों और SU-30 लड़ाकू विमानों के संचालन में वियतनाम की सेना को प्रशिक्षित कर रहा है।
    - नवंबर 2009 में, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से इनके संबंध क्रमिक रूप से अत्यधिक मजबूत हुए हैं।
    - वियतनाम ने भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है, जबकि दूसरी ओर, भारत ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषतः UNCLOS के महत्त्व को दोहराया है।
- **आर्थिक**- भारत अब वियतनाम के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारतीय कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, ऑटो कम्पोनेन्ट्स, कपड़ा उद्योग संबंधी सहायक सामग्रियाँ आदि क्षेत्रों में 98.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल पूंजी के साथ 17 नई परियोजनाएं पंजीकृत की हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग के संदर्भ में,** आसियान के अतिरिक्त भारत और वियतनाम (संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन को छोड़ कर) पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग-गंगा सहयोग, एशिया यूरोप शिखर बैठक जैसे अन्य क्षेत्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहभागी देश हैं।

भारत के लिए वियतनाम का महत्त्व

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी-** वियतनाम, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस पॉलिसी का उद्देश्य दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को पुनः सुदृढ़ करना है। साथ ही आसियान के सदस्य के रूप में शेष दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों को समर्थन प्रदान हेतु यह महत्त्वपूर्ण सहायक देश है।
- **भौतिक कनेक्टिविटी-** म्यांमार में एक लोकतान्त्रिक सरकार की उपस्थिति के साथ, म्यांमार के माध्यम से भारत और वियतनाम के मध्य घनिष्ठ संबद्धता तथा कंबोडिया एवं लाओस में मौजूदा पारगमन मार्गों के लिए पर्याप्त अवसर हैं।
- **ऊर्जा सहयोग-** भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है और वियतनाम में हाइड्रोकार्बन के समृद्ध भंडार उपलब्ध हैं। सरकारी स्वामित्व युक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) वियतनाम के विवादित जल क्षेत्र में तेल की खोज कर रहा है, हालांकि चीन द्वारा इसका विरोध किया गया था।

वियतनाम के लिए भारत का महत्त्व

- **सुरक्षा संबंधी कारण**- दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख के विरुद्ध प्रतिक्रिया में, वियतनाम ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत से अपील की है।
- **क्षमता निर्माण एक अन्य क्षेत्र है**, जिसमें भारत लाइन ऑफ क्रेडिट, छात्रवृत्ति, वियतनाम के रक्षा कर्मियों के लिए कार्यक्रमों के आयोजन आदि द्वारा वियतनाम की सहायता कर रहा है।

आगे की राह

- अभी भी अनेक ऐसे क्षेत्र विद्यमान है, जिनमें सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वियतनाम-चीन द्विपक्षीय व्यापार (लगभग $ 70 बिलियन) की तुलना में भारत-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार अत्यधिक कम है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि करना महत्त्वपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय सामरिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिल सकता है, जो दोनों देशों के मध्य संबंधों को अधिक व्यापक बनाने में सहायक होगा।

2.4. भारत-जॉर्डन

(India-Jordan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत की यात्रा की।

भारत-जॉर्डन संबंध

- **राजनीतिक संबंध-** 1950 में दोनों देशों के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।
- **वाणिज्यिक संबंध-** भारत-जॉर्डन के मध्य व्यापार 1976 में हस्ताक्षरित एक समझौते द्वारा शासित होता है। इस समझौते के तहत व्यापार की प्रगति को बढ़ावा देने और उसकी निगरानी करने हेतु एक व्यापार और आर्थिक संयुक्त समिति गठित की गई है।

VISION IAS

- **रक्षा संबंध** - 1991 के दौरान इराक से और हाल ही में इराक एवं सीरिया में उत्पन्न संकट के दौरान वहां से अपने नागरिकों को निकालने में जॉर्डन ने भारत की अत्यधिक सहायता की है।
    - दोनों देश उग्रवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। जॉर्डन ने हाल ही में डी-रेडिकलिज़ेशन को बढ़ावा देने के लिए अकाबा प्रक्रिया (Aqaba process) प्रारंभ की है, जिसमें भारत एक सक्रिय भागीदार है।
- **सांस्कृतिक संबंध**- जॉर्डन में भारतीय कला और संस्कृति, विशेष रूप से बॉलीवुड फिल्मों के प्रति गहरी रुचि है।
- **डायस्पोरा-** जॉर्डन में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत 10,000 से अधिक भारतीय रहते हैं।

2006 में, किंग अब्दुल्ला की सफल यात्रा के बाद दोनों देशों के मध्य उच्च राजनीतिक एवं वरिष्ठ आधिकारिक स्तरों पर होने वाली द्विपक्षीय यात्राओं की संख्या में कमी आई है। अभी तक दोनों देश विशाल एवं अप्रयुक्त द्विपक्षीय क्षमता का दोहन करने असफल रहे हैं।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

- रक्षा सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौता।
- भारत और जॉर्डन के मध्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
- जॉर्डन में भावी पीढ़ी के उत्कृष्टता केंद्र (COE) की स्थापना हेतु समझौता।
- रॉक फॉस्फेट और उर्वरक/NPK की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु समझौता।
- राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा सम्बन्धी छूट हेतु समझौता।
- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (CEP)।
- मैनपावर कोऑपरेशन एग्रीमेंट।
- कस्टम्स म्यूचुअल असिस्टेंट एग्रीमेंट।
- आगरा और पेट्रा (जॉर्डन) के मध्य दोहरा समझौता आदि।

भारत के लिए जॉर्डन का महत्त्व

- **फिलिस्तीन (वेस्ट बैंक) तक पहुंच** - फिलिस्तीन तक पहुँच केवल इज़राइल या मिस्र और जॉर्डन के मार्ग से ही की जा सकती है। इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य राजनीतिक मुद्दों के कारण, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र में जाने के लिए जॉर्डन एक महत्त्वपूर्ण कनेक्टिंग पॉइंट बन गया है।
- भारत के समान ही, **जॉर्डन द्वारा इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ विशेष संधियां की गयी हैं।** यह दोनों देशों के प्रति भारत की 'डी-हाइफनेशन' नीति (De-hyphenation policy) का समर्थन करने हेतु और अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। दोनों देश इस विचार का समर्थन करते हैं कि घृणा उत्पन्न करने और आतंकवाद को उचित सिद्ध करने वाले समूहों और देशों द्वारा **धर्म के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ने** के लिए अपनी स्थितियों का समन्वय करना चाहिए। क्षेत्रीय आसूचनाओं को एकत्रित करने और आतंकवाद-विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत के प्रयासों के लिए जॉर्डन एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी है।
- भारत लाल सागर और पूर्वी भूमध्यसागरीय पहुंच के साथ, **लेवंट (Levant) में जॉर्डन की अद्वितीय रणनीतिक अवस्थिति का लाभ उठा सकता है।**
- जॉर्डन उर्वरकों और फॉस्फेट की आपूर्ति के माध्यम से भारत के **खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा** में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पास वृहद् तेल शेल (oil shale) भंडार उपलब्ध हैं।

दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंध भारत की "थिंक वेस्ट" नीति का साक्ष्य है। इस नीति के तहत जॉर्डन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

2.5. भारत अफ्रीका विकास पहलें

(India Africa Development Initiatives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार ने आगामी चार वर्षों (2018-2021) के दौरान अफ्रीका में वर्तमान में संचालित 29 मिशनों के अतिरिक्त, 18 नए मिशन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में वृद्धि करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान को दिशा देने के लिए तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से **इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ़ ओवरसीज इंडियन्स (IDF-OI)** को बंद किया गया है।
- निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक) ने ECOWAS बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट (EBID) को $500 मिलियन की साख सुविधा देने का निर्णय लिया है ताकि पश्चिमी-दक्षिणी अफ्रीका में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सके।

VISION IAS

इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ़ ओवरसीज इंडियन्स (IDF-OI)

- भारत सरकार द्वारा इसे 2008 में एक स्वायत्त **गैर-लाभकारी ट्रस्ट** के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संचालित की जा रही सामाजिक व विकासात्मक परियोजनाओं हेतु ओवरसीज़ भारतीयों द्वारा दी जाने वाली परोपकारपूर्ण सहायता को सुगम बनाना था।
- **यह निधियां जुटाने में व्यापक रूप से असफल रहा है।**

इकनोमिक कम्युनिटी ऑफ़ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (ECOWAS)

- इसकी स्थापना 1975 में 15 पश्चिमी अफ़्रीकी देशों द्वारा लागोस की संधि के माध्यम से **क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से** की गई थी।
- **EBID** एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो दो विंडोज के माध्यम से निजी क्षेत्र की गतिविधियों और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन हेतु वित्तपोषण करता हैं।
- इसका मुख्यालय लोमे (Lome), टोगो गणराज्य में स्थित है।

भारत और अफ्रीका के मध्य विकासत्मक पहलें:

- **इंडियन टेक्निकल एंड इकोनोमिक कोऑपरेशन (ITEC) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं साझीदार देशों के साथ अनुभव साझा करना है। इसके अंतर्गत अफ़्रीकी देशों के अधिकारियों को लगभग 5000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
- **पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क: यह कार्यक्रम भारत और अफ़्रीकी संघ का एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य** अफ़्रीकी देशों को सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों और भारत के सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों से जोड़कर उपग्रह सम्पर्क, टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
- **टेक्नो-इकनोमिक एप्रोच फॉर अफ्रीका-इंडिया मूवमेंट (TEAM–9):**
  - इसे भारत द्वारा ऊर्जा और संसाधन में समृद्ध आठ पश्चिम अफ़्रीकी देशों नामत: बुर्किना फासो, चाड, कोट डी आइवर, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गिनी बिसाऊ, माली और सेनेगल के साथ मिलकर प्रारम्भ किया गया था।
  - इस पहल का लक्ष्य पश्चिमी अफ्रीका के उन अविकसित किंतु संसाधन-समृद्ध देशों को साथ लाना है जिन्हें अपनी अवसंरचना विकास के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी व निवेश की आवश्यकता है।
- **फोकस अफ्रीका:** भारत द्वारा 2002-03 में प्रारंभ किये गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान कर पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देना है।
- **सपोर्टिंग इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अफ्रीका (SITA):** यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा समर्थित एक परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत और चयनित पूर्वी अफ़्रीकी देशों (इथियोपिया, केन्या, रवांडा, यूगांडा तथ तंज़ानिया) के मध्य व्यापार संबंधी लेन-देन के मूल्य में वृद्धि करना है। इसका अंतिम उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका के लोगों हेतु रोजगार एवं आय के अवसर सृजित करना है।
- **अफ़्रीकन डेवलपमेंट बैंक (AfDB) के साथ सहयोग:** भारत 1983 में, AfDB से सम्बद्ध हुआ था। साथ ही भारत इसकी सामान्य पूँजी वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर चुका है। साथ ही, भारत ने अनुदानों और ऋणों के लिए पूँजी प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रकट की है।
- **विकास सहायता:**
  - भारत निर्यात-आयात (Exim) बैंक द्वारा दी जाने वाली लाइन ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से विकास सहायता व पारंपरिक तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस सहायता को प्रमुखतया देश के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
  - **भारत अफ्रीका फोरम समिट (2015)** में, भारत ने अफ़्रीकी देशों में परियोजनाओं के वित्तीयन, क्षमता निर्माण, IT शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की।
- **प्रशिक्षण संस्थान:** भारत विभिन्न अफ़्रीकी देशों व समीपवर्ती क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर चुका है। इनमे कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास से संबंधी संस्थान सम्मिलित है।
- **अन्य पहलें:**
  - **सोलर ममाज (solar mamas)/सोलर माएं:** यह अफ्रीका की ग्रामीण महिला सोलर इंजीनियरों का समूह है जिन्हें भारत सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षत किया गया है। इसका उद्देश्य उन्हें अपने गाँवों में सौर लालटेन व घरेलू सौर प्रकाश प्रणाली का निर्माण, उसकी संस्थापना, प्रयोग, मरम्मत व रखरखाव करने हेतु सक्षम बनाना है।
  - **लाइट अप एंड पावर अफ्रीका पहल** के एक भाग के रूप में, अफ़्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने अफ्रीका में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के साथ साझेदारी की है।

VISION IAS

2.6. भारत अमेरिका सौर विवाद

(India USA Solar Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

WTO ने एक अनुपालन पैनल के गठन पर अपनी सहमति प्रदान की है। यह पैनल इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या भारत ने सौर विवाद मामले पर इसके निर्णय का अनुपालन किया है अथवा नहीं।

पृष्ठभूमि

- भारत ने **2011 में** नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) के अंतर्गत **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन** का शुभारम्भ किया है। इसके अंतर्गत 2022 तक ग्रिड से जुड़ी 20,000 MW सौर ऊर्जा विद्युत् की स्थापना करना था। इसे 2015 में संशोधित कर 100 GW कर दिया गया।
- सरकार ने घरेलू निर्माताओं को ऑर्डर देकर विशाल सौर क्षमता स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 1 करोड़ रूपए तक की **वित्तीय सहायता** का प्रस्ताव दिया है।
- अमेरिका ने 2013 में WTO के पास शिकायत दर्ज की कि भारत का यह कार्यक्रम विभेदात्मक है और इसके कारण भारत को किए जाने वाले **अमेरिकी सौर निर्यातों में 2011 के बाद से 90 प्रतिशत तक की गिरावट आई हैं।** साथ ही, अमेरिका ने WTO में इससे संबंधी एक वाद दायर किया है।
- WTO के सर्वोच्च **अपीलीय निकाय** द्वारा इस निर्णय का समर्थन किया गया कि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) के अंतर्गत निर्धारित डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCRs) चूँकि आयातित उत्पादों पर घरेलू उत्पादों को वरीयता देती हैं। इस प्रकार DCRs, **नेशनल ट्रीटमेंट एवं ट्रेड-रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स (TRIMs)** के कई प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। अत: भारत को 2016 के सौर विवाद में हार का सामना करना पड़ा।
- तत्पश्चात भारत 14 दिसंबर 2017 तक विवाद समाधान निकाय (DSB) की अनुशंसाएं लागू करने पर सहमत हुआ। भारत ने DSB के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह दावा किया कि इसने JNNSM के अंतर्गत नियमों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए हैं तथा विद्युत् खरीद समझौतों के अंतर्गत अब सेलों एवं मोड्यूलों (modules) को घरेलू बाजार से क्रय करने की बाध्यता नहीं है।
- अमेरिका निरंतर अनुपालन संबधी भारतीय दावों से असहमति जताता रहा और इस प्रकार एक अनुपालन पैनल की स्थापना अनिवार्य हो गई।

नेशनल ट्रीटमेंट

नेशनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत, सरकारों को आयातित उत्पादों के प्रति भी वही व्यवहार अपनाना होता है जैसा वे घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों के प्रति करती हैं।

ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स (TRIMs)

यह वस्तुओं के व्यापार के बहुपक्षीय समझौतों में से एक है जो GATT 1994 के मूल प्रावधानों के साथ असंगत व्यापार से सम्बंधित निवेश उपायों (जैसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स) को प्रतिबंधित करता है।

निहितार्थ

- भारत द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अमेरिका द्वारा भारत पर **व्यापार प्रतिबंध** लगाने हेतु WTO की अनुमति की माँग की जा सकती है। हालांकि WTO विवाद व्यवस्था में कानूनी प्रक्रिया एक वर्ष या इससे अधिक समय तक चलने की संभावना है।
- ऐसे विवादों के न केवल भारत अपितु अनेक विकासशील देशों (जो हरित अर्थव्यवस्था को अपनाने हेतु संघर्षरत हैं) के लिए **व्यापक निहितार्थ** हैं। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स की परिकल्पना लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने हेतु नौकरियों के सृजन के लिए की गयी है।

2.7. स्टील एवं एल्युमिनियम पर अमेरिकी आयात ड्यूटी में वृद्धि

(US Import Duty Hike on Steel and Aluminium)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका ने इस्पात पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% आयात शुल्क की घोषणा की।

आयात शुल्क में वृद्धि के प्रभाव

घरेलू रूप से अमेरिका के लिए

- इससे घरेलू स्टील की कीमत में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे कार और इंजीनियरिंग जैसे **उद्योगों की लागत** में वृद्धि होगी।
- यह **मुद्रास्फीति दबाव** उत्पन्न कर सकता है, जिससे उच्च ब्याज दरों एवं डॉलर के मूल्य में वृद्धि होती है।

वैश्विक प्रभाव

- अमेरिका के लिए स्टील एवं स्टील उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता चीन, कनाडा, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और जापान है। ये सर्वाधिक प्रभावित देश हैं, जो प्रतिशोधात्मक उपाय कर सकते हैं। ये **वैश्विक व्यापार संघर्ष** को प्रेरित कर सकते हैं।

VISION IAS

- ऐसे कार्यों से WTO के नियमों का उल्लंघन हो रहा हैं। ये आगे चलकर बहुपक्षीय व्यापार तंत्र को कमजोर बना देंगे।
- स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकी ड्यूटी का अर्थ है कि **अधिशेष** को निम्न कीमत पर कुछ अन्य देशों में डंप करना होगा।

भारत पर प्रभाव

- इस कदम से भारत पर अल्पावधि में प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि-
  - 2017 में अमेरिका को किया गया भारतीय स्टील और एल्युमिनियम का निर्यात कुल निर्यात के 5% से भी कम है।
  - घरेलू खपत में अपेक्षित वृद्धि से अमेरिका में निर्यात में कमी आएगी।
- हालांकि, यदि इसमें वृद्धि होती है और अन्य देश भी ऐसा करना शुरू करते हैं तो विश्व व्यापार दुष्प्रभावित होगा और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। एशियाई उत्पादक, यहां मांग देखकर अपने उत्पादों को डंप कर सकते हैं या आयात में उछाल ला सकते हैं।

2.8. अफगानिस्तान द्वारा तालिबान के समक्ष शांति प्रस्ताव

(Afghanistan Makes A Peace Offer To Taliban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान ने तालिबान के समक्ष सशर्त वार्तालाप के प्रस्ताव की पेशकश की है और समझौते में विद्रोहियों को एक वैध पक्ष के रूप में निर्दिष्ट करने तथा 16 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने के लिए एक अनुबंध का प्रस्ताव किया है।

काबुल पीस प्रोसेस (Kabul Peace Process)

- यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 23 देशों, EU, UN और NATO का एक सम्मेलन है।

पृष्ठभूमि

- इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान, दक्षिण-मध्य एशिया में एक स्थलबद्ध देश है। यह रेशम मार्ग और प्रवासन का प्राचीन केंद्र बिंदु था। यह एक महत्त्वपूर्ण भू-सामरिक स्थान है, जो पूर्व और पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व को जोड़ता है।
- अफगानिस्तान की स्थापना विभिन्न जातीय और धार्मिक निरंकुश शासकों जैसे-पश्तून-सुन्नी (पाकिस्तान के पश्चिमी सीमांत प्रांत और पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित), हजारा-शिया (ईरान की ओर), उज्बेक और ताजिक (मध्य में स्थित) द्वारा हुई है।
- 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण और 1989 में उनकी वापसी सहित अफगानिस्तान पिछले 40 वर्षों से उथल-पुथल की स्थिति में रहा है।
- तालिबान 1996 में सत्ता में आया और बाद में 2001 में अल-कायदा का मुकाबला करने के प्रयास में **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF)** द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया।
- तालिबान ने अपनी पहुंच का तीव्रता से विस्तार किया है क्योंकि U.S.और NATO सेना ने औपचारिक रूप से 2014 के अंत में अपने युद्ध मिशन समाप्त कर दिये तथा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) के गठन के पश्चात् ये सहायता एवं आतंकवाद विरोधी भूमिका में परिवर्तित हो गये।
- वर्तमान **काबुल पीस प्रोसेस** में, अफगानिस्तान ने युद्धविराम के बदले में प्रस्ताव दिया है कि सरकार तालिबान के सदस्यों को "शांतिपूर्ण और सम्मानित जीवन", राजनीतिक मान्यता, कैदी रिहाई, तालिबान के सदस्यों को पासपोर्ट और उनके परिवारों को वीजा देने की अनुमति देने के साथ ही काबुल में कार्यालय हेतु स्थान भी उपलब्ध कराएगी।

अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में चुनौतियां:

- 2014 के अंत में इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (ISAF) द्वारा अफगानिस्तान में अपने मिशन की समाप्ति के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों द्वारा अफगान बलों को "सलाह, प्रशिक्षण और सहायता" के लिए ऑपरेशन रिसोल्यूट सपोर्ट शुरू किए जाने के पश्चात आत्मघाती बमबारी के कारण **युद्ध और मारे गए नागरिकों की संख्या में वृद्धि** हुई है।
- **IS का उदय:** आतंकवादियों पर कार्यवाही करने के अफगान सरकार के दावों के बावजूद, IS और तालिबान के खतरों में वृद्धि हुई हैं। इन दोनों का लक्ष्य राष्ट्र को अस्थिर करना तथा अराजकता की ओर ले जाना हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति में विफलता:** संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता, अफगानिस्तान में सेना की उपस्थिति, वायु सेना का अंधाधुंध प्रयोग या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में एक समेकित रणनीति विकसित करने में असफल रहा है।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** पाकिस्तान का तालिबान एवं उसके सहयोगियों के साथ हक्कानी नेटवर्क से प्रत्यक्ष संबंध है। साथ ही पाकिस्तान इसके भूभाग में आतंकवादी समूहों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है।
- **नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) की वैधानिकता** कमजोर प्रतीत होती है। इसका कारण मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और राष्ट्रपति अशरफ ग़नी के बीच संघर्ष, भ्रष्टाचार, निर्वाचन सुधारों के कार्यान्वयन की कमी और तालिबान द्वारा अफगान सरकार से वार्ता करने हेतु इनकार करना है। ध्यातव्य है कि तालिबान, अफगान सरकार को कृत्रिम, विदेशों द्वारा थोपी गई सरकार समझता है और इसका मानना है कि यह सरकार अफगान के लोगों की प्रतिनिधि सरकार नहीं है।

इन सभी कारकों ने तालिबान के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ता में योगदान दिया है। यह देश में आधे से अधिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

- अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि यह "इंट्रा-अफगान डायलाग के माध्यम से शांति हेतु दृढ़ता से इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है"।
- भारत, अफगान के नेतृत्व एवं स्वामित्व वाली शांति एवं सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता है जिसे रूस और चीन से भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
- संयुक्त राज्य ने एक **नई क्षेत्रीय रणनीति** को भी आरम्भ किया है। इस नीति के तहत उसने अफगान सेना को सहायता प्रदान की है और तालिबान के विरुद्ध वायु हमलों में वृद्धि की है। इसने प्रतिरोध तोड़ने के क्रम में विद्रोहियों को बातचीत करने के लिए बाध्य किया है।
- लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तालिबान तब तक सरकार के साथ वार्ता करने के लिये तैयार नही है जब तक कि सभी विदेशी ताकतों की अफगानिस्तान से वापसी नहीं हो जाती तथा अभी भी तालिबान स्वयं को एक निर्वासित सरकार के रूप में संदर्भित करता है।

2.9. भारत और चीन के संबंधों में तिब्बत कारक

(Tibet Factor in India China Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकारी पदाधिकारियों को दलाई लामा के भारत आगमन के 60वें वर्ष के प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में आयोजित थैंक यू इंडिया प्रोग्राम 2018 में सम्मिलित नहीं होने के लिए कहा गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तिब्बत, उत्तर में चीन के तुर्किस्तान और मंगोलिया; पूर्व में चीन; दक्षिण में बर्मा, भारत (सिक्किम), भूटान एवं नेपाल; और पश्चिम में भारत (जम्मू और कश्मीर) से घिरा हुआ है।

- **1912**- चीन के साथ सैन्य संघर्ष के पश्चात् तिब्बत ने स्वयं को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया था।
- **1951**- चीन ने तिब्बत को **"सेवेंटीन पॉइंट एग्रीमेंट" (Seventeen Point Agreement)** पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। इस समझौते के तहत तिब्बती स्वायत्तता और बौद्ध धर्म के सम्मान की गारंटी प्रदान की गयी। परन्तु साथ ही इस समझौते के तहत ल्हासा में चीन के असैनिक (सिविल) और सैन्य मुख्यालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया।
- **1954**- भारत ने तिब्बत में भारत के ब्रिटिश-विरासत में प्राप्त राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों का त्याग किया तथा बिना किसी मांग के उसके एकीकरण को स्वीकार कर लिया।
- **1959**- दलाई लामा और उनके मंत्रियों द्वारा भारत आकर मसूरी के उत्तर भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में तिब्बती निर्वासित प्रशासन (**सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन-CTA**) की स्थापना की। इसके परिणामस्वरूप, भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ।
- **1965** - चीन की सरकार ने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (TAR) की स्थापना की। यह तिब्बत को अनिवार्य रूप से चीन जनवादी गणराज्य के अंतर्गत एक प्रांत के रूप में स्थापित करता है।
- वर्तमान में CTA, धर्मशाला के उपनगर मैक्लॉडगंज से कार्य करता है। भारत ने तिब्बतियों के पुनर्वास में मुख्य भूमिका निभाई है।

भारत और चीन के मध्य विवाद के मुख्य कारण के रूप में तिब्बत

- 1951 में, तिब्बत पर चीन के आधिपत्य ने दो एशियाई शक्तियों के मध्य बफर जोन को समाप्त कर दिया और सीमा विवाद को प्रतिद्वंद्विता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके अतिरिक्त, 1956 के अंत में तिब्बत में चीनी सैनिकों के प्रवेश ने इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया।
- हाल ही में, तिब्बत में चीन के सैन्य निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ तिब्बत से उद्गमित और भारत में बहने वाली नदियों के मार्ग परिवर्तन या बांध संबंधी योजनाओं ने भारत की चिंताओं में वृद्धि की।
- इसके विपरीत भारत, दलाई लामा की भारत में उपस्थिति के संभावित निहितार्थ और भारत में बड़ी संख्या में निवास करने वाले तिब्बती शरणार्थियों द्वारा तिब्बत में चीन के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से संबंधित चीन की असुरक्षा को कम में असमर्थ रहा है।

निष्कर्ष

- भारत को तिब्बत के ऊपर चीन के 1954 के दावे को स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उसके बदले में उस क्षेत्र हेतु चीन से वास्तविक अर्थों में स्वायत्तता की मांग करनी चाहिए। ऐसा करके वह तिब्बत मामले में फिर से अपनी पकड़ बना सकता है।
- लेकिन दूसरी तरफ, कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि 1959 के बाद तिब्बत में अत्यधिक परिवर्तन हुए है और भारत को तिब्बत के संबंध में अपनी रणनीति को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय रूप से बदलना चाहिए:
  - तिब्बत में अवसंरचनात्मक विकास, उदाहरण के लिए बीजिंग-ल्हासा रेलवे लाइन,
  - चीन के बहुसंख्यक 'हान' चीनी श्रमिकों का तिब्बत प्रवासन
  - तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म के चीन-समर्थित काग्यु संप्रदाय को चीन द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना और
  - तिब्बत से शरणार्थियों की संख्या में आई कमी से ज्ञात होता है कि तिब्बत में 1959 के बाद कई परिवर्तन हुए हैं।

समुदाय की पहुँच, सर्वेक्षण और जनमत संग्रह की तत्काल आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय की भविष्य की आंकाक्षाओं को जानना चाहिए क्योंकि यह संभव है कि तिब्बत कार्ड का प्रयोग करने का भारत का वर्तमान दृष्टिकोण वास्तविकता के अनुरूप नहीं हो।

2.10. चीन के संविधान में संशोधन

(Amendment In China's Constitution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (चीन की विधायिका) द्वारा देश के संविधान में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के लिए दो कार्यकाल की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। यह संशोधन राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संभवतः जीवनपर्यंत पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

- यह गत 14 वर्षों में देश के मौलिक कानून में प्रथम संशोधन है।
- चीनी जनवादी गणराज्य ने **1954 में** माओ के काल में अपना प्रथम संविधान अधिनियमित किया था।
- 1988 से 1999 तक, किए गये संशोधनों में **"योजनागत अर्थव्यवस्था"** को **"समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था"** से प्रतिस्थापित करना तथा डेंग ज़ियाओपिंग थ्योरी का समायोजन शामिल था।
- **2004 में** किए गए नवीनतम संशोधन द्वारा निजी संपत्ति एवं मानवाधिकारों को सुरक्षा और **थ्योरी ऑफ़ थ्री रिप्रेजेंट्स** (Theory of Three Represents) को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी।

चीन में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया

चीन के संविधान में कोई भी परिवर्तन या तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति द्वारा या सम्पूर्ण NPC के 1/5 से अधिक प्रतिनिधियों (deputies) द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इसके बाद वार्षिक सत्र के दौरान दो तिहाई या अधिक प्रतिनिधियों (deputies) की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

संबंधित विवरण

- 2018 के वर्तमान संविधान संशोधन प्रस्ताव में एक **नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचार** को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। **शी से पूर्व, केवल PRC के संस्थापक सदस्य अर्थात् माओ जेदोंग और देंग शियाओ पिंग ने संविधान में अपनी निजी विचारधाराओं को शामिल किया था।**
- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के रूप में नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन को संविधान में एक नए प्रकार के सरकारी अंग के रूप में शामिल किया गया है।
- चीन द्वारा अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए जीरो-सम गेम के पुराने दृष्टिकोण के स्थान पर **विन-विन कोऑपरेशन** को अपनाया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका उदाहरण है।

शी के नेतृत्व के तहत चीन

- एक सर्वोच्च नेता के रूप में, शी जिनपिंग देश के **सभी 3 सबसे महत्वपूर्ण पदों** पर बने हुए हैं अर्थात वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (चीन में केवल एक पार्टी मौजूद है) के जनरल सेक्रेटरी, चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति (2013 से) और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष हैं।
- उन्होंने **भ्रष्टाचार विरोधी अभियान** प्रारंभ किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके अधिकांश प्रतिद्वंद्वियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
- 60 से अधिक देशों में विस्तारित **वन बेल्ट वन रोड परियोजना**, शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित योजना है।

- उन्होंने **चाइना ड्रीम विज़न** को 'चीन राष्ट्र के महान कायाकल्प' के रूप में प्रचारित किया।
- शी के कार्यकाल के तहत, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की स्थिति और **अधिक सुदृढ़** हो गयी है।
- वह 2017 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने वाले **चीन के प्रथम राष्ट्रपति** बने।

चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद' का विकास

- **माओ जेदोंग का दर्शन** चीन की विशिष्ट स्थितियों के साथ मार्क्सवाद लेनिनवाद के सार्वभौमिक सिद्धांत को एकीकृत करना था। माओ के अनुसार **किसानों को चीन में मजदूर वर्ग के नेतृत्व में उत्पन्न क्रांतिकारी ऊर्जा के संरक्षक के रूप में** कार्य करना चाहिए।
- **देंग शियाओ पिंग का सिद्धांत**, समाजवादी आधुनिकीकरण के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ जेदोंग की विचारधारा के सार्वभौमिक सिद्धांतों को एकीकृत करना और इसे नई ऐतिहासिक परिस्थितियों के तहत विकसित करना था।
- **जियांग जेमिन की "थ्योरी ऑफ द थ्री रिप्रज़ेन्ट"** के अनुसार CPC द्वारा सदैव 3 मूल्यों का अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये मूल्य हैं- चीन के उन्नत उत्पादक बलों की विकास प्रवृत्ति, चीन की उन्नत संस्कृति का अभिविन्यास और चीन में बहुमत वाले लोगों के मौलिक हित।
- **शी जिनपिंग के विचार-**

इसमें निम्न शामिल हैं-

  - "चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद" तथा **"देश के स्वामी के रूप में जनता"** के दृष्टिकोण का अनुसरण।
  - विज्ञान आधारित विकास के नए विचारों को अपनाना।
  - **"पूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण"** के भविष्य के साथ हांगकांग और मकाऊ के लिए **एक राष्ट्र दो शासन** प्रणालियों को बढ़ावा देना और **ताइवान** के लिए **एक चीन नीति** तथा **1992 की सर्वसम्मति** का पालन करना।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना** और इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।

2.11. दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP)

(South Asia Cooperative Environment Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण के सम्बन्ध में सहयोग हेतु भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (साउथ एशिया कोआपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम :SACEP) के मध्य एक समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की।

समझौता ज्ञापन (MoU) से सम्बंधित विस्तृत विवरण

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र से संलग्न अन्य समुद्र तटीय देशों के मध्य निकट सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- भारत सरकार की ओर से भारतीय तटरक्षक बल (ICG), तेल और अन्य रासायनिक पदार्थों के रिसाव पर अनुक्रिया हेतु नोडल एजेंसी होगी।
- ICG के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCCs) समुद्री घटनाओं हेतु राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया केंद्र होंगे।

दक्षिण एशियाई समुद्री कार्यक्रम (South Asian Seas Programme)

यह UNEP के 18 क्षेत्रीय समुद्री कार्यक्रमों में से एक है। दक्षिण एशियाई समुद्री कार्यवाही योजना, मार्च 1995 में अपनाई गई थी। आज इसे इस क्षेत्र के पाँच देशों (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका) का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

SACEP के संबंध में

- यह एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना दक्षिण एशिया की सरकारों द्वारा 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य **इस क्षेत्र में पर्यावरण** की सुरक्षा, प्रबंधन और वृद्धि को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना है।
- यह दक्षिण एशियाई समुद्री कार्यक्रम (SASP) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका SACEP के सदस्य देश हैं।

2.12. सिंधु जल संधि

(Indus Water Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** की 114 वीं बैठक थी। PIC, 1960 में दोनों देशों के मध्य सिंधु जल संधि (IWT) के हस्ताक्षरित होने के बाद से ही सिंधु नदी के जल बंटवारे के मुद्दे का अवलोकन कर रहा है।
- पाकिस्तान ने चेनाब बेसिन स्थित भारत की पकलदुल (1000 MW), रातले (850 MW) और लोअर कलनाई (48 MW) परियोजनाओं पर चिंता प्रकट की है तथा दावा किया है कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती हैं।
- भारत के अनुसार इन परियोजनाओं का प्रारूप संधि के अनुसार हैं। ये प्रवाहित हो रहे नदी जल (रन ऑफ़ द रिवर) पर बनाई गई परियोजनाएं हैं। संधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

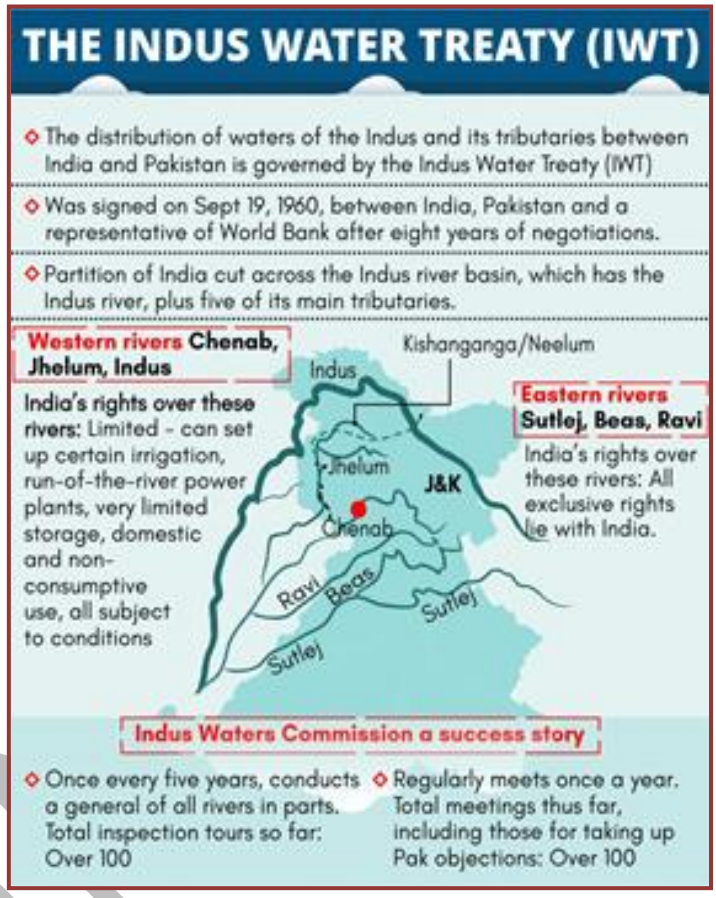

सिंधु जल संधि के संबंध में

- इस संधि के अनुसार, तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया था। जबकि तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। संधि के अंतर्गत भारत को सिंधु नदी के जल का मात्र 20% भाग ही सिंचाई, विद्युत निर्माण एवं परिवहन हेतु प्रयोग करने की अनुमति है।
- इसे विश्व की **सर्वाधिक सफल संधियों** में गिना जाता है। इसका कारण है कि भारत-पाकिस्तान के मध्य विभिन्न युद्धों एवं अन्य मुद्दों के बावजूद इसका अस्तित्व बना हुआ है। इस संधि द्वारा प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के अंतर्गत कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिकांश मतभेदों और विवादों का समाधान किया गया है।
- **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** की स्थापना एक द्विपक्षीय आयोग के रूप में इस संधि के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन हेतु की गई थी। यह आयोग जल बंटवारे से संबंधी विवादों का भी समाधान करता है। इसकी पिछली बैठक मार्च 2017 में इस्लामाबाद में हुई थी।
- सिंधु जल संधि से सम्बंधित "विवादों" और "मतभेदों" के संबंध में विश्व बैंक की भूमिका किसी एक देश अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा निवेदन किए जाने पर कुछ भूमिकाओं के निर्वहन हेतु प्रतिनिधियों की नियुक्ति (designation) करने तक सीमित है।

2.13. रूपपुर नाभिकीय विद्युत् संयंत्र

(Rooppur Nuclear Power Plant)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश में रूपपुर नाभिकीय विद्युत् संयंत्र के विकास हेतु भारत, रूस और बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

रूपपुर नाभिकीय विद्युत् संयंत्र

- इसमें प्रत्येक 1200 मेगावाट की क्षमता युक्त दो इकाइयां स्थापित की जाएंगी। यह पद्मा नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण रूस और बांग्लादेश द्वारा 2005 में हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत किया जा रहा है।
- इसकी लागत का 90% रूस द्वारा वहन किया जा रहा है तथा बांग्लादेश को इसकी लागत का भुगतान 10 वर्षों की रियायत अवधि के साथ 30 वर्षों में करना होगा।
- यह बांग्लादेश में स्थापित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर होगा। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा देश है जहां असैन्य नाभिकीय संयंत्र स्थापित होगा।
- रूपपुर परमाणु उर्जा संयंत्र (NPP) 3+ जेनेरेशन प्रौद्योगिकी का वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर होगा अर्थात इसका विकास 'फुकुशिमा घटना के पश्चात' एक नाभिकीय विद्युत् संयंत्र के लिए सुरक्षा मानकों का उपयोग करके किया गया है।

समझौते पत्र के महत्वपूर्ण पहलू

- रूपपुर नाभिकीय विद्युत् संयंत्र रूस की स्टेट एटॉमिक एनर्जी कार्पोरेशन रोसाटोम (Rosatom) द्वारा बनाया जाएगा और न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा इसके निर्माण, स्थापना एवं आधारभूत संचालन में सहायता की जायेगी।
- रूस द्वारा उपकरण की डिजाइनिंग, विनिर्माण और आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, स्टार्ट-अप और समायोजन तथा कमीशनिंग की जायेगी।
- भारत द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण, परामर्श सहायता प्रदान की जाएगी तथा निर्माण एवं स्थापना गतिविधि में भागीदारी के साथ बांग्लादेश में स्थित साइट पर गैर-महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
- किसी अन्य देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए भारत-रूसी समझौते के तहत यह प्रथम पहल है।
- यह रोसाटोम द्वारा टर्न-की (turnkey) आधार पर विकसित किया जा रहा है जिसके तहत कांट्रेक्टर समग्र परियोजना को पूरा करने और संयंत्र में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी होगा।

2016 तक, भारत ने 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, फ्रांस, जापान, कज़ाखस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वियतनाम।

भारत के लिए महत्व

- भारत के NSG का सदस्य नहीं होने के बावजूद, रूपपुर नाभिकीय विद्युत् संयंत्र के विकास में रूस के साथ भारत की साझेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह एक **उत्तरदायी परमाणु साझेदार** के रूप में भारत की पहचान में वृद्धि करता है।
- यह पहली बार है कि भारत द्वारा किसी अन्य देश में नाभिकीय विद्युत् परियोजना में सहभागिता की जाएगी। इस प्रकार भारत में कुछ नाभिकीय विद्युत् संयंत्र उपकरण के निर्माण के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह NSG और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए भारत के स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकता है।

2.14. ऑस्ट्रेलिया का 457 वीजा

(AUSTRALIA'S 457 VISA)

सुर्खियों में क्यों ?

ऑस्ट्रेलिया ने कुशल विदेशी श्रमिकों, विशेष रूप से भारतीयों द्वारा प्रयुक्त 457 वीजा श्रेणी उप-वर्ग को समाप्त कर दिया है।

सम्बंधित अन्य तथ्य

- इसे टेम्परारी स्किल शॉर्टेज (TSS) वीज़ा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यह विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में सहायता करेगा।
- TSS वीज़ा कार्यक्रम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में दो वर्ष के लिए वीजा जारी होगा जबकि चार वर्ष के लिए मीडियम टर्म वीजा सिर्फ कुशल पेशेवरों की भारी कमी होने की स्थिति में ही जारी किया जाएगा।
- अल्पकालिक TSS वीजा धारक स्थायी निवास के लिए आवेदन करने हेतु योग्य नहीं हैं। न्यूनतम 3 वर्षों अवधि तक TSS वीजा प्राप्त करने के पश्चात मध्यम या दीर्घकालिक TSS वीजा धारक स्थायी निवास हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2.15 UN ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट

(UN Broadband Commission For Sustainable Development)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, ब्रॉडबैंड कमीशन को सौंपी गई विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में ब्रॉडबैंड गैप को समाप्त करने की अनुशंसा की गई।

UN ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट

- इसे ITU और UNESCO द्वारा मई 2010 में ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर डिजिटल डेवलपमेंट के रूप में स्थापित किया गया।
- सितम्बर 2015 में, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के पश्चात्, आयोग को ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में पुनः प्रारंभ किया गया।
- **उद्देश्य:** इंटरनेशनल पॉलिसी एजेंडा में ब्रॉडबैंड के महत्व को प्रोत्साहित करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु प्रत्येक देश में ब्रॉडबैंड तक पहुंच का विस्तार करना।
- **रिपोर्ट:** 'स्टेट ऑफ ब्रॉडबैंड' आयोग द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है।

रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य

रिपोर्ट में **चार प्रमुख विषयों** का समाधान करते हुए नीति निर्माताओं और नियामकों के लिए विशिष्ट कार्यवाहियां निर्धारित की गई हैं:

- अनुकूल निवेश परिवेश।
- अवसंरचना आपूर्ति की निम्न लागत।
- ICT बाजारों की बेहतर कार्यप्रणाली।
- आपूर्ति और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु मांग को उदार बनाना।

ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2025 के लक्ष्य:

2025 तक

- सभी देशों में एक वित्त पोषित राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना या रणनीति होनी चाहिए और उनकी सार्वभौमिक पहुंच एवं सेवाओं की परिभाषा में ब्रॉडबैंड शामिल होना चाहिए।
- विकासशील देशों में प्रारंभिक स्तर पर ब्रॉडबैंड सेवाओं को प्रति व्यक्ति मासिक सकल राष्ट्रीय आय के 2% से कम करके वहनीय बनाना चाहिए।
- ब्रॉडबैंड-इंटरनेट यूजर पेनेट्रेशन की पहुंच के लक्ष्य निम्नलिखित होने चाहिए:
  - वैश्विक स्तर पर 75%
  - विकासशील देशों में 65%
  - अल्प विकसित देशों में 35%
- 60% युवाओं और वयस्कों को संधारणीय डिजिटल कौशल में कम से कम न्यूनतम स्तर की दक्षता प्राप्त होनी चाहिए।
- विश्व की 40% जनसंख्या को डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।
- सभी लक्ष्यों में लैंगिक समानता प्राप्त की जानी चाहिए।

इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (ITU) से संबंधित तथ्य

- इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है।
- सरकारों और निजी क्षेत्र के वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में इसकी भूमिका विश्व के तीन संचार प्रसार क्षेत्रों यथा रेडियो संचार, मानकीकरण और विकास में सहायता प्रदान करने की है।
- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम एवं उपग्रह कक्षाओं का आबंटन तथा नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकियों के निरंतर अंतर्संबंध को सुनिश्चित करने वाले तकनीकी मानकों का विकास करती है। इसके साथ ही, यह विश्वभर के अल्पसेवित समुदायों की ICTs तक पहुँच में वृद्धि का प्रयास करती है।

(डिजिटल डिवाइड के बारे में अधिक जानकारी हेतु दिसम्बर करेंट अफेयर्स का पृष्ठ 68 देखिए)

2.16. विदेश आया प्रदेश के द्वार

(Videsh Aya Pradesh Ke Dwaar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विदेश मंत्रालय** ने हैदराबाद में 'विदेश आया प्रदेश के द्वार' नामक नई पहल की शुरुआत की है।

विवरण

- यह **वर्धित सार्वजनिक कूटनीतिक पहुँच** का भाग है जो सामान्य लोगों को विदेशी नीति के उद्देश्यों से परिचित करवाएगा।
- विदेश मंत्रालय, विदेश नीति की प्राथमिकताओं के सरल शब्दों में संवाद हेतु **स्थानीय मीडिया के साथ प्रत्यक्ष बातचीत** करेगा। साथ ही यह सामान्य लोगों के मध्य राजनयिक प्रयासों के माध्यम से अर्जित **लाभों** को व्यक्त करने के साथ उन्हें विदेशी नीति के कार्यक्षेत्र के समीप लाएगा।
- इसका अभिप्राय **विदेश नीति में रूचि रखने वाले मीडिया पेशेवरों का एक समूह** बनाकर विदेश मंत्रालय से सम्पर्क के संबंध में उनका मार्गदर्शन करना है।

2.17. स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम

(Study in India Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम को स्वीकृति प्रदान की है।

उद्देश्य

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य आकर्षक शिक्षा गंतव्य के रूप में भारत की ब्रांडिंग कर विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण

- मेधावी विदेशी छात्रों को शुल्क में रियायत प्रदान की जाएगी।
- योग्य छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर संस्थान द्वारा चयनित किया जाएगा। उदाहरण के लिए शीर्ष 25% छात्र को ट्यूशन फीस में 100% की शुल्क रियायत प्राप्त होगी।
- क्रॉस-सब्सिडी के माध्यम से या पहले से विद्यमान वित्तीय संसाधनों के माध्यम से शुल्क रियायत पर किये जाने वाले व्यय को **संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा**।
- इस कार्यक्रम हेतु सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त नकद राशि प्रस्तावित नहीं है।

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. कृषि निर्यात नीति का मसौदा

(Draft Agriculture Export Policy)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि निर्यात नीति का मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- भारत का कृषि निर्यात बास्केट, विश्व-कृषि व्यापार के 2% से अधिक (अनुमानित रूप से 1.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) हेतु उत्तरदायी है।
- वर्तमान में भारत, वैश्विक रूप से प्रमुख निर्यातकों **में नौवें स्थान** पर है (विश्व व्यापार संगठन 2015)।
- 2007 और 2016 के मध्य चीन (8%), ब्राजील (5.4%) और अमेरिका (5.1%) की तुलना में भारतीय कृषि निर्यात में 9% की वृद्धि हुई है।
- मसौदा नीति, किसानों की आय को दोगुना करने तथा कृषि निर्यात के भाग को वर्तमान लगभग 30 बिलियन से बढ़ाकर 2022 तक 60 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक करने की मांग करती है।

नीति की आवश्यकता

- **कम निर्यात:** अमेरिका में 25% एवं चीन में 49% की तुलना में भारत की कृषि निर्यात बास्केट में मूल्य वर्धित कृषि उपज की मात्रा 15% से कम है।
- **निर्यात संबंधी अस्वीकृतियाँ:** अन्य विकासशील देशों के उत्पादों की तुलना में भारतीय कृषि उपज अधिक **अस्वीकृतियों का सामना करती है** (ICRIER 2017)।
- **एकरूपता का अभाव:** गुणवत्ता एवं मानकीकरण में **एकरूपता के अभाव तथा** मूल्य श्रृंखला में होने वाली हानियों में कमी करने में अपनी असमर्थता के कारण भारत **अपनी बागवानी उपज** की **अधिकांश मात्रा** का निर्यात करने में असमर्थ है।
- **अधोमुखी प्रवृत्ति: देश को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में** कपास, तिलहन, गोजातीय मांस और अनाज का मुख्य योगदान था। वर्तमान में इनके उपभोग और व्यापार में गिरावट की वैश्विक प्रवृत्ति दर्ज की गई है।

कृषि निर्यात नीति का मसौदा फ्रेमवर्क

- **रणनीतिक उपाय**
  - **नीतिगत उपाय –** इसमें प्रतिबंध या न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिरोपण से मुक्त **स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था;** नाशवान वस्तुओं को APMC एक्ट के दायरे से हटाने एवं मण्डी शुल्क को युक्तिसंगत बनाने हेतु APMC एक्ट में सुधार करना तथा मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम के प्रावधान के तहत भू-स्वामियों के अधिकारों के साथ समझौता किए बिना **भूमि को पट्टे पर देने संबंधी मानदंडों का उदारीकरण** करना सम्मिलित हैं।
  - **अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक को प्रोत्साहन–** इसमें नाशवान वस्तुओं के लिए 24x7 सीमा शुल्क निकासी, हिन्टरलैंड कनेक्टिविटी में वृद्धि, बेहतर कार्गो हैंडलिंग आदि हेतु समर्पित कृषि अवसंरचना युक्त पत्तन विकास सम्मिलित हैं।
  - **संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण–** यह नीति खेत के स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण तथा कृषि श्रृंखला को समाविष्ट करने वाले विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय का समर्थन करती है। यह बेहतर किस्मों, मानक व्यवस्था की स्थापना करने, SPS एवं TBT अवरोधों के प्रति अनुक्रिया करने, प्रतिस्पर्धा में बेहतर लाभ प्रदान करने वाले क्षेत्रकों की पहचान करने आदि हेतु शोध एवं विकास के मुद्दों का समाधान करेगी।
  - **कृषि निर्यात में राज्य सरकार की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी:** कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु नोडल राज्य विभाग/एजेंसी की पहचान करना तथा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्पाद विशिष्ट क्लस्टरों के विकास के साथ-साथ कृषि निर्यातों को राज्य निर्यात नीति में सम्मिलित करना।
- **परिचालनात्मक उपाय**
  - **क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित करना:** यह नीति किसान उत्पादक संगठन की स्थापना करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं भू-मानचित्रण तथा संक्रमण कृषि निर्यात ज़ोन (AEZs) युक्त उपयुक्त उत्पादन क्लस्टरों की पहचान का समर्थन करती है।
  - **मूल्य वर्धित निर्यातों को बढ़ावा देना-** यह जैविक निर्यात क्षेत्र/ जैविक खाद्य पार्क की स्थापना, जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग, जैविक और सांस्कृतिक उत्पादों के लिए एक समान पैकेजिंग एवं गुणवत्ता प्रोटोकॉल मानक के विकास को सम्मिलित करती है। इसके अतिरिक्त, SHEFEXIL के तहत गैर वन उपज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है।

VISION IAS

- **"भारतीय उपज" का विपणन और संवर्धन-** जैविक उत्पादों, विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पादों एवं भौगोलिक संकेतक उत्पादों के लिए **उत्पाद विशिष्ट बाजार अभियान** एवं पृथक निधि होनी चाहिए।
- **उपज के लिए सुचारु लॉजिस्टिक संचलन हेतु पोस्ट-हार्वेस्ट (post-harvest) अवसंरचना–** इसमें ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस उपाय अपनाना, नाशवान वस्तुओं के लिए सागरीय प्रोटोकॉल का विकास करना आदि सम्मिलित हैं।
- **सुदृढ़ गुणवत्ता व्यवस्था की स्थापना–** यह हमारी अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु मान्यता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हुए, घरेलू और निर्यात बाजार के लिए एकल आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और रखरखाव को सम्मिलित करती है।
- **अन्य उपाय –** इसमें आत्मनिर्भरता और निर्यात उन्मुख उत्पादन, एग्री-स्टार्टअप निधि का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के लिए कार्य योजना तैयार करना, जैविक उपज के निर्यात का समर्थन करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशक्त अवसंरचना युक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, निर्यात संवर्द्धन हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करना आदि सम्मिलित हैं।

SHEFEXIL- शलैक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल

- यह गैर-काष्ठ वन उपज जैसे कि वनस्पति रस एवं अर्क, ग्वार गोंद, तिल के बीज, जड़ी बूटियों आदि के लिए नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है।
- यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नोडल निर्यात संवर्धन परिषद है।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है।

3.2. नीति आयोग द्वारा कृषि हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य मॉडल

(Farm Msp Models By Niti Aayog)

सुर्खियों में क्यों?

- वर्तमान बजट में, सरकार ने किसानों के लिए सभी कृषि फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने की घोषणा की है। इस को दृष्टिगत रखते हुए, नीति आयोग ने तीन मॉडल प्रस्तुत किये हैं।

विवरण

- तीन मॉडल इस प्रकार हैं:
  - **बाजार आश्वासन योजना:** यह राज्यों द्वारा खरीद, राज्यों को खरीद के बाद की क्षतियों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुछ सीमा तक क्षतिपूर्ति तथा उन्हें खरीदी गई उपज की बिक्री से मूल्य प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
  - **मूल्य न्यूनता खरीद योजना**: इसके अंतर्गत, यदि बिक्री मूल्य एक मॉडल मूल्य से नीचे है तो किसानों को MSP एवं वास्तविक मूल्य के बीच अंतर के समान क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। यह क्षतिपूर्ति एक ऊपरी सीमा के अधीन होगी। यह सीमा MSP के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। यदि पड़ोसी राज्यों में मॉडल मूल्य, MSP से उच्च है तो कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
    - मध्य प्रदेश इस योजना को भावान्तर भुगतान योजना (BBY) के रूप में लागू कर रहा है। (जनवरी 2018 के करेंट अफेयर्स देखें)।
  - **निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना:** इसके अंतर्गत, निजी उद्यमियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। सरकार इन उद्यमियों को कुछ नीतिगत और कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। निजी प्रतिभागी को राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नामित किया जाता है।
- राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक या अधिक विकल्प अपना सकते हैं। तथापि, एक ही फसल के लिए तीनों विकल्पों को लागू नहीं किया जा सकता है।
- किसी भी मॉडल को अंतिम रूप देने से पहले, सरकार को राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना होगा। NCF के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए।

निजी खरीद के सकारात्मक प्रभाव

- यह सरकार के लिए राजकोषीय निहितार्थों को कम करेगा।
- यह निजी संस्थाओं को कृषि विपणन में भागीदारों के रूप में समाविष्ट करेगी एवं बाजार में प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगी।
- यह भंडारण के लिए सरकार के उत्तरदायित्व को भी सीमित करेगी तथा खरीद के बाद प्रबंधन एवं बिक्री की जिम्मेदारी से भी बचा जा सकेगा।

परन्तु, चिंताएं यह हैं कि यह पहले के प्रयासों की तरह विफल हो सकता है क्योंकि निजी क्षेत्र को भण्डारण और मालगोदाम हेतु बैक-एंड सुविधाएं तो सौंपी गई हैं लेकिन उनके पास कृषि वस्तुओं की थोक खरीद करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

VISION IAS

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद

- न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलों की खरीद करती है, चाहे फसलों का मूल्य जो भी हो।
- हमारे देश में, खरीफ और रबी सत्र की निश्चित कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (**MSP**) की घोषणा **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** की अनुशंसाओं के आधार पर **भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)** द्वारा बुआई के मौसम के आरम्भ में की जाती है।
- हालांकि, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खरीद धान एवं गेहूं एवं मोटे अनाज की कुछ मात्रा तक सीमित रहती है। सरकार NAFED, SFAC और कुछ अन्य एजेंसियों के माध्यम से तिलहनों व दालों की सीमित मात्रा की भी खरीद करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर्गत आच्छादित कुछ फसलें

- सात अनाज (धान, गेंहू, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का व रागी);
- पांच दालें (चना, अरहर /तूर, मूँग, उड़द और मसूर);
- आठ तिलहन (मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल, कुसुम बीज और राम तिल/काला तिल);
- नगदी फसलें: खोपरा (गरी), कपास, जूट और वर्जीनिया फ्लू उपचारित (VFC) तंबाकू।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गणना करने की वर्तमान विधि:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए, CACP किसी वस्तु विशेष की अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना के व्यापक दृश्य को ध्यान में रखता है, जिसमें उत्पादन की लागत, इनपुट कीमतों में परिवर्तन, इनपुट-आउटपुट मूल्य समता, बाजार की कीमतों का रुझान, मांग और आपूर्ति, अन्तर-फसल मूल्य समता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, उपज और उत्पादन, आयात, निर्यात और घरेलू उपलब्धता एवं सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों या उद्योग के पास उपलब्ध भण्डार, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की लागत, विपणन-संग्रहण की लागत, विपणन सेवाएं, बाजार कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिधारित कर/शुल्क एवं अतिरिक्त राशि, निर्गम मूल्य पर प्रभाव एवं सब्सिडी के लिए निहितार्थ आदि सम्मिलित होते हैं।

3.3. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

(Nutrient Based Subsidy Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को 2019-20 तक जारी रखने को स्वीकृति प्रदान की।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के विषय में

- इस योजना के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों (यूरिया के अतिरिक्त) को उनके उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक आधार पर नियत सब्सिडी की राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत फास्फेटिक एवं पोटाश युक्त (P&K) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को मुक्त रहने दिया गया है तथा निर्माताओं/आयातकों/विपणकों को उचित स्तर पर फास्फेटिक एवं पोटाश युक्त (P&K) उर्वरकों के MRP नियत करने की अनुमति दी गई है।
- **MRP** का निर्धारण फास्फेटिक एवं पोटाश युक्त (P&K) उर्वरकों के **अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों**, विनिमय दर और देश में भण्डार के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।.
- **इस योजना के उद्देश्य हैं:**
  - किसानों को वैधानिक रूप से नियंत्रित मूल्य पर फास्फेटिक एवं पोटाश युक्त (P&K) उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - उर्वरकों का संतुलित उपयोग, कृषि उत्पादकता में सुधार, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जाना एवं सब्सिडी का बोझ कम किया जाना सुनिश्चित करना।

निहित मुद्दे और समाधान

- **रोडमैप:** पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के सामने कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के असंतुलित उपयोग की रोकथाम करने में यह नीति विफल हुई। अतः उचित रूप से समन्वित विशिष्ट उपाय तैयार करने की आवश्यकता है जो मात्रात्मक रूप से निर्धारित कर लागू कराये जाने योग्य एवं विशिष्ट टाइमलाइन के साथ हों।

- **निगरानी तंत्र**: उर्वरक विभाग (DoF) में यह सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र नहीं है कि उर्वरक कंपनियों द्वारा मूल्यों का निर्धारण उनके उत्पादन की उचित लागत पर आधारित है अथवा नहीं।
- डीएपी (डाइ-अमोनियम फास्फेट) उर्वरक के आयात के लिए उचित स्तर पर **मूल्य निर्धारण हेतु न्यूनतम मानदंड का अभाव** है। इससे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं और घरेलू उर्वरक कंपनियों के बीच अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होता है।
- यूरिया आयात की उच्च प्रतिबन्ध युक्त **प्रणाली** (उर्वरक कंपनियों को इसे केवल तीन एजेंसियों अर्थात् MMTC एवं इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से ही आयात करने की अनिवार्यता होती है) से उद्योग के लिए यूरिया की मांग और आपूर्ति में प्राय: असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार, ऐसी **प्रणाली** में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि उर्वरक आपूर्ति, मांग में परिवर्तनों से लचीलेपन के साथ तथा शीघ्रतापूर्वक अनुक्रिया कर सके।
- **विरूपित खपत पैटर्न:** अन्य उर्वरकों, विशेष रूप से फास्फेटिक एवं पोटाश युक्त (P&K) उर्वरकों की तुलना में यूरिया का मूल्य कम निर्धारित किया जाना। इसके विरूपित खपत पैटर्न एवं अवैज्ञानिक प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। परिणामस्वरूप, इससे उल्लेखनीय पर्यावरण निम्नीकरण होता है और साथ ही मृदा गुणवत्ता में ह्रास होता है।
    - इस प्रकार,सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लाभों के संबंध में किसानों में समर्पित रूप से जागरूकता में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, फसलों और मृदा के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार उर्वरक अनुपात का प्रतिरूपण करने की आवश्यकता है।
- **राजकोषीय स्थिति:** उर्वरक, बड़ी मात्रा में राजकोषीय सब्सिडी (लगभग 0.73 लाख करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत) के लिए जिम्मेदार हैं। यह भोजन पर सब्सिडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है और लक्षित लाभार्थियों तक इसका केवल 35% भाग ही पहुँच पाता है।

3.4. उर्वरक सब्सिडी

(Fertiliser Subsidy)

सुर्खियों में क्यों?

- संपूर्ण भारत में उर्वरक सब्सिडी के भुगतान के लिए कैबिनेट द्वारा **DBT योजना** को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति** (अध्यक्ष : PM) ने **2019-20 तक यूरिया सब्सिडी योजना** को जारी रखने की स्वीकृति दी है और 2020 तक यूरिया की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

उर्वरक में DBT के लाभ:

- यह लाभार्थी प्रेरित सब्सिडी भुगतान योजना है।
- यह लाभार्थियों के आधार आधारित डेटाबेस का सृजन कर खरीददारों के स्तर पर लेनदेन में पारदर्शिता प्रदान करता है।
- यह मूल्य श्रृंखला के साथ अर्थात् विनिर्माता से लेकर लाभार्थियों तक फंड के संबंध में अधिक पारदर्शी और तीव्र निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
- यह वाणिज्यिक उपयोग के लिए उर्वरकों के उपयोग को न्यूनतम करता है।
- यह किसानों की सहायता करने के लिए पोषक तत्वों के उपयोग से संबंधी डेटा सृजित करता है।

उर्वरक में DBT की चुनौतियां:

- व्यस्ततम मौसम अर्थात् अधिकतम उपयोग के मौसम के दौरान, प्रत्येक व्यक्ति का बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण लेने से अनावश्यक विलंब (बायोमीट्रिक का मिलान न होना, प्रमाणीकरण विफलता, इंटरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि के कारण) होता है या खुदरा विक्रेता द्वारा 'समायोजित लेनदेन' का सहारा लिया जा सकता है (कुछ आधार नंबरों पर दिन की सभी बिक्रियां पंजीकृत की जाती हैं)। अत: अग्रिम बुकिंग प्रणाली जैसा तीव्र जांच तंत्र होना चाहिए।
- प्रभावी संचार की भी आवश्यकता है ताकि किसानों से अधिक शुल्क न वसूला जा सके।
- साथ ही, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी होना चाहिए।

उर्वरक में DBT योजना का विवरण

- इस DBT योजना के तहत किसानों को सब्सिडी वाले दरों पर उर्वरकों की बिक्री करने पर **उर्वरक कंपनियों को 100% भुगतान** किया जाएगा।
    - इस प्रकार, उर्वरकों के लिए DBT मॉडल LPG जैसी अन्य योजनाओं से थोड़ा अलग है। LPG जैसी अन्य योजनाओं में अंतिम उपभोक्ता अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करता है। सब्सिडी प्रदान करने के लिए DBT दृष्टिकोण का उपयोग करने वाली पहली वास्तविक योजना **"पहल" (PAHAL)** (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ) थी।
- विक्रय बिंदु (पॉइंट-ऑफ़-सेल) मशीन का उपयोग करके विक्रय के समय क्रेता का विवरण, क्रय की गई मात्रा, आधार नंबर, भूमि विवरण (जहां भी उपलब्ध हो) और मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।

VISION IAS

यूरिया सब्सिडी योजना

- यूरिया सब्सिडी वस्तुतः केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) का एक भाग है। यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- 2020 तक यूरिया सब्सिडी योजना के निरंतर जारी रहने से यूरिया विनिर्माताओं को सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इससे **किसानों के लिए यूरिया की समय पर उपलब्धता** सुनिश्चित होगी।
- यूरिया सब्सिडी में **आयातित यूरिया सब्सिडी** भी सम्मिलित है। अनुमानित मांग और देश में यूरिया के स्वदेशी उत्पादन के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करने के लिए इस सब्सिडी को आयात की ओर निर्देशित किया जाता है।
- इसमें देश भर में यूरिया के परिवहन में आने वाले खर्च (भाड़ा) पर भी सब्सिडी देय है।
- यह केंद्र सरकार की **किसान-अनुकूल नीतियों** को जारी रखने की प्रक्रिया के तहत है, जैसे कि:
  - गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सब्सिडी प्राप्त यूरिया का उपयोग रोकने के लिए 2015 में 100% **नीम लेपित यूरिया** को अनिवार्य बनाया गया था।
  - किसानों के लिए उर्वरक की लागत को कम करने के लिए **45 किलोग्राम की बोरी** में यूरिया भरने का निर्णय।
  - **नई यूरिया नीति, 2015** की अधिसूचना:
    - नई इकाइयों की स्थापना और पुरानी इकाइयों के पुनरुद्धार के माध्यम से स्वदेशी यूरिया उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना;
    - यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना; और
    - सरकार पर पड़ने वाले सब्सिडी के बोझ को तर्कसंगत बनाना।

3.5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन

(Integrated Management Of Public Distribution System)

सुर्खियों में क्यों?

IM-PDS एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

IM-PDS के संबंध में

- इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं
  - केंद्रीय प्रणाली/पोर्टल के साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की PDS प्रणालियों/पोर्टल को एकीकृत करना।
  - **नेशनल पोर्टेबिलिटी** की शुरुआत: यह PDS लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से उनकी पात्रता के अनुसार अनाज प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली ने राज्य स्तर पर पोर्टेबिलिटी आरंभ की है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने राज्य के कुछ FPS क्षेत्रों में पोर्टेबिलिटी आरंभ की है।
- **राशन कार्डों/लाभार्थियों का वि-प्रतिलिपिकरण (De-duplication)**
- इससे खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता और कुशलता आएगी।

3.6. सिटी कंपोस्ट योजना

(City Compost Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने 2019-20 तक सिटी कंपोस्ट योजना जारी रखने की स्वीकृति दी है।

कंपोस्ट के संबंध में

- कंपोस्टिंग वस्तुतः पुनर्चक्रण की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कंपोस्टिंग के तहत जैविक अपशिष्ट अर्थात् खाद्य अपशिष्ट, खाद, पत्तियों, घास की कतरनों, कागज, लकड़ी, पंख, फसल अवशेष इत्यादि का जैव-निम्नीकरण होता है। इससे जैविक अपशिष्ट मूल्यवान **कार्बनिक उर्वरक** में परिवर्तित जाते हैं।
- तैयार कंपोस्ट को 100% कार्बनिक उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ-साथ खनिज अवशेष, ह्युमस और ह्युमिक एसिड होता है।

सिटी कंपोस्ट योजना के बारे में

- **बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance):** इस योजना के अंतर्गत उत्पादों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपया प्रति टन के हिसाब से सिटी कंपोस्ट हेतु बाजार विकास सहायता प्रदान की जा रही है।
- **विपणन:** उर्वरक कंपनियां और विपणन संस्थाएं अपने डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ सिटी कंपोस्ट का भी सह-विपणन करेगी।

- गोद लेने के प्रावधान के अंतर्गत, कंपनियां कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गांवों को भी गोद लेंगी।
- उपयुक्त BIS मानक/इको-मार्क के माध्यम से किसानों तक पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापरक उत्पादों की पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा हैं।

3.7. खाद्य तेल का निर्यात

(Edible Oil Export)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सरसों के तेल को छोड़कर अधिकांश खाद्य तेलों के निर्यात पर लगे दशकों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके अतिरिक्त, सरसों के तेल का केवल 5 किलोग्राम तक के उपभोक्ता पैक में और **न्यूनतम 900 डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य** के साथ निर्यात किया जाएगा।
- वर्तमान में, केवल कुछ खाद्य तेलों को थोक में और अन्य तेलों को केवल 5 किलोग्राम के पैक में निर्यात करने की अनुमति थी।

सरकारी पहल

आईसोपाम (ISOPOM)

- आयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं का **2004** में केंद्र प्रायोजित एक एकीकृत योजना अर्थात् तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का फसलों के समन्वित कार्यक्रम (Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil Palm and Maize: ISOPOM) में विलय कर दिया गया।
- इसे कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- किसानों को ब्रीडर बीजों के क्रय, फाउंडेशन बीजों के उत्पादन और प्रमाणित बीजों के उत्पादन व वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एंड ऑयल पाम (National Mission on Oilseeds and Oil Palm: NMOUP)

- इसे तीन उप-मिशनों अर्थात् **MM I -** तिलहन, **MM II –**आयल पाम, **MM III -** TBOs (वृक्ष आधारित तेल) के तहत कार्यान्वित किया गया था।
- **NMOUP** की रणनीति और दिशानिर्देश में सम्मिलित हैं:
  - किस्म प्रतिस्थापन पर फोकस करते हुए बीज प्रतिस्थापन अनुपात (**SRR**) बढ़ाना;
  - तिलहन के लिए सिंचाई कवरेज को **26%** से बढ़ाकर **36%** तक करना;
  - कम उपज वाली अनाज फसलों से तिलहन फसलों की ओर क्षेत्र विविधीकरण; अनाज/दलहन /गन्ना के साथ तिलहनों का अंतर-शस्यन;
  - धान/आलू की खेती के बाद परती भूमि का उपयोग;
  - जलसंभर और बंजर भूमि में आयल पाम और वृक्ष जनित तिलहन की खेती का विस्तार;
  - गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना, तिलहन की खरीद और संग्रह बढ़ाना;
  - वृक्ष जनित तिलहन का प्रसंस्करण।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद भारत के वनस्पति तेल का बाजार विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाजार है।
- तिलहन की सकल कृषित क्षेत्र में 13%, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 3% और सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य में 10% हिस्सेदारी है।
- देश में उत्पादित प्रमुख तेलों में सरसों का तेल, बिनौले का तेल (cottonseed oil), सोयाबीन का तेल और मूंगफली का तेल सम्मिलित है।

पक्ष में तर्क

- इससे तिलहन के बढ़ते उत्पादन में सहायता मिलेगी और खाद्य तेलों के विपणन के लिए अतिरिक्त मार्गों का पता लगेगा।
- इसके परिणामस्वरूप भारत के खाद्य तेल उद्योग में निष्क्रिय क्षमता का भी उपयोग हो सकता है। यह ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस की दिशा में भी एक कदम है।
- उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए उदार आयात जितना आवश्यक है, उतना ही घरेलू उत्पादकों को लाभ पहुँचाने के लिए निर्यात भी महत्वपूर्ण है।
- यह प्रगतिशील विदेश व्यापार नीति की दिशा में एक कदम होगा जिसमें निर्यात और आयात दोनों विंडोज खुली रहती हैं।

VISION IAS

विपक्ष में तर्क

- घरेलू **उत्पादन पहले से ही कम** है क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान स्पॉट मार्केट में तिलहनों की कीमतों में गिरावट के कारण तिलहन के अंतर्गत रकबा खरीफ ऋतु में भी कम रहा।
- देश की खाद्य तेल की वार्षिक मांग लगभग **22** मिलियन टन है और प्रति वर्ष **3%** से **4%** तक बढ़ रही है। भारत अपनी कुल खाद्य तेल मांग का केवल **40%** पूरा कर पाता है।
- मिलें, स्थानीय उपभोग के लिए रीपैकिंग करने और वितरण के लिए अपनी पसंद के तेल के साथ सीधे मिश्रित करने के लिए रिफाइंड आयल का आयात करना पसंद करती हैं।

निष्कर्ष

यह सुनिश्चित करने हेतु कि बढ़े हुए निर्यात के चलते स्थानीय बाजार प्रभावित न हों तथा साथ ही आयात की आवश्यकता कम करने के लिए तिलहन उत्पादन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

- तिलहन अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर।
- नई स्थान-विशिष्ट उच्च उपज वाली किस्में विकसित करके।
- गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करके।
- बेहतर तकनीक और प्रभावी कृषि विस्तार प्रणाली के बारे में किसानों में जागरूकता की कमी को दूर करके।
- सहायक अवसंरचना सुविधाएं विकसित करके।
- बेहतर मूल्य वसूली के लिए एक प्रभावी रूप से प्रबंधित बाजार सुनिश्चित करके।

3.8. वित्त विधेयक 2018

(Finance Bill 2018)

सुर्खियों में क्यों?

लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक 2018 पारित किया गया तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् 1 अप्रैल से यह कानून बन गया।

वित्त विधेयक 2018 के प्रमुख बिन्दु

- **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ:** वर्तमान में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंतरण या व्यापार ट्रस्ट की इकाई से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है। लेकिन अब यदि इस प्रकार के लेन-देन से एक लाख रूपये से अधिक लाभ होता हो तो इन अंतरणों पर आयकर अधिनियम की धारा 112A के अंतर्गत 10% की दर से कर आरोपित किया जाएगा।
- **कृषि उत्पादक कंपनियों के लिए कटौतियाँ (FPCs):** 100 करोड़ रुपये तक का कुल कारोबार करने वाली कृषि उत्पादक कंपनियों के लिए 2018-19 से आरम्भ कर पांच वर्षों तक के लिये 100% कर कटौती का प्रावधान किया गया है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM अधिनियम):** इस अधिनियम का संशोधन एन. के. सिंह के अध्यक्षता में गठित राजकोषीय सुधार एवं बजट प्रबंधन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया जा रहा है।
- **आयकर:** वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 40,000 रुपए की मानक कर कटौती आरम्भ की गई है। परिवहन भत्ते एवं और चिकित्सा व्यय हेतु कटौती को समाप्त कर दिया गया है।
- **शिक्षा उपकर:** 3% शिक्षा उपकर को, विदेशी कंपनियों सहित अनिवासी व्यक्तियों के लिए 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।
- **कॉरपोरेट कर:** वर्तमान में, 50 करोड़ रुपए से कम कुल कारोबार (टर्नओवर) वाली कम्पनियाँ 25% की दर से कॉरपोरेट कर का भुगतान करती हैं। इस सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- **वेतन और पेंशन:** यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, और संसद सदस्यों (MPs) को प्राप्त होने वाली परिलब्धियों को बढ़ाने के लिए पांच कानूनों में संशोधन करता है। इसके अतिरिक्त, संसद सदस्यों की परिलब्धियों को मुद्रास्फीति के साथ अनुक्रमित किया जाएगा और प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधित किया जाएगा।
- **डिजिटल आय पर करारोपण:** विधेयक में संशोधन ने देश में स्थायी स्थापना किए बिना कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अर्जित की जाने वाली "डिजिटल आय" पर भारत द्वारा कर लगाए जाने की संभावना का भी विस्तार किया है।

3.8.1. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को आरम्भ किये जाने से संबंधित मुद्दे

(Issues Related To Introduction Of LTCG Tax)

LTCG कर से संबंधित चिन्ताएं

संबंधित तथ्य

- अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एक वर्ष के भीतर विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों) पर 15% की दर से करारोपित किया जाता है।
- अचल संपत्ति (भूमि या भवन या दोनों) के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत आस्ति के रूप में अर्हता प्राप्त करने हेतु धारणावधि 24 महीने है। पहले, यह अर्हता अवधि 36 माह थी, जिसको वित्त अधिनियम 2017 द्वारा घटाकर 24 माह कर दिया गया है।

VISION IAS

- ऐसे समय में **ट्रेडिंग स्टॉक्स की लागत में वृद्धि** जबकि अन्य राष्ट्रों में लेन-देन की लागत कम होने के कारण उन देशों की ओर 'पूंजी का निर्यात' हो रहा है।
- **दोहरा कराधान:** 2004-05 में, इक्विटी शेयरों में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) अधिरोपित किया था। अब हालाँकि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर को पुनः आरंभ किया गया है, लेकिन प्रतिभूति लेनदेन कर को समाप्त या कम नहीं किया गया है।
- **विदेशी निवेश के लाभ**: मॉरीशस और सिंगापुर जैसे स्थानों से निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs), कर संधियों के कारण दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के अधीन नहीं होंगे।

तार्किक आधार

- **विनिर्माण क्षेत्रक के विरूद्ध पूर्वाग्रह:** वित्तीय परिसम्पत्तियों पर विनिर्माण क्षेत्रक की तुलना में अत्यधिक कम कर आरोपित किया जाता हैं, इस कारण निवेश का डायवर्जन वित्तीय परिसम्पत्तियों की ओर प्रोत्साहित होता है।
- बिना कर छूट के भी**, इक्विटी में निवेश पर प्रतिफल पहले से ही काफी आकर्षक है।** इसलिए सूचीबद्ध इक्विटी में निवेश से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर कर का आरोपण एक तार्किक कदम है।
- **STT एवं LTG के भिन्न-भिन्न प्रयोजन**: प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) सरकार को किसी अप्रत्याशित राजस्व संग्रह के बिना केवल इक्विटी लेनदेन पर निगरानी रखने में सहायता करता है।
- **छोटे निवेशकों को अभी भी सुरक्षा प्राप्त है:** ☐ 1 लाख से अधिक की प्राप्तियों पर कर आरोपित कर, वित्त मंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि छोटे निवेशक इस कर की परिधि के अंतर्गत न आएं।
- **बड़े करमुक्त लाभ:** आकलन वर्ष 2017-18 के लिए दायर किए गए रिटर्न के अनुसार, सूचीबद्ध शेयरों और इकाइयों से छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ की कुल राशि लगभग 3,67000 करोड़ रुपए है।
- **इंडेक्सेशन लाभ :** सरकार ने राहत के रूप में इंडेक्सेशन लाभ की घोषणा की है। **इंडेक्सेशन**, मुद्रास्फीति के बाद जनता की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए मूल्य सूचकांक के माध्यम से आय भुगतान को समायोजित करने की तकनीक है।

FRBM एवं FPCs पर और अधिक जानकारी के लिए फरवरी, 2018 की समसामयिकी देखें

3.9. प्राथमिकता क्षेत्र उधारी में परिवर्तन

(Changes In Priority Sector Lending)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रक के उधारी लक्ष्यों एवं वर्गीकरण को संशोधित किया है।

किए गए परिवर्तन

- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 20 एवं उससे अधिक शाखाओं वाली विदेशी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
  - समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का न्यूनतम 8% या क्रेडिट इक्विवलन्ट अमाउंट ऑफ़ ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure:CEOBE), में से जो भी उच्च हो, को **लघु और सीमांत कृषकों** को ऋण प्रदान करने के लिए निश्चित किया जाए।
  - न्यूनतम 7.5% ANBC या CEOBE, में से जो भी उच्च हो, को **सूक्ष्म उद्यमों** को ऋण प्रदान करने हेतु निश्चित किया जाए।
- प्राथमिकता क्षेत्रक के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए **सूक्ष्म/लघु और मध्यम उद्यमों (सेवाओं) पर अधिरोपित की जाने वाली प्रति उधारकर्ता ऋण सीमाओं** को हटा दिया गया है। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपकरण में निवेश के मामले में परिभाषित किए गए अनुसार, सेवाएं प्रदान करने या प्रतिपादित करने में संलग्न, सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले बैंक ऋण, किसी भी प्रकार की ऊपरी ऋण सीमा के बिना प्राथमिकता क्षेत्रक के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करेंगे।

प्रभाव

- यह बैंकों के बीच समान स्तरीय प्रतिस्पर्धा का निर्माण करेंगे।
- यह इन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में बढ़ोत्तरी करेंगे जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत ऋण सीमाओं को हटाया जाना सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को बेहतर रूप से उनके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगा। चूंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उच्च मूल्य ऋण प्रदान किया जाना प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकेगा और उनके लिये बेहतर प्रतिफल अर्जित करना संभव बनाएगा।

प्राथमिकता क्षेत्रक के अंतर्गत लक्ष्य और उप लक्ष्य:

श्रेणियाँ	**घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं 20 तथा उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक**	**20** से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक
कुल प्राथमिकता क्षेत्रक	समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) के 40 प्रतिशत या CEOBE, में से जो भी उच्च हो। विदेशी बैंकों को 31 मार्च, 2018 तक कुल प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य प्राप्त करना है।	समान लक्ष्य लेकिन 2020 तक प्राप्त किया जाना है।
कृषि	ANBC या CEOBE का 18%, दोनों में से जो भी उच्च हो। इसमें, ANBC का 8% लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए निर्धारित है।	लागू नहीं
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग	ANBC या CEOBE का 7.5%, दोनों में से जो भी उच्च हो।	लागू नहीं
कमजोर वर्ग	ANBC या CEOBE का 10%, दोनों में से जो भी उच्च हो।	लागू नहीं

<u>प्राथमिक क्षेत्रक उधारी: एक संक्षिप्त परिचय</u>

प्राथमिक क्षेत्रक उधारी (PSL) क्या है ?

वाणिज्यिक बैंक द्वारा ऐसे कुछ क्षेत्रों के लिए दिया जाने वाला उधार जिन्हें केंद्रीय बैंक द्वारा "प्राथमिकता क्षेत्रक" के रूप में पहचाना जाता है, उसे प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी कहा जाता है।

- प्राथमिकता क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने में होने वाली कमी को बैंकों को नाबार्ड तथा अन्य विनिर्दिष्ट निधियों से स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) में योगदान करके पूरा करना होता है।

प्राथमिकता क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में सम्मिलित हैं:

- कृषि (तीन उप-श्रेणियों अर्थात् कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना एवं सहायक गतिविधियों को सम्मिलित करती है।)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम;
- निर्यात ऋण;
- शिक्षा;
- आवासन;
- सामाजिक अवसंरचना (स्कूल, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छता सुविधाएं आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं);
- नवीकरणीय ऊर्जा (इसमें सौर ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटरों, बायोमास आधारित विद्युत जनरेटरों, पवन चक्कियों, सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्रों एवं गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, और दूरदराज के गाँवों का विद्युतीकरण आदि सम्मिलित हैं);
- और अन्य

प्राथमिकता क्षेत्रक के अंतर्गत कमजोर वर्गों के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाता है?

- इसके तहत लघु और सीमांत कृषक, गैर संस्थागत ऋणदाताओं के जाल में फंसे हुए किसान, कारीगर, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियां, स्वयं सहायता समूह, विकलांग व्यक्ति, महिलायें, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय आदि सम्मिलित हैं।

प्राथमिक क्षेत्रक उधार प्रमाण पत्र (PSLCs)

- प्राथमिक क्षेत्रक उधार प्रमाण पत्र (PSLCs), प्राथमिक क्षेत्रक ऋण में कमी की स्थिति में इन इंस्ट्रूमेंट की खरीद करके इसके लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य प्राप्त करने में बैंकों को सक्षम बनाने वाला तंत्र है।
- यह लक्ष्यों से अधिक ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को भी प्रोत्साहित करता है क्योंकि यह उन्हें लक्ष्य से अधिक प्रदान किये गए ऋण को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है और इस प्रकार प्राथमिकता क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करता है।

VISION IAS

- PSLCs तंत्र के अंतर्गत, विक्रेता प्राथमिकता क्षेत्र दायित्व पूर्ति का विक्रय करता है और क्रेता दायित्व को जोखिम या ऋण परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के बिना उनका क्रय करता है।

3.10. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

(National Financial Reporting Authority)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल की में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के सदस्य

- **राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति की पद्धति एवं सेवा के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2018** के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण में अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य एवं नौ अंशकालिक सदस्य होंगे।
- अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों का चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित **सर्च-कम-सेलेक्शन कमिटी** द्वारा किया जाएगा।
- **पद की शर्तें**- अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों का **सेवाकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** प्राप्त करने में से जो भी पहले हो, तक होगा। वे **केवल एक और सेवाकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के पात्र** होंगे।
- **अंशकालिक सदस्य** के मामले में, उनका कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा लेकिन वे **पुनर्नियुक्ति के पात्र** होंगे।
- **हटाया जाना**- अध्यक्ष या सदस्यों को दिवालिया घोषित होने, नैतिक अधमता का दोषी ठहराए जाने, मानसिक या शारीरिक रूप से कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ होने, वित्तीय लाभ अर्जित करने में लिप्त होने, अपने पद की निरंतरता के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने; पर हटाया जा सकेगा।
- NFRA के अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान एवं साथ ही पदत्याग करने के दो वर्ष बाद तक **किसी लेखा-परीक्षा फर्म से संबद्ध नहीं होना चाहिए**।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचनाप्राधिकरण **(NFRA)**

- इसे **लेखा परीक्षा पेशे और लेखांकन मानकों** का पर्यवेक्षण करने के लिए स्वतंत्र नियामक के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका क्षेत्राधिकार **सभी सूचीबद्ध कंपनियों एवं बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों तक विस्तारित रहेगा**।
  - **चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम**, 1949 के अंतर्गत द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) छोटी गैरसूचीबद्ध कंपनियों की लेखा परीक्षा करने का कार्य जारी रखेगा।
  - **गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड,** प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनियां, एवं साथ ही राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) द्वारा प्रत्यायोजित कम्पनियों के संबंध में सम्बन्ध में गुणवत्ता समीक्षा करने का कार्य जारी रखेगा।
- इसे स्वप्रेरणा से या किसी कदाचार का संदर्भ दिए जाने पर **चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं उनकी कंपनियों** की जांच करने का अधिकार होगा।
- यदि पेशेवर या अन्य प्रकार का कदाचार सिद्ध होता है,
  - यह व्यक्तियों के मामले में न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है लेकिन जो प्राप्त शुल्क के पांच गुने तक हो सकता है। फर्मों के मामले में न्यूनतम दस लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है लेकिन जो प्राप्त शुल्क के दस गुने तक तक हो सकता है।
  - सेवा से वंचित किए जाने के मामले में यह किसी लेखा परीक्षक को 6 महीने से अधिकतम 10 वर्ष तक वंचित कर सकता है।
- राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (NFRA) को किसी वाद पर सुनवाई करते समय **सिविल न्यायालय के समान शक्ति** प्राप्त होगी।
- यह कंपनियों के **वित्तीय प्रकटीकरण में निवेशक और जनता के विश्वास में वृद्धि करेगा** एवं **लेखा परीक्षा पेशे का अधिकाधिक विकास करने** में सहयोग करेगा।

3.11. स्वर्ण बाज़ार पर नीति (NITI) आयोग पैनल

(NITI Aayog Panel on Gold Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- देश के स्वर्ण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, प्रमुख सलाहकार रतन पी वाटल की अध्यक्षता में, NITI आयोग पैनल ने स्वर्ण बाज़ार के प्रति अधिक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव रखा है।

प्रस्तावित अनुशंसाएं

- **लक्ष्य**- वर्ष 2022 तक GDP में इसके योगदान को 3 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- **कर के विषय में**- आयात शुल्क तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) सहित स्वर्ण उद्योग पर आरोपित करों में पर्याप्त कटौती करने की आवश्यकता है।

- **संस्थान के विषय में**- सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में सांविधिक अधिकारों युक्त एक **गोल्ड बोर्ड** की स्थापना करना तथा निर्यात संवर्धन हेतु, निर्यात संवर्धन परिषद के अनुरूप **स्वर्ण घरेलू परिषद** (गोल्ड डोमेस्टिक काउंसिल) की स्थापना करना।
- **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) के विषय में-**
  - GMS के तहत ग्राहकों द्वारा जमा कराने योग्य स्वर्ण की न्यूनतम मात्रा में कटौती करना।
  - स्वर्ण धातु ऋणों को अंतरराष्ट्रीय पट्टा दरों (international lease rates) के साथ जोड़ना।
  - मंदिरों द्वारा एक निर्धारित सीमा तक स्वर्ण अपने अधिकार में रखना तथा शेष भाग को GMS के तहत जमा कराना चाहिए।
- **संप्रभु स्वर्ण बांड (SGB) को स्वर्ण बचत खातों से प्रतिस्थापित करना** तथा प्रस्तावित बचत खातों में रुपये में किये गये स्वर्ण निवेश को भारतीय परिवारों के पास रखे हुए **भौतिक सोने द्वारा गारंटी प्रदान कराना।**
- आयोग द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत **पैन (स्थायी खाता संख्या) की एक उदार सीमा** तथा संबंधित संगठनों को डाटा प्रदान करने की एक नई सीमा को प्रस्तावित किया गया है।
- **अन्य**- स्वर्ण के खनन को प्रोत्साहन, अपरिष्कृत स्वर्ण की उत्तरदायी सोर्सिंग एवं बेहतर आपूर्ति, भारतीय परिष्करणशालाओं (रिफाइनरियों) द्वारा परिष्कृत स्वर्ण के लिए भारतीय मानकों का निर्माण आदि।

स्वर्ण संबंधित योजनाएं

- **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना**
  - पुरानी **स्वर्ण जमा योजना** का एक संशोधित संस्करण - उपभोक्ताओं को अपने स्वर्ण को विक्रय करने या इसे बैंकों में संचित करने हेतु प्रेरित करके, निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को उत्पादक बनाना।
  - इसका उद्देश्य स्वर्ण का औपचारिक अर्थव्यवस्था में विलय करना तथा राष्ट्र के स्वर्ण आयातों को कम करना है।
  - **केवल निवासी भारतीय** (व्यक्ति, एचयूएफ, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित विभिन्न ट्रस्ट, कंपनियाँ) व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से इस योजना के अंतर्गत जमा कर सकते हैं।
- **संप्रभु स्वर्ण बांड योजना (Sovereign Gold Bond Scheme):**
  - संप्रभु स्वर्ण बांड (SGB), स्वर्ण के ग्राम में अभिहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी **सरकारी प्रतिभूतियां** हैं।
  - ये भौतिक स्वर्ण के विकल्प हैं। निवेशकों को नकद में निर्गम मूल्य का भुगतान करना होगा तथा परिपक्व होने पर, बांड को नकदी में परिवर्तित किया जाएगा।
  - बांड को भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
  - SGB में एक निश्चित ब्याज दर होती है तथा केवल निवासी भारतीय न्यूनतम 1 ग्राम तथा अधिकतम 500 ग्राम प्रति वर्ष निवेश कर सकते हैं। बाद में, 500 ग्राम की इस सीमा को संशोधित किया गया तथा व्यक्तियों के लिए 4 किग्रा., हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए 4 कि.ग्रा. तथा ट्रस्ट एवं केंद्र द्वारा अधिसूचित समरूप संस्थाओं के लिए 20 कि.ग्रा. तक बढ़ाया गया।
- **सोने के सिक्के/बुलियन योजना**
  - यह स्वर्ण मुद्रीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
  - प्रारंभ में सिक्के 5 ग्राम एवं 10 ग्राम में उपलब्ध होंगे। देश भर में 125 MMTC आउटलेट्स के माध्यम से 20 ग्राम गोल्ड (स्वर्ण) बार भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
  - जाली सिक्कें नहीं बनें इसलिए इन सिक्कों में में टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग है।
- **बजट 2018-19 में घोषित उपाय**
  - सरकार, सोने को एक संपत्ति के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक स्वर्ण नीति का निर्माण करेगी।
  - सरकार, देश में विनियमित स्वर्ण विनिमय-केंद्रों की एक उपभोक्ता अनुकूल एवं व्यापार कुशल प्रणाली भी स्थापित करेगी।
  - लोगों को कठिनाई रहित स्वर्ण जमा खाता खोलने में सक्षम बनाने हेतु, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को संशोधित किया जाएगा।

3.12. विद्युत क्षेत्रक में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां

(NPA In Power Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने **'विद्युत क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों'** (NPA) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पृष्ठभूमि

- विद्युत क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक है, जिन्होंने NPA में **सबसे ज्यादा योगदान** दिया है तथा इसमें 37,941 करोड़ रुपये NPA तथा 60,858 करोड़ रुपये के पुनर्गठित अग्रिम शामिल है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में 40 गीगावाट की कुल क्षमता वाली 34 तनावग्रस्त परिसंपत्तियां तथा लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का कुल बकाया ऋण था।

विद्युत क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम-

- उदय योजना
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- गर्व (ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप)
- एकीकृत उर्जा विकास योजना
- सभी के लिए 24X7 विद्युत
- तरंग (ट्रांसमिशन सिस्टम मॉनीटरिंग) ऐप
- शक्ति-कोयला आवांटन नीति, जिसमें नीलामी के आधार पर कोयला लिंकेज प्रदान किये जाते हैं।

विद्युत क्षेत्रक में NPA में हुई वृद्धि के अनेक कारण हैं-

- ऋण आवेदनों पर विचार करते समय विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेना।
- नियमित ईंधन आपूर्ति की **अनुपलब्धता।**
- कोयला ब्लॉक का निरस्तीकरण तथा कोयले की आपूर्ति में कमी।
- विद्युत क्रय समझौतों का अभाव (**PPA**)।
- PPA में डेवेलेपरों द्वारा **आक्रामक बोली।**
- **इक्विटी तथा कार्यशील पूंजी को बढ़ाने** में प्रवर्तकों की अक्षमता।
- **नियामक एवं संविदात्मक/प्रशुल्क** संबंधित विवाद।
- **परियोजना कार्यान्वयन में देरी के कारण** लागतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाना।
- अन्य देशों में **कानून परिवर्तन** के परिणामस्वरूप कोयले की कीमतों में हुई वृद्धि, जिसके कारण अनुबंधित दर पर विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति को अलाभकारी बना रहा है।

समिति की प्रमुख अनुशंसाएं

- विद्युत क्षेत्र की NPA संबंधी समस्या के समाधान के लिए एक कार्य दल का गठन किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा एक परिसंपत्ति को NPA बनाने के लिए उत्तरदायी **कारकों को** ध्यान में रखना चाहिए तथा परिसंपत्ति को NPA में परिवर्तित न होने देने के लिए **यथासंभव सीमा तक सहायता करनी** चाहिए।
- ऋण स्वीकृति, **पर्यवेक्षी तंत्र** तथा **इसकी जांच प्रक्रिया** को **पुनर्स्थापित** किया जाना चाहिए तथा बैंकों को **क्रेडिट रेटिंग प्रणाली का पालन** करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005** को स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, पुराने व अक्षम संयंत्रों की निरंतरता आदि सहित विद्युत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए **पुनरीक्षण** की आवश्यकता है।
- RBI या सरकार की **पुनरुद्धार/पुनरुत्थान योजनाएं यथार्थवादी** होनी चाहिए, न कि **प्रतीकात्मक**।
- कोल इंडिया लिमिटेड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक प्रवर्तक को समयबद्ध तरीके से आवश्यक कोयला प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, **ऊर्जा संयंत्रों** को संयंत्र भार क्षमता के 85 प्रतिशत तक चलाने में सक्षम बनाने के लिए **पर्याप्त कोयला प्रदान** किया जाना चाहिए।
- ऊर्जा संयंत्रों को **मुख्य रूप से घरेलू कोयले का उपयोग** करना चाहिए। हालांकि, उन्हें 15 से 20 प्रतिशत तक आयातित कोयले का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने रहे।
- **पुराने ऊर्जा संयंत्र** जो पहले से ही अपने अपेक्षित जीवनकाल को पार कर चुके हैं तथा जिनकी उत्सर्जन दर निर्धारित दर से अधिक है, **उन्हें हटा देना चाहिए।**
- **कानून में परिवर्तन की स्थिति से उत्पन्न आदेशों के संबंध में स्थिरता एवं एकरूपता** सुनिश्चित करने के लिए **उचित कदम** उठाए जाने चाहिए।

3.13. रेशम उद्योग के विकास हेतु समेकित योजना

(Integrated Scheme For Development Of Silk Industry)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक **तीन वर्षों** के लिए **रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना** (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

VISION IAS

इस योजना के बारे में

- यह केन्द्रीय रेशम बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत) द्वारा क्रियान्वित एक केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- इस योजना के निम्नलिखित चार घटक हैं:
  - अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल,
  - बीज संगठन,
  - समन्वय तथा बाज़ार विकास एवं
  - गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियाँ (QCS)/ निर्यात ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन।

बाईवोल्टाइन रेशम (Bivoltine Silk)

- यह रेशम की एक संकर नस्ल है जो चीन, जापान तथा थाइलैंड जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उत्पादित की जाती है।
- यह नस्ल भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण व्याप्त उच्च तापमान संबंधी दबाव तथा उच्च आर्द्रता को सहन कर सकती है। इसलिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड संकरण (क्रॉसब्रीडिंग) के माध्यम से बाईवोल्टाइन संकर वाले किस्म के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

भारत में रेशम उद्योग

- भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है।
- भारत वर्तमान में सभी चार प्रकार के रेशमों–मलबरी, एरी, मूगा तथा तसर (टसर) का उत्पादन करता है। रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में होता है।
- भारत रेशम का निर्यात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी को करता है। अधिकांशतः, प्राकृतिक रेशम के धागे, कपड़े, उससे बुने वस्त्र, तैयार पोशाकें, रेशम की दरियां, तथा रेशम के अपशिष्टों का निर्यात किया जाता है।
- रेशम उद्योग के विकास के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् (Indian Silk Export Promotion Council) की स्थापना भी की गयी है। यह विभिन्न देशों में व्यापार के प्रसार के लिए पूरे देश में व्यापार प्रदर्शनियाँ तथा मेलों का आयोजन करता है। यह परिषद् निर्यातकों तथा संभावित ग्राहकों के बीच बैठकों की व्यवस्था करता है।

- इस योजना का उद्देश्य 2022 तक उत्पादकता में सुधार कर तथा उच्चतम स्तर की गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन बढ़ा कर तथा वैकल्पिक बाईवोल्टाइन रेशम का आयात कर रेशम उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है।
- इसका लक्ष्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को आजीविका संबंधी अवसर प्रदान करना तथा इसमें वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर के राज्यों' को भी सम्मिलित करना है

लागत का वहन:

- **सरकार के स्वामित्व वाली सुविधाओं पर केंद्र सरकार के द्वारा 100%**,
- अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए **केंद्र सरकार द्वारा 65%, राज्य सरकार द्वारा 25% तथा व्यक्तियों के द्वारा 10% ,**
- जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर-पूर्व के राज्यों के लाभार्थियों के लिए **केंद्र सरकार द्वारा 80%, राज्य सरकार द्वारा 10% तथा 10% व्यक्तिगत रूप से लागत वहन किया जाएगा।**

3.14. राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम

(National E-Mobility Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर.के. सिंह ने भारत में राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस कार्यक्रम के बारे में

- **लक्ष्य**: गाड़ियों के विनिर्माताओं, चार्जिंग अवसंरचना वाली कंपनियों, फ्लीट संचालकों, सेवा प्रदाताओं इत्यादि समेत सम्पूर्ण ई-मोबिलिटी तंत्र को गति/प्रोत्साहन प्रदान करना।
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (EESL) द्वारा किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत, सकल मांग में वृद्धि करने के लिए तथा इकॉनमी ऑफ़ स्केल की सुनिश्चितता हेतु EESL के द्वारा बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs) खरीदी जाएँगी।

EESL: एक परिचय

- यह **विद्युत मंत्रालय** के अधीन एक संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी है। यह ऊर्जा दक्षता को मुख्य धारा में लाने की दिशा में कार्य कर रही है। यह देश में विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो (SLNP तथा UJALA) का क्रियान्वयन कर रही है।
- **उद्देश्य**: प्रत्येक हितधारक के लिए लाभ की स्थिति निर्मित करने वाले कुशल तथा भविष्य के लिए तैयार रूपांतरणकारी समाधानों हेतु बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- यह सरकार के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।
- इसने यू.के., दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपना कार्य आरम्भ किया है।

महत्व

- **मेक इन इंडिया**: EV's को अपनाने के फलस्वरूप ई-वाहनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सहायक उद्योगों के लिए विशाल बाज़ार निर्मित होगा, जिससे रोज़गार सृजन में सहायता मिलेगी।
- **पर्यावरण अनुकूल**: भारत में इस कदम के फलस्वरूप सड़कों पर चलने वाले 20,000 EV's के कारण प्रतिवर्ष 5 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 5.6 लाख टन की कमी आएगी।
- **विदेशी मुद्रा की बचत**: चूँकि इलेक्ट्रिकल कार पर, सामान्य कारों पर आने वाले 6.5 रूपए प्रति किलोमीटर खर्च की अपेक्षा केवल 85 पैसा प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा, अतः EVs के कारण हमें महंगे पेट्रोलियम आयातों से मुक्ति मिलेगी।
- यह सरकार की 2030 तक 100 प्रतिशत ई-मोबिलिटी संबंधी लक्ष्य से संरेखित है।

- **नीति आयोग** ने सात मंत्रालयों (भारी उद्योग, विद्युत, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क परिवहन तथा जहाज़रानी एवं राजमार्ग, पृथ्वी विज्ञान, शहरी कार्य मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी) को ऐसी गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश का सूत्रपात करने हेतु कार्य सौंपा है।
- नागपुर भारत का प्रथम शहर है जहां बैटरी बदलने तथा उसे चार्ज करने के लिए केंद्र उपलब्ध हैं।

आगे की राह

- **इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग से संबंधित अवसंरचना का निर्माण** जिसका उद्देश्य ई-वाहनों को चार्ज करने को सेवा के रूप में स्वीकार करना होगा (चार्जिंग स्टेशन के लिए अनुज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं होगी)।
- उड़ुयन की तर्ज़ पर **ऑटोमोबाइल क्षेत्रक के लिए समर्पित मंत्रालय की आवश्यकता**। चूँकि यह क्षेत्रक कार्यशील जनसंख्या के 7% को रोज़गार देता है, तथा विनिर्माण GDP में 49% की भागीदारी करता है।

नोट: EVs पर और अधिक जानकारी के लिए दिसंबर माह की समसामयिकी देखें।

3.15. पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 का प्रारूप

(Draft Labour Code On Occupational Safety, Health And Working Conditions, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, श्रम तथा रोज़गार मंत्रालय द्वारा पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर संहिता (Draft code on occupational safety, health and working conditions) का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने केन्द्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण, एकीकरण, तथा राष्ट्रीयकरण करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद निम्नलिखित चार श्रम संहिताएँ तैयार की गयीं:
  - मजदूरी पर श्रम संहिता विधेयक, 2015
  - औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता विधेयक, 2015
  - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर श्रम संहिता, 2017 तथा
  - पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018
- पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 के प्रारूप में कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार तथा सेवा दशा का विनियमन) अधिनियम, 1966, अनुबंध श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 इत्यादि समेत 13 श्रम कानूनों का एकीकरण होगा।
- प्रस्तावित संहिता श्रमिकों के कामकाजी माहौल, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए मानक प्रदान करने वाला प्रथम एकल क़ानून है, तथा यह कम से कम 10 श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू होगा।

VISION IAS

पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कामकाजी माहौल पर श्रम संहिता, 2018 के मुख्य प्रावधान:

- पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर मानक प्रदान करने हेतु केंद्र को अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- कारखानों में **वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण** को अनिवार्य बनाया जाना है तथा इसकी लागतें नियोक्ताओं द्वारा वहन की जाएँगी।
- सभी कर्मचारियों (इसमें वे भी कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्हें इस संहिता के निर्माण से पूर्व नियुक्त किया गया था) के लिए **नियुक्ति पत्र**, जिसमें उनके सांविधिक अधिकार उल्लिखित होंगे।
- नियोक्ताओं पर आरोपित **अर्थ-दंड का कम से कम 50%,** काम के दौरान मरने या गंभीर रूप से घायल होने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
- निर्माण, संविदा, वृक्षारोपण इत्यादि के लिए श्रम कानूनों के अंतर्गत पृथक-पृथक पंजीकरण के स्थान पर नियोक्ताओं को **केवल एक क़ानून के अंतर्गत पंजीकरण** कराना होगा।
- इन मुद्दों पर मानकों की अनुशंसा के लिए एक **राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परामर्शक परिषद्** का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर राज्य व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परामर्शी परिषद् के साथ-साथ सुरक्षा समिति तथा कुछ कारखानों व प्रतिष्ठानों में सुरक्षा अधिकारी का भी प्रस्ताव किया गया है।
- इस संहिता के अंतर्गत निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, जांच या पूछताछ के अधिकार क्षेत्र सहित एक समन्वयक की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक ठेकेदार के लिए जो अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध कराता है या कराने का इच्छुक है, उसके लिए **लाइसेंस की व्यवस्था अनिवार्य की गयी है**। औद्योगिक परिसर के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के लिए **यात्रा भत्ता तथा विस्थापन भत्ते** का प्रस्ताव किया गया है।
- खतरनाक प्रक्रियाओं से युक्त किसी कारखाने की स्थापना हेतु दिए गए आवेदन की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एक **स्थल समीक्षा समिति** (Site Appraisal Committee) की स्थापना प्रस्तावित है। यह राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा देगी। खतरनाक प्रक्रियाओं में संलग्न किसी कारखाने के लिए केंद्र एक जाँच समिति की नियुक्ति कर सकता है।
- धुलाई की सुविधा, काम के घंटों, अतिरिक्त समय तक काम करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी, शिफ्टों की ओवरलैपिंग का निषेध आदि इस संहिता में सम्मिलित किए गए हैं।

3.16. उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास योजना (NEIDS), 2017

(North-East Industrial Development Scheme (NEIDS) 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रीमंडल ने उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास योजना (North East Industrial Development Scheme: NEIDS), 2017 को मार्च 2020 तक के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

इस योजना से संबंधित तथ्य

- **उद्देश्य:** सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व के राज्यों में **रोजगार** को बढ़ावा देने हेतु, इस योजना के माध्यम से सरकार मुख्य रूप से **MSME क्षेत्रक** को प्रोत्साहित कर रही है।
- इस योजना के अंतर्गत **विभिन्न विशिष्ट प्रोत्साहनों** में सम्मिलित हैं: संयत्र और मशीनरी में पूंजीगत निवेश पर प्रोत्साहन; ऋण पर ब्याज प्रोत्साहन; 5 वर्ष के लिए 100% की बीमा प्रीमियम की भरपाई; GST और आयकर के केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति; EPF में अंशदान के माध्यम से परिवहन प्रोत्साहन और रोजगार प्रोत्साहन।
- प्रोत्साहन के सभी घटकों के अंतर्गत समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रुपये होगी।

3.17. मानकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति का प्रारूप (INSS)

(Draft Indian National Strategy For Standards)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **मानकों हेतु भारतीय राष्ट्रीय रणनीति का प्रारूप** जारी किया है।

मानक या मानकीकरण क्या है?

- **यह समझौतों की एक रूपरेखा है, जिसके प्रति किसी उद्योग या संगठन के सभी प्रासंगिक पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वस्तु के सृजन या सेवा निष्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर पूरी की जाती हैं।**

INSS से संबंधित तथ्य

- INSS सरकार के वहनीय मानक और '**जीरो इफ़ेक्ट, जीरो डिफेक्ट**' अभियान के अनुरूप है।
- यह **गुणवत्ता ढांचे के तीन स्तम्भों** पर आधारित है – मानकीकरण, अनुरूपता (कन्फॉर्मटी) मूल्यांकन और तकनीकी विनियमन।

INSS के उद्देश्य

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता के विस्तार हेतु मानकों का उपयोग करना।
- उनके प्रभावी प्रबन्धन के लिए एक समेकित अवसरंचना, रोडमैप और संस्थान का निर्माण।
- व्यापार एवं उद्योग, उपभोक्ताओं और पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य राष्ट्रीय नीतियों के साथ रणनीति को संरेखित करना।
- तिमाही समीक्षाओं के साथ उच्च स्तरीय समिति द्वारा **रणनीति के कार्यान्वयन** की निगरानी की जाएगी।
- मानकीकरण की रणनीति बहुत सारे अपरिभाषित क्षेत्रों को कम कर देगी, जिनका उपयोग विभिन्न देशों द्वारा सेनेटरी एवं फाईटोसेनेटरी मानकों (SPS) और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं (TBT) के द्वारा आयात को रोकने के लिए किया जाता है।

मानकीकरण/मानक विकास	**अनुरूपता आकलन**	**तकनीकी विनियमन**
एक गतिशील, प्रासंगिक और प्राथमिकता आधारित **मानकों के परिवेश** को विकसित करना, जिसमें सम्मिलित होगा; • भारत में **सभी मानकों के विकास** की गतिविधियों का अभिसरण करना एवं दोहराव व अतिव्यापन से बचाव; • सभी क्षेत्रकों में मानकीकरण को एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र बनाना; • मानकों के विकास में राज्यों, MSMEs, निजी क्षेत्रक सहित सभी हितधारकों की समावेशी भागीदारी; • पर्यटन, योग, प्राचीन चिकित्सा आदि जैसे पारम्परिक शक्ति के **महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों** पर ध्यान केन्द्रित करना; • मानक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाना; • बाधा मुक्त व्यापार के लिए **क्षेत्रीय सार्क मानकों** के विकास को सुगम बनाना; • **उदार वित्त पोषण सहायता** के माध्यम से चिन्हित विशेषज्ञों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समितियों में भागीदारी सुनिश्चित करना।	बाजार में उपयोग किए जाने से पूर्व सभी अनुरुपताओं का आकलन किया जाना, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकें की सभी विधायी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। इनमें अनुरूपता आकलन निकायों (CABs) द्वारा परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण सम्मिलित है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास आवश्यक हैं: • राष्ट्रीय प्रमाणन के दायरे में सभी **अनुरूपता आकलन संचालकों** को लाने के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान करना और अन्य उपायों को अपनाना • वस्तु और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रमाणन हेतु पारस्परिक मान्यता समझौतों के माध्यम से वैश्विक समकक्षता को प्रोत्साहित करना। • प्रमाणीकरण हेतु निर्यात निरीक्षण परिषद की कोमोडिटी बोर्ड एवं प्रमाणन बोर्डों द्वारा सहायता की जानी चाहिए। • वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए ISI चिन्ह योजना को प्रोत्साहित करना। • MSME को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अनुरूपता मूल्यांकन की लागत को कम करना।	व्यापार पर कम से कम बोझ या व्यवधान के लिए तकनीकी विनियमन को कम करना। • **अनुपालन और प्रशासन लागत बनाम लाभ** के बीच संतुलन होना चाहिए; अनुपालन में प्रभावशीलता, अधिसूचना में पारदर्शिता, संचार में खुलापन। • नीति विकास और अनुरूपता मूल्यांकन से नियामक भूमिकाओं को पृथक करना होगा। • तकनीकी नियमों पर भारत और वैश्विक प्रथाओं के मध्य अन्तराल की पहचान करने की आवश्यकता है। • सभी बाजारों की निगरानी करने या समन्वय के लिए एक पेशेवर एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है। • तकनीकी नियामकों को अनुरूपता मूल्यांकन के **कम से कम जटिल मार्ग** का चयन करना होगा, जो जोखिम को कवर करने में सक्षम हो। • नियामक प्रभाव मूल्यांकन और आवधिक समीक्षा के लिए **एक नए सक्षम कानून की आवश्यकता है।**

3.18. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

(Corporate Social Responsibility)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने S&P BSE 100 सूची में एक तिहाई फर्मों द्वारा CSR के गैर-अनुपालन की पृष्ठभूमि में CSR दायित्वों के संस्थाओं द्वारा अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्णय किया है।

सुर्खियों से संबंधित तथ्य

- जिन **CSR गतिविधियों पर व्यय में बढ़ोतरी** देखी गयी है, उनमें शिक्षा को प्रोत्साहन, व्यावसायिक कौशल विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय धरोहर, बस्तियों का विकास, सामुदायिक विकास, अवसरंचना, सामाजिक कल्याण तथा सशस्त्र बलों के सेवानिवृत योद्धा, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और उनके आश्रितों का कल्याण सम्मिलित है।
- जिन गतिविधियों में **CSR व्यय में गिरावट** देखी गयी है, उनमें भूख और निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए योगदान सम्मिलित है।

- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी व्यापक कॉर्पोरेट उपस्थिति वाले औद्योगिक राज्य में भारतीय कम्पनियों द्वारा CSR व्यय के उच्चतम प्राप्तकर्ताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। हालाँकि, महाराष्ट्र के बाद दमन दीव और ओडिशा में सबसे अधिक वृद्धि देखी गयी है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के सम्बन्ध में

अनिल बैजल समिति की संस्तुतियां

इसका गठन कम्पनियों द्वारा **CSR नीतियों के कार्यान्वयन की बेहतर निगरानी के उपायों का सुझाव** देने के लिए गठित किया था।

प्रमुख संस्तुतियां:

- CSR अधिनियम के पीछे का तर्क वित्तीय संसाधनों को उत्पन्न करना नहीं था अपितु 'सार्वजनिक वस्तुओं' के वितरण में नवोन्मेषी कॉर्पोरेट विचारों और प्रबन्धन कौशल का उपयोग करना है।
- CSR कार्यान्वयन रणनीतियों के लिए दो मॉडल होने चाहिए: जिन कम्पनियों का कॉर्पोरेट व्यय 5 करोड़ रुपयों से अधिक है और वे कम्पनियां जिनका कॉर्पोरेट व्यय 5 करोड़ रुपयों से कम है।
- CSR की निगरानी के लिए किसी अन्य अतिरिक्त तन्त्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोर्ड और CSR समिति स्वयं अपने शेयरधारकों एवं जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी हैं।
- CSR गतिविधियों को अपनाने के लिए कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे – बड़ी और छोटी कम्पनियों की दो श्रेणियों में प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार।

- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एक प्रबन्धन अवधारणा है, जिसमें कम्पनियां अपने **व्यापार संचालन** एवं उनके हितधारकों के साथ **अन्योन्यक्रिया में सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को समेकित करती हैं।**
- कॉर्पोरेट फर्म अपने परिचालन के लिए **कच्चे माल आदि के रूप समाज के मूल्यवान संसाधनों आदि का उपयोग करती हैं,** इसलिए इन फर्मों को **समाज के कल्याण के रूप में कुछ प्रतिफल देना चाहिए।**
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 जिसमें कम्पनियों पर **लागू होने वाले CSR प्रावधान सम्मिलित हैं, निम्न पर लागू होते हैं:**
  - 1000 करोड़ रुपयों और उससे अधिक वार्षिक कारोबार वाली कम्पनियां,
  - या 500 करोड़ रूपये और उससे अधिक की निवल संपत्ति वाली कम्पनियां,
  - या पांच करोड़ रूपये और अधिक शुद्ध लाभ वाली कम्पनियां
- यह अधिनियम CSR गतिविधियों पर **विगत तीन वर्षों में कम्पनियों को अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय** करने का आदेश देता है।
- अधिनियम की अनुसूची VII में ऐसी गतिविधियों की सूची सम्मिलित है, जिनका फर्मों द्वारा CSR के लिये संचालन किया जा सकता हैं।

एक कम्पनी के लिए सशक्त CSR कार्यक्रम के लाभ:

- समुदायों का विश्वास प्राप्त करना।
- कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें कंपनी में बनाए रखना।
- कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा और ब्रांड निर्माण में वृद्धि।
- निवेशक आकर्षित होते हैं, क्योंकि निवेश के दौरान वे फर्म की नैतिकता को सम्मिलित करते हैं।
- फर्म की लाभप्रदता में वृद्धि, क्योंकि फर्म का नैतिक आचरण ग्राहकों के निर्णय लेने को धनात्मक रूप से प्रभावित करती है।

CSR से संबंधित कुछ चुनौतियाँ

- **सुदृढ़ नीति का अभाव:** कई फर्में दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ CSR नीति तैयार करने की अक्षमता के कारण CSR संबंधित व्यय को निश्चित दिशा देने में विफल रहती हैं।
- **स्थानीय आवश्यकताओं से अलगाव:** वास्तविक आवश्यकताओं और कम्पनियों द्वारा जिसके लिए धन आंवटित किया जा रहा होता है, उसमें असम्बद्धता देखी जा सकती है। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन और पहचान कर सकने वाले सुव्यवस्थित गैर-सरकारी संगठन उपलब्ध नहीं हैं।
- **कार्यान्वयन की सुगमता के आधार पर संचालित CSR परियोजनाएं:** कई CSR प्रयास पूर्ण रूप से कम्पनी के परिचालन दृष्टिकोण और उनके CSR परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुगमता से संचालित होते हैं।
- **विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों द्वारा गतिविधियों का दोहराव,** जिसके कारण सहयोगी दृष्टिकोण के स्थान पर प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण होता है।
- **स्थानीय समुदायों में CSR गतिविधियों की जागरूकता का अभाव:** कम्पनियों की CSR गतिविधियों में भाग लेने और योगदान करने में स्थानीय समुदाय में विश्वास और रूचि की कमी है। वास्तव में, सरकार, NGO, स्थानीय एजेंसियां, समाज के साथ-साथ निजी क्षेत्रक सहित सभी हितधारकों को सम्मिलित होने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस में कमी:** कई CSR गतिविधियाँ शहरी क्षेत्रों और बस्तियों में प्रारम्भ की जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अभावग्रस्त और निर्धन लोग CSR के लाभ से वंचित रहते हैं।
- **अपर्याप्त निगरानी:** एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी की कमी है, जो CSR प्रयासों की निगरानी और प्रमाणीकरण कर सके।

3.19. कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी मानदंड

(Corporate Governance Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस (प्रशासन) में सुधार के लिए सेबी (SEBI) द्वारा 2017 में गठित उदय कोटक पैनल की लगभग आधी सिफारिशों को सेबी ने स्वीकार कर लिया है।

विवरण

- उल्लेखनीय है कि सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों के लिए प्रशासन संबंधी मानदंड कम्पनी अधिनियम और सेबी के 2015 के सूचीबद्ध दायित्वों व प्रकटीकरण आवश्यकता संबंधी विनियमों (Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations) में निर्दिष्ट हैं।
- भारतीय कम्पनियों के लिए अधिक विस्तृत शासन संबंधी मानदंड हेतु सेबी अभी तक कई समितियां गठित कर चुकी है, जिनमें कुमार मंगलम बिड़ला समिति (2000), नारायण मूर्ति समिति (2003) और आदि गोदरेज समिति (2012) प्रमुख है।
- बाद में सुधारों की समीक्षा हेतु उदय कोटक समिति का गठन किया गया, जिसकी संस्तुतियों पर सेबी ने मानदंडों में बदलाव की स्वीकृति दी है।

सेबी द्वारा अनुमोदित कोटक समिति की प्रमुख संस्तुतियां:

- **पारदर्शिता में वृद्धि– प्रकटीकरण आवश्यकताओं में वृद्धि, जैसे:**
- अधिमान्य आवंटन और QIPs के माध्यम से उगाही गई निधि (फंड) के उपयोग का पूर्ण प्रकटीकरण।
- लेखा परीक्षकों के पूर्ण विवरण (पृष्ठभूमि, योग्यता आदि), लेखा परीक्षा शुल्क, लेखा परीक्षकों के त्यागपत्र के कारण का प्रकटीकरण।
- जवाबदेही बढ़ाने के लिए निदेशकों की विशेषज्ञता/कौशल का प्रकटीकरण तथा संबंधित पक्षकार लेन-देन (Related Party Transactions: RPT) का वर्धित प्रकटीकरण।

भारत के कॉर्पोरेट प्रशासन से संबद्ध मुद्दे

- बोर्ड नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद।
- निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में प्रभावशीलता और पारदर्शिता की कमी।
- भारत में स्वतंत्र निदेशकों ने या तो निष्क्रिय भूमिका निभाई है या यदि वे प्रमोटरों का पक्ष नहीं लेते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है।
- प्राय: सम्पूर्ण बोर्ड हितधारकों की ओर से प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित ही नहीं होते हैं।
- कार्यकारी मुआवजा नीति में पारदर्शिता नहीं है और इस हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
- परिवार विशेष के स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनियों में परिवार के सदस्यों के पास अधिक नियन्त्रण हैं तथा इनके उत्तराधिकारी को चुनने की व्यवस्था भी दोषपूर्ण है।
- अवास्तविक जोखिम मूल्यांकन नीतियाँ।
- निजता और डाटा संरक्षण, साईबर सुरक्षा आदि पर अपर्याप्त बल।
- कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व (CSR) परियोजनाओं के प्रति बोर्ड के गम्भीर प्रयासों की कमी।

VISION

- **निम्नलिखित माध्यमों से निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) की व्यवस्था को नया आकार देना और बोर्ड की समितियों की भूमिका में वृद्धि करना:**
  - शीर्ष 500 सूचीबद्ध कम्पनियों के चेयरपर्सन और CEO/MD के पद का पृथक्करण।
  - 1 अप्रैल, 2019 तक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कम्पनियों और 1 अप्रैल, 2020 तक शीर्ष 2000 कम्पनियों के बोर्डों में न्यूनतम 6 निदेशकों का प्रावधान कर बोर्ड की शक्ति और विविधता में वृद्धि करना।
  - इसके अतिरिक्त शीर्ष 500 सूचीबद्ध निकायों (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) और शीर्ष 1000 सूचीबद्ध निकायों में क्रमशः 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 तक न्यूनतम 1 स्वतंत्र महिला निदेशक का होना।
  - निदेशक मंडल की गणपूर्ति, निदेशक मंडल की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।
  - एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 8 डायरेक्टरशिप का प्रावधान।
- **सभी निवेशकों के लिए अलोग्रिथमिक ट्रेडिंग के लिए समान अवसर प्रदान करना:**
  - व्यापारिक सदस्यों के लिए लागत को कम करने हेतु स्टॉक एक्सचेंजों को शेयर्ड कोलोकेशन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
  - सभी व्यापारिक सदस्यों के लिए टिक-बाई-टिक डेटा फीड की निःशुल्क सुविधा।
- **समितियों की संवर्धित भूमिका**
  - **लेखा परीक्षा समिति** को होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कम्पनी में 100 करोड़ रूपये से अधिक या सहायक कंपनी की सम्पत्ति के 10 प्रतिशत के बराबर या दोनों में से जो भी कम हो, की स्थिति में होल्डिंग कम्पनी के ऋण/और अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करनी होगी।
  - **नामांकन और पारिश्रमिक समिति** जो वरिष्ठ प्रबन्धन की नियुक्ति और हटाने की संस्तुति करती हैं, उसकी भूमिका का विस्तार किया गया है।
  - **जोखिम प्रबन्धन समिति** अब विशेष रूप से साईबर सुरक्षा को कवर करेगी।
- सूचीबद्ध इकाइयों में कई सहायक कम्पनियों सहित जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं के लिए बढ़े दायित्वों और अनिवार्य सेक्रेट्रियल लेखा परीक्षा के माध्यम से कॉर्पोरेट शासन के अनुप्रवाह को बढ़ाना।
- सम्बधित पक्षों को राजस्व के 2% से अधिक के भुगतान की स्थिति में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अनुमोदन को अनिवार्य बना कर शेयरधारकों की भागीदारी और सहभागिता में वृद्धि करना।

महत्व

- कॉर्पोरेट शासन संबंधी मानदंडों में अनुमोदित परिवर्तन का उद्देश्य कॉर्पोरेट शासन से जुड़े मानकों को सर्वोत्तम वैश्विक शासन प्रथाओं से संरेखित करना है।
- यह भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रक में अल्पसंख्यक शेयरधारकों की कीमत पर प्रवर्तक-राज (प्रोमोटर-राज) के जोखिम को कम करने में सहायता करेगा।
- अधिक प्रकटीकरण आवश्यकताएं जैसी संस्तुतियां कम्पनी और उनके शेयरधारकों व प्रबंधकों के बीच जानकारी की असमानता को कम करेगी।

हालाँकि ऐसी चिंताएं हैं कि छोटी सूचीबद्ध संस्थाओं को ऐसी अनुपालन आवश्यकताओं से रोक दिया गया है, जबकि सूचीबद्ध कम्पनियों पर अनुपालन के बोझ के बढ़ने की आशंका व्यक्त की गयी है।

3.20. म्युनिसिपल बांड

(Municipal Bonds)

सुर्खियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए AMRUT (अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) के अंतर्गत आने वाले ULBs को प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मंत्रालय 10 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अधिकतम 26 करोड़ रूपये तक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- राशि के भुगतान संबंधित प्रयोजन के लिए ULBs द्वारा खोले गए एस्क्रो अकाउंट में एकमुश्त राशि के रूप में किया जाएगा।
- जारी किए गए बांड कर योग्य म्युनिसिपल बांड होंगे, न कि ग्रीन बांड।

म्युनिसिपल बांड पर SEBI के दिशानिर्देश:

SEBI विनियम, 2015 के अनुसार म्युनिसिपल बांड जारी करने वाली नगरपालिका या कॉर्पोरेट म्युनिसिपल इकाई (Corporate Municipal Entity: CME) को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी:

- तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी में भी ULB की **नकारात्मक निवल संपत्ति नहीं होनी** चाहिए।
- नॉन-डिफ़ॉल्ट (गैर-चूक): नगरपालिका को पिछले 365 दिनों के दौरान ऋण प्रतिभूतियों या बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं किया होना चाहिए।
- नगरपालिकाओं को परियोजना लागत का कम से कम 20% योगदान करना होगा।
- **कोई विल्फुल डिफ़ॉल्टर नहीं:** CME, उसके प्रवर्तकों, समूह की कंपनियों या निदेशक (निदेशकों) का नाम RBI द्वारा प्रकाशित विल्फुल डिफ़ॉल्टरों की सूची में नहीं होना चाहिए या जनता को इसके द्वारा जारी किए गए ऋण विपत्रों, यदि कोई है, के संबंध में ब्याज के भुगतान या मूलधन के पुनर्भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए।
- सार्वजनिक निर्गमन के लिए म्युनिसिपल बांड की **निवेश श्रेणी (इन्वेस्टमेंट ग्रेड) से ऊपर अनिवार्य रेटिंग** होनी चाहिए।

म्युनिसिपल बांड की आवश्यकता

- **शहरी अवसंरचना में सुधार हेतु:** शहरी अवसंरचना पर एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति (HPEC) ने 2012-31 की अवधि के दौरान शहरी अवसंरचना के राष्ट्रीय मानक के अनुरूप शहरी सेवाएं प्रदान करने के लिए 3.92 मिलियन करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।
- **वित्त का वैकल्पिक स्रोत:** इसके कारण राज्यों से प्राप्त होने वाले अनुदान या विश्व बैंक जैसी एजेंसियों पर निर्भर हुए बिना निगमों को फंड जुटाने में सहायता मिल सकती है। साथ ही, यह देखते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में म्युनिसिपल बांड बाजार क्रमशः लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर और 187 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, रेटिंग एजेंसी CARE का अनुमान है कि भारत में बड़ी नगरपालिकाएं प्रति वर्ष 1,000 से 1500 करोड़ रूपये तक जुटा सकती हैं।
- **संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना:** ये बांड निवेश के लिए कम जोखिम वाला मार्ग प्रदान करके पेंशन फंड और बीमा कंपनियों जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

भारत में म्युनिसिपल बांड बाजार के समक्ष चुनौतियां

- **म्युनिसिपल बांड से जुड़े मुद्दे**: इनके लिए **द्वितीयक बाजार की अनुपस्थिति** के कारण ये अपेक्षाकृत अपरिवर्तनीय विपत्र होते है, जिससे निवेशकों को परिपक्वता तक म्युनिसिपल बांड रखना पड़ता है।
  - साथ ही, PFRDA म्युनिसिपल बांड को वर्ग G (सरकारी प्रतिभूतियों) के बजाय वर्ग C के विपत्रों के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे इन्हें वर्ग C के अन्य विपत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिनका उच्च प्रतिफल होता है जिससे म्युनिसिपल बांड अनाकर्षक बन जाते हैं।
- **क्रेडिट पात्रता:** पहले 94 शहरों की CRISIL जैसी एजेंसियों द्वारा रेटिंग की गई थी, जो स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT का हिस्सा हैं। 94 में से 55 शहरों को निवेश ग्रेड वाली रेटिंग (BBB- और इससे ऊपर) मिली, जबकि अन्य 39 की BBB के नीचे रेटिंग की गई। इनकी **क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करने वाले कारणों में सम्मिलित हैं:**
  - तेरहवें वित्त आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 12 प्रतिशत केंद्रीय कर GDP अनुपात (tax to GDP ratio) की तुलना में **म्युनिसिपल कर GDP अनुपात** मामूली 0.5 प्रतिशत है।
  - फंड के लिए नगरपालिका निकायों की अन्य स्रोतों पर निर्भरता और राज्य सरकारों से ULBs को **हस्तांतरण की अप्रत्याशितता** के चलते ULBs की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- कुछ बड़े ULBs को छोड़कर ULBs की **बजट और लेखांकन प्रणालियों** में अभी भी पारदर्शिता की कमी है जिससे परिसंपत्तियों के दुरुपयोग और ULBs के आय व व्यय की भ्रामक तस्वीर के लिए संभावना बनी रहती है।
- अतीत में ULBs के लिए **राजस्व के उत्प्लावक स्रोतों के अभाव** ने भविष्य में उधार लेने की उनकी अनिच्छा में वृद्धि की है।
- नगर पालिकाओं पर ऋण के बहुत अधिक बढ़ जाने पर चूक के प्रकरणों में वृद्धि हो सकती है, जैसा कि वर्तमान में चीन में हो रहा है।
- इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र के विपरीत नगर पालिकाओं पर **दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता कानून तथा प्रतिभूति प्रवर्तन कानून** लागू नहीं होते हैं।

अन्य सुझाव

- EEE श्रेणी (जहां प्रारंभिक निवेश, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि सभी कराधान से मुक्त होती है) के अंतर्गत लाकर बांड की पण्यता (marketability) में वृद्धि करना ताकि खुदरा निवेशकों को बाजार से जोड़ा जा सके।
- साथ ही SEBI की कॉरपोरेट बॉन्ड और प्रतिभूतिकरण सलाहकार समिति ने 8% से अधिक ब्याज प्रभारित करने वाले म्युनिसिपल बांडों को करमुक्त दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की थी। वर्तमान में, प्रति वर्ष अधिकतम 8% तक ब्याज दर वाले बांड ही इसके लिए पात्र हैं।

VISION IAS

- **बॉन्ड बाजारों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है:**
  - 'A'रेटिंग वाले ULBs की क्रेडिट में वृद्धि और पूंजी बाजार तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से संपत्ति कर संग्रह जैसे उपायों के लिए **राजस्व का प्रतिभूतिकरण** कर बांडों को संरचित करना।
  - SEBI ने बांड जारी करने के लिए एक **पूल (साझा) तंत्र** का भी सुझाव दिया है जिससे कम रेटिंग वाले शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ आने और बांड जारी करने में सहायता मिल सकती है।
  - दीर्घकालिक बचत का दोहन करने और परिवारों तथा संस्थाओं को परिपक्वता से पहले अपने दीर्घकालिक बांड बेचने की अनुमति देने के लिए **बांड व्यापार के लिए द्वितीयक बाजार** का निर्माण करना।
- **म्युनिसिपल बांडों को 'सार्वजनिक प्रतिभूतियों' का दर्जा दिया जा सकता है** ताकि वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) निवेश के लिए स्वीकार्य हो जाएं।
- इसके अतिरिक्त संस्थागत निवेशकों की ओर से म्युनिसिपल बांड की मांग में वृद्धि करने के लिए शहरी अवसंरचना को प्राथमिक क्षेत्रक उधारी का हिस्सा बनाया जा सकता है।
- शहरी संस्थाओं पर लागू होने वाले **ऋण वसूली और ऋणशोधन अक्षमता कानून का प्रचलन**।
- ULBs की भविष्य की राजस्व सृजन क्षमता के साथ-साथ जनता से प्रबंधन, प्रशासन, परियोजनाओं, राजस्व सृजन, जोखिम कारकों आदि के संबंध में सूचनाओं को प्रकट करके निवेशक के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए **पारदर्शिता और प्रकटीकरण मानदंडों में सुधार करना**।
- पर्याप्त क्रेडिट योग्य म्युनिसिपल वित्त अवसर सृजित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता से नगर पालिकाओं को लैस करने के लिए शासन स्तर पर **संरचनात्मक सुधार** भी किए जाने चाहिए।
- नगर पालिकाओं में प्रभारी **राजनीतिक कार्यकारियों को सशक्त बनाने** की आवश्यकता भी है और प्रत्यक्ष निर्वाचित महापौर जैसे विचारों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
- नगरपालिकाओं के वित्तीय हस्तांतरण की कमियों पूरा करने के लिए और बांड जारी करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में उचित यूजर चार्जेज एवं फीस, संपत्ति करों में बढ़ोतरी जैसे अन्य सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

3.21. प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

(Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana: PMRPY)

सुर्खियों में क्यों?

- मंत्रिमंडल द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत PMRPY का दायरा बढ़ा दिया गया है।

PMRPY से संबंधित तथ्य

- यह योजना 2016 से सक्रिय है तथा **नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने** हेतु तैयार की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत, सरकार नया सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) रखने वाले नए कर्मचारियों (जो 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं) के संबंध में **कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में नियोक्ताओं का 8.33% अंशदान** (कपड़ा, चमड़ा और जूता उद्योग के संदर्भ में 12%) प्रदान करती थी। इन कर्मचारियों का वेतन प्रति माह 15 हजार रूपये तक होना चाहिए।
- इस योजना का **दोहरा लाभ** है, क्योंकि नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में श्रमिकों का रोजगार आधार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त होती है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठानों के पास वैध LIN (श्रमिक पहचान संख्या) होनी चाहिए।

नया क्या है?

- भारत सरकार अब नए कर्मचारी के पंजीकरण की तिथि से लेकर पहले तीन वर्षों हेतु और वर्तमान लाभार्थियों सहित सभी क्षेत्रकों के लिए उनकी तीन वर्षों की शेष अवधि के लिए **नियोक्ता के पूर्ण स्वीकार्य अंशदान** (12%) का योगदान करेगी।
- अब **अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों** को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और अपेक्षाकृत अधिक रोजगार का सृजन होगा।

3.22. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (NSDF)

(National Skill Development Corporation And National Skill Development Fund)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने NSDC और NSDF के पुनर्गठन की स्वीकृति दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पुनर्गठन NSDF बोर्ड की संरचना, इसकी निगरानी भूमिका की सुदृढ़ता तथा NSDC के प्रशासन, कार्यान्वयन और निगरानी ढांचा मजबूत बनाने से संबंधित है।
- निवेश प्रबंधन समझौते (IMA) में एक प्रावधान सम्मिलित करके NSDF को NSDC के कार्यों पर पर्यवेक्षी भूमिका प्रदान की गई है। IMA, NSDC के साथ NSDF का एक समझौता है। यह समझौता राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसके कोष के उपयोग हेतु किया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) (2008)	राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (NSDF)
• यह वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित **गैर-लाभकारी कंपनी** है तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। • इसका 10 करोड़ रुपये का इक्विटी आधार है, जिसमें से भारत सरकार की हिस्सेदारी 49% है, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% है। • इसका प्राथमिक अधिदेश भारत में कौशल परिदृश्य को उत्प्रेरित करना है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, पेटेंट की फंडिंग करता है और कौशल विकास के लिए समर्थन प्रदान करता है। • इसे **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।	• 2009 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। देश में कौशल विकास के लिए **सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से धन जुटाने** के लिए इसे स्थापित किया था। • भारत सरकार द्वारा स्थापित **सार्वजनिक ट्रस्ट इस फंड का संरक्षक** है। यह फंड ट्रस्टी (Trusti) बोर्ड द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। कौशल मंत्रालय का सचिव इस ट्रस्ट का अध्यक्ष होता है। • NSDF ट्रस्ट को सरकारी स्रोतों, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय और अन्य एजेंसियों से वित्तीय अंशदान के ग्राही (receptacle) के रूप में कार्य करने के लिए निगमित किया गया था।

3.23. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक

(Energy Transition Index)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच** ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स) जारी किया।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (ETI) से संबंधित तथ्य

- यह **फ़ोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट** के प्रथम संस्करण का भाग है। यह **ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉरमेंस इंडेक्स** की पूर्व श्रृंखला के आधार पर निर्मित है।
- यह इस आधार पर देशों को श्रेणीबद्ध करता है कि वे कैसे ऊर्जा सुरक्षा में संतुलन बनाने और पर्यावरणीय संधारणीयता और वहनीयता के साथ पहुँच बनाने सक्षम हैं।
- यह एक मिश्रित सूचकांक है। यह 114 देशों की **ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन** और **संक्रमण तत्परता (transition readiness) का** मापन करने हेतु विशिष्ट संकेतकों पर फोकस करता है। इसमें स्कोर 0-100% के मध्य होता है।

VISION IAS

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- भारत **78वें पायदान पर** है। इसका स्थान ब्राजील और चीन से नीचे है।
- हालांकि, ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के परिनियोजन में सुधार के लिए भारत के सुदृढ़ कदमों को रिपोर्ट में मान्यता दी गई है। लेकिन इसमें उल्लेख किया गया है कि देश में ऊर्जा संक्रमण के लिए अत्यधिक निवेश और समर्थ परिवेश एवं सुदृढ़ नियामकीय ढांचे की आवश्यकता होगी।
- सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर एवं उसके बाद नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड हैं।
- विगत पांच वर्षों के दौरान, 80% से अधिक देशों ने अपनी ऊर्जा प्रणालियों में सुधार किया है। हालांकि वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

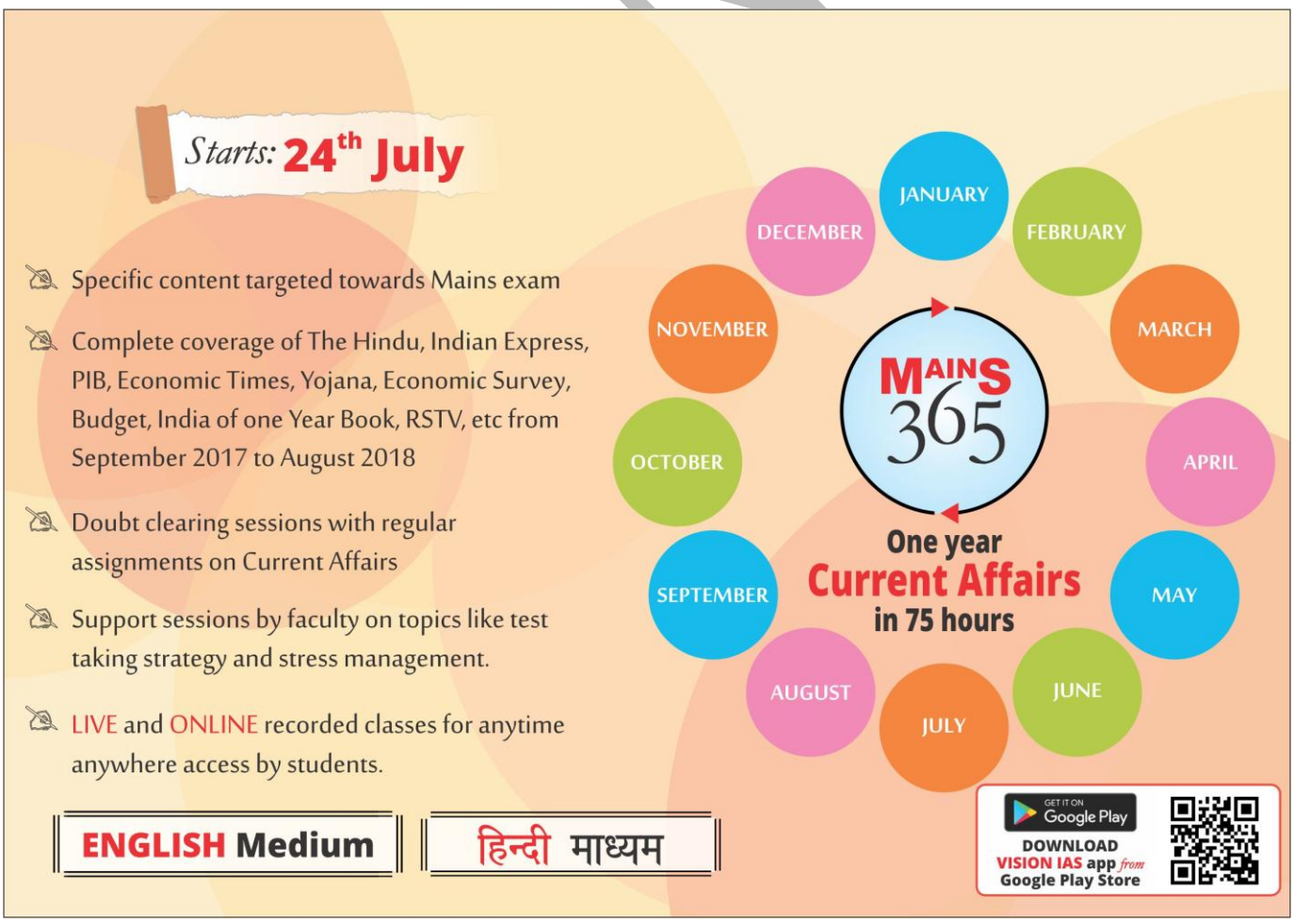

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. रक्षा उत्पादन पर मसौदा नीति, 2018

(Draft Defence Production Policy, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन पर मसौदा नीति, 2018 (DProP, 2018) जारी की गयी।

पृष्ठभूमि

- भारत के रक्षा उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिली है। यह 2013-14 के 43,746 करोड़ रूपये से बढ़कर 2016-17 में 55,894 करोड़ रूपये हो गया।
- हालांकि, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार 2013-17 के मध्य विश्व के हथियार आयात में भारत की 12% की हिस्सेदारी रही। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है।

मुख्य बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में भारत को विश्व के शीर्ष पांच देशों में सम्मिलित करना है।
- **उद्देश्य**
  - एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना, जो 'मेक इन इंडिया' पहल के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में एक गतिशील, सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करे।
  - देश में प्रौद्योगिकी के तीव्र समावेशन की सुविधा प्रदान करना और एक श्रेणीबद्ध रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
  - 2025 तक 13 निर्धारित क्षेत्रों जैसे कि लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, छोटे हथियार, लैंड कॉम्बैट व्हीकल्स आदि के निर्माण में **आत्मनिर्भरता प्राप्त करना**।
  - 2025 तक हथियारों की घरेलू बिक्री में वृद्धि कर इसे 1.7 लाख करोड़ रुपये (26 अरब डॉलर) करना तथा रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये (5.0 अरब डॉलर) तक पहुँचाना।
  - साइबर स्पेस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना।
- **नीति का उद्देश्य निम्नलिखित उपायों के माध्यम से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करना है:**
  - घरेलू विनिर्माण; मुख्यतः स्टार्टअप और MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का समर्थन करने के लिए कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाना और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उदारीकरण करना।
  - MSMEs समेत निजी रक्षा उद्योगों की विभिन्न तकनीकों को अपनाने की मूल क्षमता/दक्षता के आकलन हेतु **योग्यता मानचित्रण (Competency Mapping)** प्रारम्भ करना।
  - हमारी सेनाओं द्वारा आगामी 10 वर्षों की समय-सीमा के भीतर खरीद हेतु विचाराधीन प्लेटफार्म/हथियार प्रणालियों को सूचीबद्ध करने के लिए **टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोडमैप (TPCR)** का निर्माण करना।
  - रक्षा उत्पादन क्षेत्र में उद्योगों के सुगम प्रवेश हेतु **रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2016 की मेक-II प्रक्रिया** को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
  - कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत **FDI की अधिकतम सीमा** को **वर्तमान** 49% से बढाकर 74% तक करना।
  - DPP के अंतर्गत एक **रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (डिफेन्स इन्वेस्टर सेल)** की स्थापना करना। यह प्रकोष्ठ, राज्य और अन्य प्राधिकरणों से संबंधित मुद्दों के निस्तारण एवं रक्षा उत्पादन में MSMEs एवं अन्य निवेशकों को सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा।
- रक्षा क्षेत्र में FDI व्यवस्था को उदारीकृत बनाया जाएगा और विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक FDI सीमा को स्वीकृति दी जाएगी।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण की सुविधा के लिए बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ का सृजन किया जाएगा।
- **स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना:** देश भर में **रक्षा नवाचार केंद्र** की स्थापना हेतु **इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस (iDeX) स्कीम** का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य रक्षा क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को आवश्यक समर्थन और अवसंरचना सहायता प्रदान करना है। साथ ही यह स्टार्टअप्स के समक्ष उपस्थित रक्षा संबंधी विशिष्ट अनुसन्धान एवं विकास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1,000 करोड़ रूपये के कोष की स्थापना करेगा।
- तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में **रक्षा औद्योगिक गलियारों** की स्थापना की जाएगी, जहां प्रत्येक गलियारे में एक एंकर इकाई के आसपास रक्षा उत्पादन इकाइयों का एक बड़ा समूह होगा।
- विदेशों में भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **रक्षा निर्यात संगठन** को उद्योग के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा।

VISION IAS

- **OFB और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना:** ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने एवं उनकी उत्पादकता में सुधार करने हेतु उन्हें पेशेवर बनाया जाएगा।
- डिजाइन, विकास और विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और सरकार के मध्य 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर एक **एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी** की स्थापना की जाएगी।
- विस्तार एवं स्वदेशीकरण से सम्बंधित सैन्य एवं नागरिक विमानन आवश्यकताओं को जोड़ने के लिए एक स्वायत्त **नेशनल एयरोनॉटिकल कमीशन** की स्थापना की जाएगी।
- संभावित अवसरों के विषय में जागरूकता के प्रसार तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को जन सामान्य के समक्ष लाने के लिए देश के विभिन्न भागों में **आउटरीच कार्यक्रम** आयोजित किए जाएंगे।
- **रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग (DDP)** रक्षा उत्पादन नीति, 2018 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।
- राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य विशिष्ट एयरोस्पेस एवं रक्षा नीतियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

संबंधित चिंताएं

- यद्यपि 2011 की नीति के विपरीत, 2018 की नीति का मसौदा एक स्पष्ट विज़न, उद्देश्यों का समुच्चय और रणनीतियाँ सुनिश्चित करता हैं; तथापि यह सरकार एवं निजी क्षेत्रक के मध्य विद्यमान विश्वास की कमी को सम्बोधित नहीं करता। इस विश्वास की कमी का कारण है सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों के गवर्निंग बोर्ड में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति, जिसके कारण प्रायः बड़े अनुबंधों का नामांकन इनके पक्ष में हो जाता है।
- मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के भिन्न-भिन्न हितों के वास्तविक समाधान प्रस्तुत नहीं करती है। इन हितधारकों में DDP, DRDO और MoD के अधिग्रहण विभाग सम्मिलित हैं जो एक-दूसरे से पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं।
- स्वदेशी उत्पादन हेतु चिह्नित की गई 13 भिन्न-भिन्न श्रेणियों में सम्मिलित वस्तुओं में से अधिकांश सामान्य हैं तथा इनमें वे वस्तुएं शामिल हैं, जिनका उत्पादन किया जा रहा है अथवा जिन्हें निकट भविष्य में उत्पादन हेतु मंजूरी दी गई है। यह नीति ऐसी किसी विशिष्ट नई परियोजना के नाम का उल्लेख नहीं करती है, जो उद्योग क्षेत्रक को संभावित व्यावसायिक संभावनाओं का संकेत देती हो।
- **बजट संबंधी बाधाएं** नीति के निश्चित निवेश को समयबद्ध तरीके से लाभप्रद होने से रोक सकती हैं।

4.2. रक्षा औद्योगिक गलियारा

(Defence Industrial Corridor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने तमिलनाडु में रक्षा उत्पादन गलियारा स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु कार्य आरम्भ कर दिया है।

रक्षा औद्योगिक गलियारों के बारे में

- सरकार द्वारा बजट 2018 में दो रक्षा गलियारों की स्थापना की घोषणा की गई-
  - इनमें से पहला **उत्तर प्रदेश** में आगरा और चित्रकूट के मध्य; तथा
  - दूसरा **तमिलनाडु** में होगा। इसे **तमिलनाडु डिफेंस प्रोडक्शन क्वाड** कहा जाएगा एवं यह चेन्नई, होसुर, सालेम, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली को बेंगलुरु से जोड़ेगा।
- रक्षा उत्पादन पर मसौदा नीति, 2018 में प्रावधान किया गया है कि इन रक्षा औद्योगिक गलियारों को राज्यों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रक्षा गलियारे के विकास हेतु स्थापित स्पेशल पर्पज व्हीकल को प्रदत्त 3,000 करोड़ रुपये में भारत सरकार द्वारा 50% की सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकार ने सेबी के साथ पंजीकृत एक डेडिकेटेड डिफेन्स एन्ड एयरोस्पेस स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज (SME) फंड के सृजन की भी घोषणा की है, जहां निवेशकों द्वारा न्यून अंशधारिता प्राप्त की जा सकती है। यह फंड निवेश को इन दो रक्षा गलियारों में निर्देशित करने में सहायक होगा।
- गलियारों के लाभ:
  - ये **विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर बल** देंगे तथा रक्षा क्षेत्र में भारत को **आत्मनिर्भर** बनाने में सहायक होंगे।
  - इनके द्वारा सभी औद्योगिक अभिकर्ताओं के मध्य अन्तःक्रियाओं पर बल दिए जाने की अपेक्षा की गयी है। इसके द्वारा दीर्घकालिक सामंजस्य का निर्माण तथा अंततः इस क्षेत्र के **रक्षा उत्पादन पावरहाउस के रूप में संभावित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।**
  - ये गलियारे **निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे।**

4.3. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड

(Integrated Theatre Command)

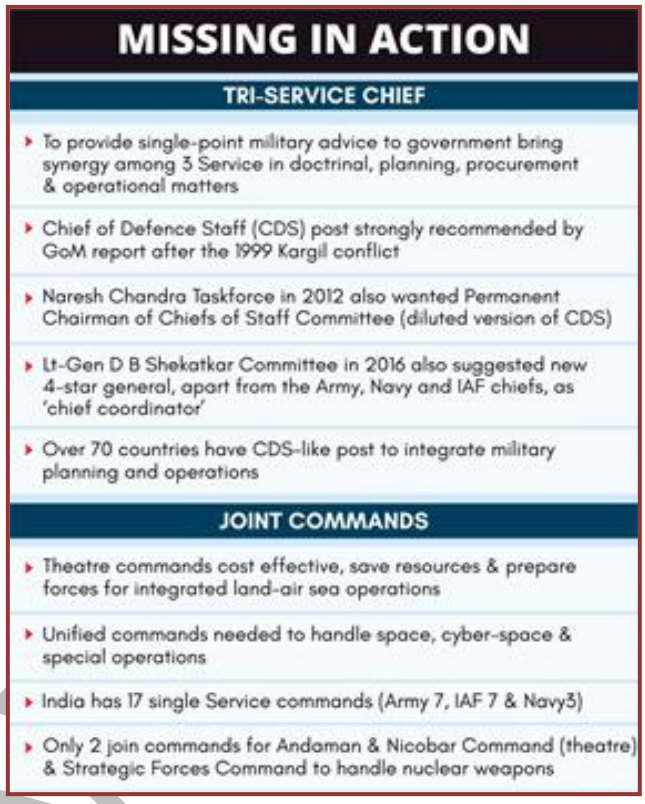

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने अलग-अलग अधिनियमों एवं नियमों द्वारा शासित होने वाले त्रि-सेवा संगठनों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में नए "सांविधिक नियमों और आदेशों" को अधिसूचित किया है। इससे किसी भी सेवा के एक अधिकारी द्वारा अन्य दो सेवाओं के सैन्यकर्मियों को "प्रत्यक्ष निर्देश" दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

महत्त्व

- वास्तव में यह कदम विशेष रूप से सामरिक अवस्थिति वाले अंडमान एवं निकोबार कमांड (ANC) के लिए उठाया गया है, जिसे अक्टूबर 2001 में भारत के प्रथम थिएटर कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। परन्तु यह तीनों सेवाओं के मध्य खींचतान, सामान्य राजनीतिक-नौकरशाही उदासीनता, धन के अभाव और पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओं के कारण अपनी संभावित क्षमता को प्राप्त करने में काफी हद तक असफल रहा है।
- ANC के नेवल कमांडर-इन-चीफ अब सेना और IAF अधिकारियों एवं उनके अधीन अन्य कर्मियों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित और अनुशासित कर सकते हैं। यहां तक कि इस प्रकार के अन्य सभी स्थल क्षेत्रों और परिसंपत्तियों को उसके अंतर्गत लाने के लिए भी कदम उठाये गए हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की बढ़ती हुई चुनौतियों के कारण ANC में पूर्णतः एकीकृत दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।
- सेना, नौसेना और IAF के नियमों में परिवर्तन, आने वाले समय में, देश में **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड** की दिशा में पहला कदम है।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है?

- यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भौगोलिक थिएटरों (geographical theatres) के लिए तीनों सेवाओं की एक एकीकृत कमान है, जो एक ही कमांडर के अधीन होती है।
- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर, अलग-अलग सेवाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यह एक संयुक्त युद्धक बल (cohesive fighting force) के गठन हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित करने, पूर्ण रूप से तैयार करने और निर्देश देने के लिए स्वतन्त्र होगा।
- थिएटर कमांडर के अभियानों के समर्थन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक संसाधनों को उसके नियंत्रण में रखा जाएगा ताकि उसे अभियानों के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी न हो।

4.4. भारत- बांग्लादेश सीमा पर प्रथम 'अपराध-मुक्त-क्षेत्र'

(First 'Crime Free Zone' On India-Bangladesh Border)

सुर्खियों में क्यों?

भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से गुनरमठ और कल्याणी में BSF बॉर्डर पोस्ट तथा पुटखाली और दौलतपुर में BGB (बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश) बॉर्डर पोस्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न 8.3 किलोमीटर क्षेत्र को प्रथम 'अपराध-मुक्त-क्षेत्र" के रूप में स्थापित किया।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- 'अपराध-मुक्त-क्षेत्र" बनाने का मुख्य उद्देश्य BSF और BGB के प्रयासों को एकीकृत करके **उन सीमावर्ती क्षेत्रों का चयन करना है जो अवैध, असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों** (जैसे- मानव दुर्व्यापार/ड्रग्स और फायर आर्म तस्करी/आतंकवादी गतिविधियां) से मुक्त हैं। यह कार्य जिला प्रशासन, NGOs और दोनों देशों की सीमा पर निवास करने वाली जनसंख्या के सहयोग से किया जाएगा।

VISION

- यह क्षेत्र अपराध मुक्त बना रहे, यह सुनिश्चित करने हेतु **बॉर्डर सर्विलेंस डिवाइस,** जैसे- क्लोज्ड-सर्किट कैमरे, सर्च लाइट और थर्मल इमेजिंग डिवाइस स्थापित की जाएँगी। साथ ही सीमा पर सख्त निगरानी बनाए रखने के लिए ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा।
- BSF और BGB सीमा पर अपराध सम्बन्धी गतिविधियों की रोकथाम हेतु **स्थानीय लोगों के मध्य जागरूकता** में वृद्धि भी कर रहे हैं।

- भारत और बांग्लादेश **4,096 किमी** की स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जो भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सबसे बड़ी है।
- भारत के **पांच राज्य** बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं- पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी), असम (263 किमी), मेघालय (443 किमी), त्रिपुरा (856 किमी) और मिजोरम (318 किमी)।
- भारत-बांग्लादेश सीमा के आधे भाग में **बाड़** लगा दी गई है और शेष आधे भाग में 2019 तक **बाड़** लगा दी जाएगी।

4.5. संरक्षित क्षेत्र परमिट

(Protected Area Permit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट पर छूट देने का निर्णय लिया है।

संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) के बारे में

- **सुरक्षा** कारणों से, कुछ **निश्चित क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र/ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।** इन क्षेत्रों में किसी सक्षम प्राधिकारी (competent authorities) से **परमिट प्राप्त किये बिना कोई भी विदेशी व्यक्ति न तो प्रवेश कर सकता है, न ही ठहर सकता है।**
- विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 {Foreigners (Protected Areas) Order, 1958} के अंतर्गत, **'इनर लाइन' और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मध्य उपस्थित सभी क्षेत्रों को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया है।**
- वर्तमान में **संरक्षित क्षेत्र** के अंतर्गत सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ भाग सम्मिलित हैं।
- विदेशी विषयक (प्रतिबंधित) क्षेत्र आदेश, 1963 (Foreigners (Restricted) Areas Order, 1963) के अंतर्गत सिक्किम के कुछ भागों तथा सम्पूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को **'प्रतिबंधित' क्षेत्र** घोषित किया गया है।
- PAP में **छूट से पर्यटन में वृद्धि होगी** और राज्य के लिए **रोजगार एवं राजस्व के अवसर बढ़ेंगे।**

इनर लाइन परमिट सिस्टम (ILP)

- इनर लाइन परमिट एक **प्रतिबंधित क्षेत्र** में **गैर-अधिवासी भारतीय नागरिकों के प्रवेश को विनियमित** करता है।
- अंग्रेजों ने इसका प्रयोग **आक्रामक पर्वतीय जनजातीय समुदायों** से पूर्वोत्तर में स्थित अपने **राजस्व उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए** किया था।
- वर्तमान में ILP को पर्वतीय राज्यों में निवास करने वाले कम जनसंख्या वाले जनजातीय समुदायों की जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अखंडता की सुरक्षा के एक उपाय के रूप में देखा जाता है।
- वर्तमान में यह **अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड** में लागू है।

4.6. मालवेयर

(Malwares)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा **'सपोशी' (Saposhi) नामक** एक मालवेयर का पता लगाया गया। यह मालवेयर **बॉटनेट** (इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हमला कर उन्हें बॉट्स' में बदलना) उत्पन्न कर सकता है तथा इसके साथ ही **डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS)** नामक अटैक भी कर सकता है।

मालवेयर क्या है?

- मालवेयर शब्द, "मैलीशियस सॉफ्टवेयर" (Malicious Software) का संक्षिप्त रूप है। यह सॉफ़्टवेयर का एक प्रकार होता है जिसका निर्माण डेटा, डिवाइस या लोगों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो।
- **मालवेयर के विभिन्न प्रकार हैं।** यथा-
    - **वायरस (Virus):** ये स्वयं को असंक्रमित (clean) फाइलों से सम्बद्ध कर लेते हैं और अनियंत्रित रूप से प्रसारित होने लगते हैं। इसके साथ ही ये सिस्टम की मुख्य कार्यक्षमता को क्षति पहुँचाते हैं एवं फाइलों को नष्ट या संक्रमित (corrupt) करने लगते हैं। ये आमतौर पर एक एक्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल के रूप में उपस्थित होते हैं।
    - **ट्रोजन (Trojans):** ये स्वयं को वैध सॉफ़्टवेयर के रूप में प्रदर्शित करते हैं एवं विशिष्ट ढंग से कार्य करने की प्रवृति दर्शाते हैं। ये अन्य मालवेयर्स के प्रवेश हेतु सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं।
    - **स्पाइवेयर (Spyware)**: यह बैकग्राउंड में छिपा रहता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऑनलाइन कार्यों (जिनमें पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, सर्फिंग आदतें आदि सम्मिलित हैं) पर नज़र रखता है।
    - **वर्म्स (Worms):** नेटवर्क इंटरफेस का उपयोग कर वर्म्स, उपकरणों के संपूर्ण नेटवर्क (लोकल अथवा इंटरनेट) को संक्रमित करता है। यह प्रत्येक संक्रमित मशीन का उपयोग कर और अधिक मशीनों को संक्रमित करता है।
    - **रैनसमवेयर (Ransomware):** इसे स्केयरवेयर (scareware) भी कहा जाता है। इस प्रकार का मालवेयर कंप्यूटर को लॉक कर सकता है। यह मालवेयर के स्वामी को रैनसम (फिरौती) न दिए जाने पर सब कुछ नष्ट (डिलीट करने) की धमकी देता है।
    - **एडवेयर (Adware)**: यह सुरक्षा को कमजोर कर सकता है जिससे कई अन्य मालवेयर्स के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
    - **बॉटनेट्स (Botnets)**: बॉटनेट्स संक्रमित कंप्यूटरों के नेटवर्क हैं, जो एक अटैकर के नियंत्रण में एक साथ कार्य करते हैं।

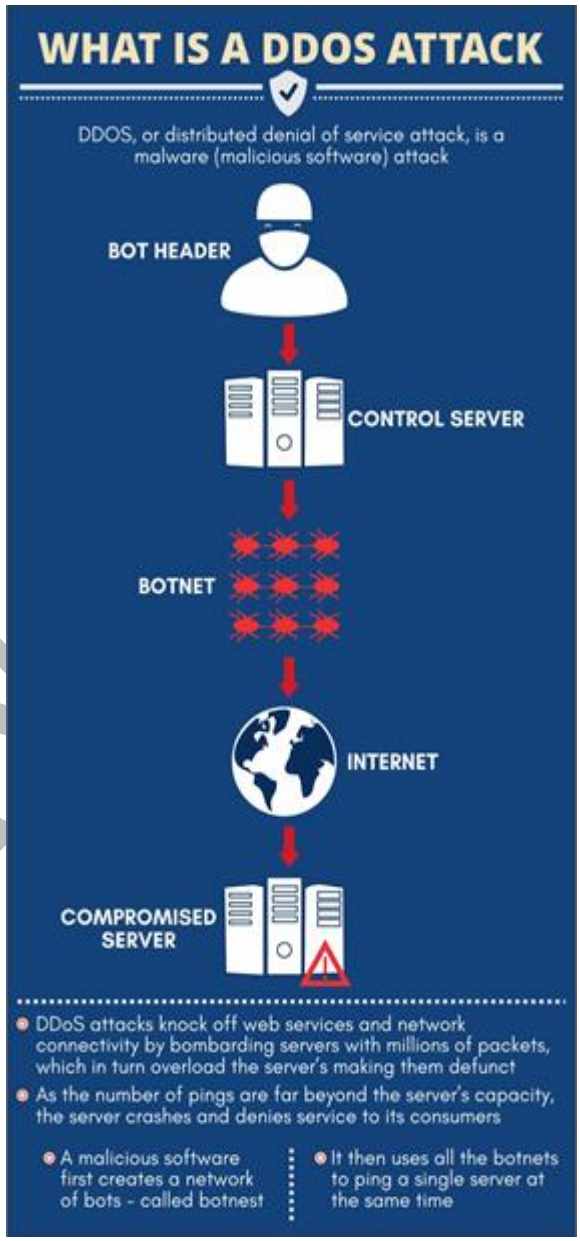

मालवेयर से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra to Tackle Malware)

- सरकार ने **"साइबर स्वच्छता केंद्र"** की स्थापना की है जो **एक बॉटनेट क्लीनिंग एवं मालवेयर एनालिसिस सेंटर के रूप में** कार्य करता है।
- यह **सुरक्षित साइबर स्पेस** के सृजन हेतु **डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा** है। इसका लक्ष्य बॉटनेट के संक्रमण का पता लगाना तथा BOTs/मालवेयर से संबंधित सूचनाएं प्रदान कर, इसे नष्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाना है।
- इसे **CERT-In** (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- साथ ही, **यह केंद्र अपने डेटा, कंप्यूटरों, मोबाइल फ़ोन्स और होम राउटर्स (routers) जैसे उपकरणों को सुरक्षित करने हेतु नागरिकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करेगा।**
- यह अपने कार्य के संचालन हेतु दूरसंचार विभाग, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियों और शिक्षक समुदाय के साथ भी सहयोग करता है।

VISION

4.7. नौसेना अभ्यास

(Naval Exercises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आठ दिवसीय द्विवार्षिक अभ्यास 'मिलन' (Milan) का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने **अरब सागर** में **'एक्सरसाइज पश्चिम लहर (XPL)'** नामक एक **त्रि-सेवा समुद्री अभ्यास** का भी आयोजन किया।

मिलन (MILAN) से संबंधित तथ्य

- यह हिंद महासागर क्षेत्र की अग्रणी समुद्री शक्तियों के साथ किया जाने वाला एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। पहली बार इसका आयोजन 1995 में किया गया था। मिलन 2018, इसका 10वां संस्करण था और इसमें अब तक की तुलना में सर्वाधिक भागीदार थे।
- इसमें 16 देश- ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, वियतनाम, थाईलैंड, तंजानिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या और कंबोडिया सम्मिलित हैं।
- मिलन 2018 में मालदीव ने भाग नहीं लिया क्योंकि वहां आपात स्थिति लागू थी।

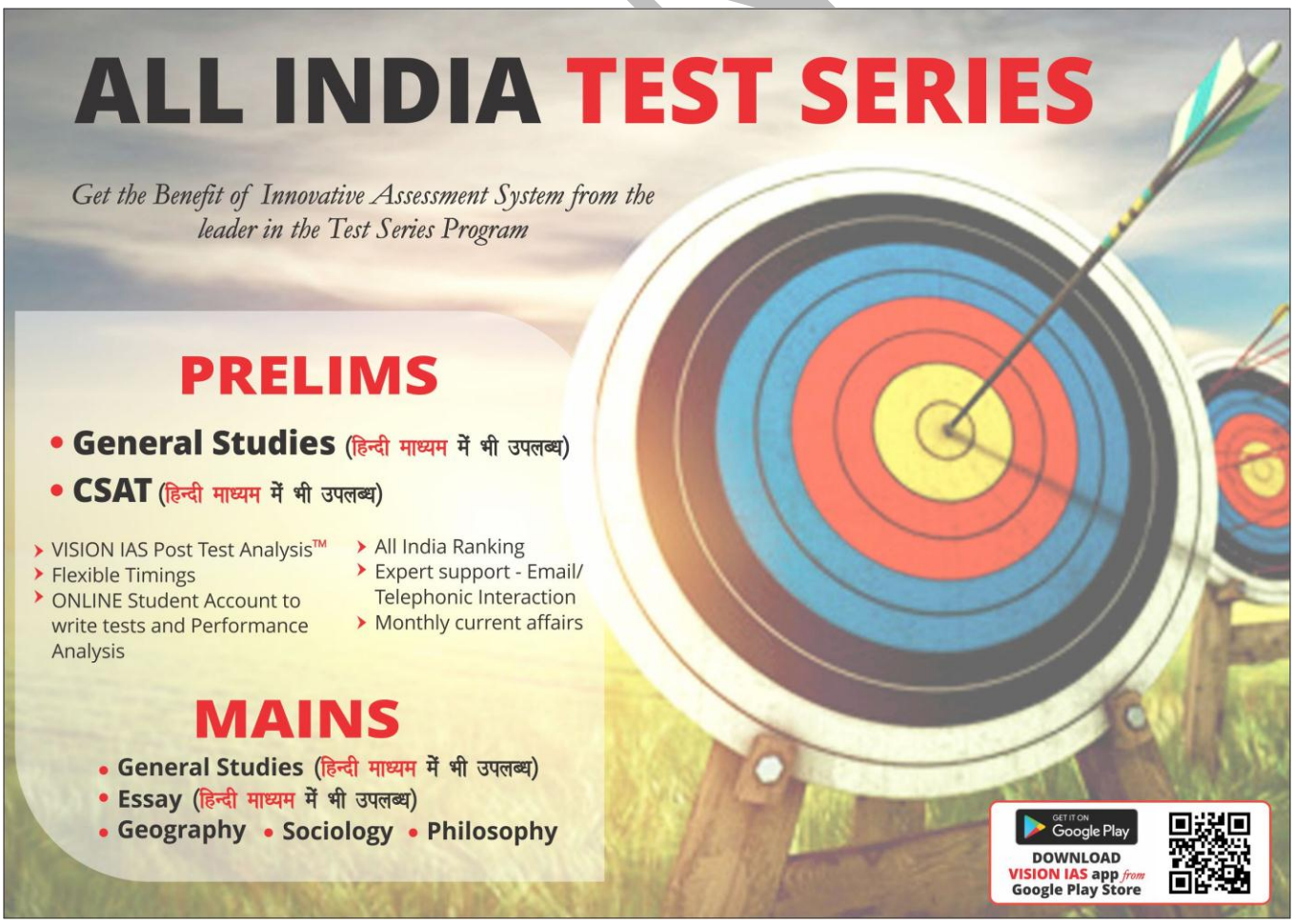

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा, 2018

(Draft National Forest Policy, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, 2018 के मसौदे को जारी किया गया।

पृष्ठभूमि

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की 2018 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन हैं। यह भाग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.53% है।
- भारत सरकार ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है।
- भारत में 300 मिलियन से अधिक जनजातीय लोग और अन्य वनवासी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए वन भूमि पर निर्भर हैं।
- निम्नलिखित कारकों का समावेश करते हुए मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति,1988 को संशोधित करने की आवश्यकता है:
  - सतत वन प्रबंधन।
  - जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन रणनीतियाँ।
  - वनों में अनेक हितधारकों की भागीदारी की निगरानी हेतु एक मूल्यांकन तंत्र।

नीति के मसौदे की मुख्य विशेषताएँ

- **उद्देश्य:** वर्तमान और भावी पीढ़ियों की पारिस्थितिकीय एवं आजीविका सुरक्षा के लिए रक्षोपाय करना।
- **पारिस्थितिक सुरक्षा**: देश का लक्ष्य कुल भूमि क्षेत्र के न्यूनतम एक-तिहाई भाग तथा पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दो-तिहाई भाग को वनों एवं वृक्षावरण के अंतर्गत लाना है।
- **संस्थान:** अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण सुनिश्चित करने, प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने, संघर्ष समाधान आदि के लिए केंद्रीय स्तर पर **नेशनल बोर्ड ऑफ़ फॉरेस्ट्री (NBF)** की स्थापना (पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में) और राज्य स्तर पर **स्टेट बोर्ड ऑफ़ फॉरेस्ट्री** (वनों के प्रभारी राज्य मंत्रियों की अध्यक्षता में) की स्थापना। ये बोर्ड इस नीति के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा भी करेंगे।
- **वानिकी में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाना:** वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन आरम्भ किया जाएगा। इससे वानिकी में सफल सामुदायिक भागीदारी हेतु ग्राम सभा और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के मध्य तालमेल सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- वनों के बाहर वृक्षावरण को बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी, फार्म वानिकी और शहरों में वृक्षावरण को बढ़ावा देना।
- उपयुक्त मृदा और जल संरक्षण उपायों के साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में स्थायित्व लाना।
- वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण तथा रेलिक, इन्डैन्जर्ड एंड थ्रेटेंड (RET) प्रजातियों के लिए बहिर्स्थाने (एक्स-सीटू) संरक्षण की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण।
- पारिस्थितिकीय और अनुवांशिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उपस्थित वन्यजीवन समृद्ध क्षेत्रों और गलियारों की पहचान और रखरखाव।
- वैज्ञानिक नियोजन और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास।
- वन उत्पादकता में वृद्धि, कार्बन प्रच्छादन के लिए वन पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता में वृद्धि, पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए अवक्रमित एवं उत्खनित क्षेत्रों के पुनरोद्धार, समकालीन प्राथमिकताओं को संबोधित करने और आजीविका समर्थन तथा आर्थिक विकास में वृद्धि हेतु **वन प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा**।
- स्थानीय रूप से उपयुक्त स्वदेशी प्रजातियों के माध्यम से प्राकृतिक पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर प्राकृतिक वनों की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि।
- व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रजातियों जैसे टीक, साल, शीशम, पॉप्लर, यूकेलिप्टस, बांस इत्यादि के गहन वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा वृक्षारोपित वनों की उत्पादकता में वृद्धि।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल**: वन क्षेत्रों एवं वन विकास निगमों के अंतर्गत आने वाले निम्नीकृत वन क्षेत्रों तथा वनों के बाहर स्थित क्षेत्रों में वनीकरण और पुनर्वनीकरण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल पर कार्य करते हुए उन्हें विकसित किया जाएगा।

VISION IAS

- वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि इसके श्रम गहन होने के कारण हरित रोज़गार में वृद्धि और कच्चे माल की मांग को पूरा करने में सहायता मिल सकती है।
- मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चैन) दृष्टिकोण के माध्यम से ग़ैर-काष्ठ वनोपज (Non-Timber Forest Produce: NTFP) के प्रबंधन को अनिवार्य किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की जलवायु, कृषि उत्पादन और बाढ़ के शमन को महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाले उत्तर-पूर्वी वनों का प्रबंधन करना।
- संधारणीय रूप से प्राप्त किये गए वनोत्पाद के मूल्य को बढाने के लिए वन प्रमाणन।
- वन क्षेत्रक की नौकरियों हेतु वन क्षेत्रों पर निर्भर आबादी को कौशल प्रदान करने के लिए वन कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करना। ये केंद्र विभाग के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे।
- सुभेद्य क्षेत्रों को चिन्हित करके वनाग्नि (दावानल) की समस्या को संबोधित करना और रिमोट सेंसिंग तकनीक व सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा आग को नियंत्रित करने के उपायों को विकसित करना।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** यह वन्यजीवों के साथ संघर्ष को कम करने हेतु और क्षति के शीघ्र मूल्यांकन एवं मानव पीड़ितों को त्वरित राहत के लिए स्वास्थ्य व पशु चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले त्वरित प्रतिक्रिया दलों के गठन को प्रस्तावित करता है। ये दल समर्पित और भली-भांति सुसज्जित होंगे।

संबंधित चिंताएँ

हालांकि, यह पूर्ववर्ती नीतियों के विपरीत जलवायु परिवर्तन के शमन में वनों की भूमिका को मान्यता देता है, परन्तु इसके साथ अनेक चिंताएं भी विद्यमान हैं:

- कई पर्यावरणविदों को वनीकरण और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए PPP मॉडल को शामिल करने पर आपत्ति है। उनके अनुसार इसका अर्थ होगा - भारत के प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण और निजी वनों का सृजन।
- राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन (National Community Forest Management) मिशन संयुक्त वन प्रबंधन मॉडल (राज्य वन विभागों और स्थानीय समुदायों, दोनों को शामिल करने) पर आधारित है, जिसका विधिक आधार वन अधिकार अधिनियम के लागू होने के पश्चात् समाप्त हो गया है। ध्यातव्य है कि वन अधिकार अधिनियम में प्रबंधन का प्राधिकार ग्राम सभा को प्रदान किया गया है।
- यह नीति लोगों की भागीदारी के माध्यम से वनों के पुनरुत्पादन के बजाय वन संपदा के संरक्षण और परिरक्षण पर अधिक केन्द्रित है।
- इस नीति की सफलता संबंधी चिंता भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में उल्लिखित अधिकांश उद्देश्यों को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है।
- यह प्राकृतिक वनों में बढ़ते डंठलों (growing stock) के निम्नीकरण का उल्लेख करने या उसका समाधान सुझाने में असफल रही है।
- यह विगत 30 वर्षों से प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्टों में व्याप्त पद्धतिगत कमियों पर दृढ है जो वृक्षारोपण एवं वनावरण को संयुक्त करके देखता है।

5.2. रेत खनन

(Sand Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, खान मंत्रालय ने रेत खनन क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक रेत खनन फ्रेमवर्क जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- वित्त वर्ष 2017 में देश में रेत की मांग लगभग 700 मिलियन टन थी और यह वार्षिक रूप से 6-7% की दर से बढ़ रही है।
- नीलामी प्रक्रिया की जटिलता को कम करने और खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राज्यों की सहायता करने के लिए सरकार ने नवंबर 2017 में खनिज नीलामी नियम, 2015 में संशोधन किया है।
- मई, 2017 में सरकार ने विभिन्न राज्यों में रेत खनन की मौजूदा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की थी और राज्यों द्वारा अनुकरण किए जाने हेतु मॉडल के रूप में एक व्यापक रेत खनन नीति /दिशानिर्देश का सुझाव दिया।

रेत

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के अनुसार, रेत एक **गौण खनिज** है। इसके अनुसार रेत खनन को **संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित** किया जाता है।

रेत खनन से संबंधित तथ्य

- रेत खनन का आशय मुख्यतः खुले गड्ढों का खनन कर रेत के निष्कर्षण से है।
- रेत के मुख्य स्रोतों में कृषि क्षेत्र, नदी तल व बाढ़ के मैदान, तटीय व समुद्री रेत, झील व जलाशय आदि शामिल हैं।

- रेत खनन समुद्र तट, अंतर्देशीय बालू के टीलों तथा समुद्र तल एवं नदी तल के निष्कर्षण द्वारा भी किया जाता है।
- यह रूटाइल, इल्मेनाइट और जिरकॉन जैसे खनिजों के निष्कर्षण हेतु किया जाता है, जिसमें टाइटेनियम और ज़िर्कोनियम जैसे उपयोगी तत्व पाए जाते हैं।

संबंधित मुद्दें

- नीलामी के दौरान खनन कम्पनियों के मध्य व्यवसायी समूहन (कार्टलाइजेशन) के कारण राजस्व की हानि।
- कई शहरों में रेत की अनुपलब्धता के कारण वहां इसकी उच्च कीमतें और सरकार द्वारा सुदृढ़ निगरानी प्रणाली और विनियमन की अनुपस्थिति।
- प्रयोज्य रेत के साथ निम्न गुणवत्ता वाली रेत के मिश्रण के कारण दुर्बल इमारतों का निर्माण।

इस खनन फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताएँ

- MoEFCC द्वारा **सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश 2016** में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही खनन कार्य किए जाएंगे।
- **रेत के विकल्प:** शहरीकरण एवं अवसंरचना विकास की तीव्र गति की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों के प्रयोग की आवश्यकता है:
  - **विनिर्मित रेत (M-SAND),** जो चट्टानों और खदान से प्राप्त पत्थरों को पीसकर, 150 माइक्रॉन के निर्धारित आकार में बनायी जाती है। नदी की रेत की तुलना में, यह सस्ती होती है और इसमें सीमांत रूप से अधिक बंधन शक्ति (बांड स्ट्रेंथ) होती है। साथ ही इसके गारे में उच्च संपीडन शक्ति होती है।
  - कोल ओवरबर्डन (coal overburden) से उत्पादित रेत।
  - तटीय राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मलेशिया और फिलीपींस जैसे अन्य देशों से रेत आयात करना।
  - प्राकृतिक रेत पर निर्भरता को कम करने के लिए निर्माण सामग्री में वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
- **वहनीयता:** वहनीयता निम्नलिखित के माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है:
  - प्रशासनिक तंत्र की अपेक्षा आपूर्ति पक्ष से कीमत को नियंत्रित करना;
  - खदानों को बंद करना तथा पड़ोसी राज्यों को रेत की गैर-क़ानूनी आपूर्ति को रोकना।
  - इस संसाधन के बेहतर और कुशल प्रबंधन के लिए GPS/RFID सक्षम समर्पित वाहनों के उपयोग के माध्यम से परिवहन को विनियमित करना।
- **व्यापार मॉडल:** राज्यों को अपने उद्देश्य के आधार पर दो मॉडलों में से किसी एक को चुनना चाहिए:
  - **बाज़ार मॉडल (Simple Forward Auction):** राज्य को अधिकतम राजस्व प्राप्ति के लिए।
  - **अधिसूचित/नियंत्रित कीमत मॉडल:** कीमतों और परिचालन को नियंत्रित करने हेतु।
- **राज्यों का वर्गीकरण**: मांग और आपूर्ति की स्थिति के विश्लेषण के आधार पर तथा राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति एवं विनियमन तैयार करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से रेत अधिशेष राज्य, पर्याप्त रेत वाले राज्य और रेत की कमी वाले राज्यों के रूप में विभिन्न राज्यों का वर्गीकरण किया गया है।
- **पृथक रेत खनन नीति और नियम:** प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन करने के लिए यह आवश्यक है और केवल राज्य खनन विभाग को राज्य में रेत खनन को विनियमित करने का अधिकार दिया जाए।

सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश, 2016 की मुख्य विशेषताएँ:

- यह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर रेत और सूक्ष्म खनिजों के खनन के लिए खदान पट्टा क्षेत्र हेतु पांच हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने की अनुमति देता है।
- राज्य 50 हेक्टेयर तक खदान पट्टा क्षेत्रों के लिए मंजूरी देंगे, जबकि केंद्र द्वारा 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी।
- यह बार कोडिंग, रिमोट सेंसिंग इत्यादि जैसे उपकरणों के माध्यम से रेत खनन की सख्त निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है।
- यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली रेत और बजरी पर निर्भरता को कम करने के लिए निर्माण सामग्री और प्रक्रियाओं में विनिर्मित रेत, कृत्रिम रेत, फ्लाई ऐश और वैकल्पिक तकनीकों को प्रोत्साहन दिए जाने की मांग करता है।
- यह रेत पर निर्भरता को कम करने के लिए आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों के प्रशिक्षण, नए कानूनों और विनियमों तथा सकारात्मक प्रोत्साहनों की भी मांग करता है।

- **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR)**: यह रिपोर्ट किसी विशेष जिले में उपलब्ध रेत की वार्षिक मात्रा और उसके उपयोग का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी।
- **स्वीकृति और अनुमोदन:** मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व केवल पट्टेदार/ठेकेदारों को दिया जाना चाहिए और विभाग को केवल सहायक/नियामक की भूमिका निभानी चाहिए।

VISION IAS

संधारणीय खनन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY):** इसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन(DMF) के तहत एकत्रित धन द्वारा क्रियान्वित और खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास के लिए उपयोग किया जाना है।
- **खनन निगरानी प्रणाली (MSS):** इसे भारतीय खान ब्यूरो (IBM) के माध्यम से खान मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (BISAG) के सहयोग से विकसित किया है। इसका विकास अवैध खनन की जांच करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु किया गया है।
- **माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम (MTS):** यह अवैध खनन के विस्तार को कम करने के लिए, पिटहेड (खदान निकास) से इसके अंतिम उपयोग तक ऑटोमेशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर देश में उत्पादित समस्त खनिजों के एंड टू एंड लेखांकन में सहायता करेगा।

संधारणीय रेत खनन का महत्त्व

- पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और पुनर्नवीकरण द्वारा नदी संतुलन एवं इसके प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- नदी के अनुप्रवाह (downstream) विस्तार, विशेषकर हाइड्रॉलिक संरचनाओं, जैसे- जलबंधकों (jetties), जल अंतर्ग्रहण आदि के पास भूमि के उच्चयन (aggradation) को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि नदियां अपनी स्थायी अवस्थिति से परे किसी अतिरिक्त तट और नितल अपक्षय से संरक्षित हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि नदी के प्रवाह, जल परिवहन और तटवर्ती निवासों के पुनरुद्धार में कोई बाधा न आए।
- जल प्रदूषण की रोकथाम करना।
- ऐसे स्थानों पर जहां फिशर (भ्रंश/दरार) भूजल पुनर्भरण (रिचार्ज) के लिए एक निस्यंदक का कार्य करते हैं, वहां रेत खनन को प्रतिबंधित कर भूजल प्रदूषण को रोकना।
- उत्खनन के स्थानों, अवधि और मात्रा के निर्धारण हेतु अवसाद परिवहन सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से नदी संतुलन को बनाए रखना।

- **360 डिग्री निगरानी तंत्र:** राज्यों को पट्टे (लीज़) पर दिए गए प्रत्येक स्थान पर और राज्य में इसके परिवहन के दौरान, उत्खनित खनिज की निगरानी और मापन के लिए एक मजबूत प्रणाली शुरू करने और उसे भली-भांति स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **नदियों का वर्गीकरण:** राज्यों को स्ट्रीम ऑर्डर I, II, III, IV या इससे अधिक; के आधार पर नदियों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। स्ट्रीम I, II और III के लिए, तटो के किनारे स्थित गांवों या कस्बों में स्थानीय उपयोग के लिए रेत को मैन्युअल (हाथ से खनन कार्य) तरीके से निष्कर्षित करने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि ऑर्डर IV और उससे ऊपर की धाराओं के लिए, धारणीय वाणिज्यिक खनन और उपयोग के लिए बोली-प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है।

5.3. ब्राज़ाविल घोषणा

(Brazzaville Declaration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कांगो बेसिन में स्थित क्यूवेट सेंट्रल क्षेत्र (Cuvette Centrale Region) के बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़विल घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्राज़विल घोषणा के बारे में

- रिपब्लिक ऑफ़ कांगो के ब्राज़ाविल में आयोजित **3rd कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टनर्स ऑफ़ द ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव्स (GPI)** की पृष्ठभूमि में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, रिपब्लिक ऑफ़ कांगो और इंडोनेशिया द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
- GPI विश्व के प्रमुख विशेषज्ञों एवं संस्थानों द्वारा पीट्लैंड (peatlands) को विश्व के सबसे बड़े स्थलीय जैविक कार्बन स्टॉक के रूप में सुरक्षित रखने और इसे उत्सर्जित होने से रोकने हेतु की गयी एक पहल है।

पीट्स (Peats) क्या हैं?

- पीट **पादप पदार्थों** (संवहनीय पौधों, मॉस और ह्यूमस) का **एक विषम मिश्रण** है, जो जल- भराव वाले क्षेत्रों में आंशिक रूप से जलमग्न रहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण इसका केवल आंशिक विघटन होता है।
- पीट द्वारा आवृत प्राकृतिक क्षेत्रों को पीटलैंड कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पीट्स के अंतर्गत दलदल वन, पंकभूमि, बॉग या कीचड़ क्षेत्र शामिल हैं।
- ये सामान्यतया वहां निर्मित होते हैं जहां जलवायु, नितलीय चट्टानें और उच्चावच मिलकर एक स्थायी जल भराव वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं अर्थात् ये झील तलछट की परत के ऊपर छिछले जल में {जिसे 'टेरेस्ट्रियलाइजेशन (terrestrialisation)' कहते हैं} या सीधे खनिज मृदा पर {जिसे 'पलॉडीफिकेशन (palaudification)' कहते हैं} निर्मित होते हैं।

- ये अधिकांशत: ध्रुवों की ओर अधिक ऊंचाई पर पर्माफ्रोस्ट क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के सतहों और बोरियल वनों में पाए जाते हैं। सबसे बड़े पीटलैंड क्षेत्रों वाले देश हैं - रूस, कनाडा, इंडोनेशिया,संयुक्त राज्य अमेरिका , फिनलैंड,इत्यादि।
- विभिन्न बहुपक्षीय सम्मेलनों, जैसे- UNFCCC, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टीफिकेशन आदि पीटलैंड के संरक्षण से संबंधित हैं।

पीटलैंड का महत्त्व

- **कार्बन संचयन**: यद्यपि ये वैश्विक भू-भाग के 3% से भी कम क्षेत्र को कवर करते हैं, परन्तु आकलन से ज्ञात होता है कि पीटलैंड्स में वैश्विक वनों में संचित कार्बन की तुलना में दोगुना कार्बन संचित होता है।
- **अद्वितीय एवं अति संकटग्रस्त जैवविविधता का समर्थन:** ये उन अद्वितीय एवं अति संकटग्रस्त प्रजातियों के निवास स्थल हैं जिन्होंने यहाँ निवास हेतु अनुकूलन स्थापित कर लिया है, जैसे- यमल प्रायद्वीप के पीटलैंड्स में सभी संवहनी पादपों का 37% एवं मलय प्रायद्वीप में 10% मछलियों की प्रजातियां केवल पीटलैंड पारितंत्र में पाई जाती हैं।
- **जल चक्र में सहायक:** ये जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, वाष्पीकरण और बादल निर्माण के माध्यम से उष्ण अवधि के दौरान शीतलन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रदूषकों व पोषक तत्त्वों को प्रतिधारित कर, जल शोधन कर, जल निकायों के सुपोषण को रोक कर तथा जल निकायों में लवणीय जल के प्रवेश को अवरुद्ध कर ये जल निकायों के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **आजीविका में सहायक:** ये बोरियल एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में बेरीज, मशरूम और औषधीय पौधों तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गैर-काष्ठ वनोपज के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त पीट का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है।
- **एक सांस्कृतिक परिदृश्य और आर्काइव के रूप में:** यहाँ विगत दशकों के कुछ स्मरणशील पुरातात्त्विक खोजें भी हुई हैं, जैसे- चौथी सदी ईस्वी पूर्व के फुटपाथ 'स्वीट ट्रैक'। ये पर्यावरण परिवर्तन को भी अभिलिखित करते हैं।

पीटलैंड के समक्ष खतरे

- **कृषि के लिए जल-प्रणाली:** कृषि विस्तार पीटलैंड में परिवर्तन का प्रमुख कारक रहा है। पीट मृदा को नियमित रूप से जलमग्न होने की आवश्यकता होती है अन्यथा वह पोषक तत्वों को बहुत तीव्रता से खो देती है।
- **वाणिज्यिक वानिकी:** स्कैंडिनेवियाई देशों, ब्रिटेन, रूस, दक्षिण-पूर्व एशिया आदि में प्रचलित वाणिज्यिक वानिकी, पीटलैंड में भूमि उपयोग में परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
- **पीट निष्कर्षण तथा उपयोग:** घरों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में पीट का उपयोग वृहत स्तर पर किया जाता है। इसका व्यवसायिक बागवानी और घरेलू बागवानी में उत्पादन के लिए आधार निर्मित करने हेतु कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
- **अवसंरचना का विकास:** शहरी विकास, अपशिष्ट निपटान की आवश्यकताओं, सड़कों एवं अन्य अवसंरचनाओं के विकास को पूरा करने के लिए पीटलैंडों का तटीय क्षेत्रों में रूपांतरण किया जा रहा है।

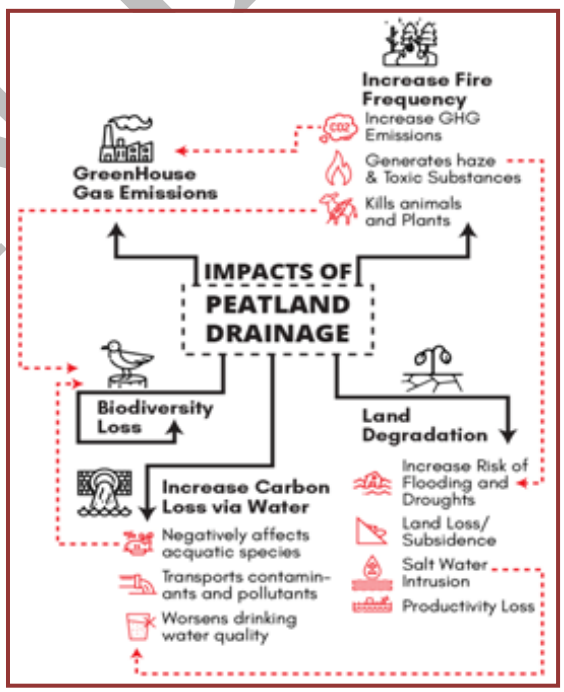

समाधान

- **पुनः आर्द्र बनाना:** पीटलैंड्स को पुनः स्थापित करने की ओर यह एक आवश्यक कदम है क्योंकि ये अपने अस्तित्व के लिए जलप्लावित स्थितियों पर निर्भर रहते हैं।
- **प्लॉडीकल्चर (Plaudiculture) और संधारणीय प्रबंधन तकनीकें:** यह प्रमुख रूप से पीटलैंड्स में आर्द्र मृदा पर फसल उत्पादन की एक प्रणाली है। पीटलैंड में अन्य संधारणीय तकनीकें मछली पालन अथवा पारिस्थितिकी पर्यटन का उद्यम हो सकते हैं।
- **कानूनी एवं वित्तीय परिवेश तथा नीतियां:** वैश्विक और घरेलू, दोनों स्तरों पर बनाई गई विभिन्न नीतियों का अच्छी तरह से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- **पीटलैंड प्रबंधन के वित्त पोषण हेतु एक बाजार तैयार करना:** ग्रीन बॉन्ड, निजी पूंजी (इक्विटी और ऋण), सरकारी स्रोतों द्वारा वित्त पोषण जैसे निधीयन तंत्र का उपयोग करना।
- **समन्वित कार्रवाई के लिए संस्थागत ढांचा:** एकीकृत वैश्विक साझेदारी स्थापित की जानी चाहिए।
- **ऐसी नई कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना** जो पीट्लैंडस की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को खतरे में डालती हैं। साथ ही ऐसी दीर्घकालिक भूमि उपयोग संबंधी नीतियों का विकास करना जो कि पीटलैंड्स के संरक्षण और सुरक्षा का समर्थन करती है।
- **क्षमता निर्माण:** क्षमता निर्माण, पहुंच और जागरूकता बढ़ाने हेतु विकसित देशों के समर्थन के साथ केंद्रित कार्रवाई की आवश्यकता है।

VISION IAS

5.4. संरक्षण आश्वस्त | बाघ मानक : CA|TS

(Conservation Assured | Tiger Standards- CA|TS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि बाघ संरक्षण वाले क्षेत्रों में से केवल 13 प्रतिशत क्षेत्र ही बाघों के संरक्षण संबंधी प्रमाणन प्रणाली (अर्थात् CA|TS) के वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह सर्वेक्षण पूरे एशिया में साइट आधारित बाघ संरक्षण का पहला एवं सबसे बड़ा तीव्र मूल्यांकन है जिसका संचालन CA|TS गठबंधन से संबंधित 11 संरक्षण संगठनों और टाइगर रेंज की सरकारों द्वारा किया गया।
- ऐसा पाया गया है कि बाघों की निगरानी 87 प्रतिशत साइटों में कार्यान्वित की जा रही है और दक्षिण एशियाई एवं पूर्वी एशियाई देशों, जैसे- बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और रूस में सर्वेक्षण की गई सभी साइटों में प्रबंधन योजनाएं उपस्थित हैं।

संरक्षण आश्वस्त (CA|TS)

- यह एक प्रबंधन उपकरण है जो बाघों की आबादी वाले बाघ संरक्षण रिज़र्व अथवा अन्य संरक्षण रिज़र्व और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मूलभूत मानदंडो का निर्धारण करता है ।
- यह सात स्तंभों के एक समूह के साथ 17 न्यूनतम मानकों एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु संबंधित मानदंडों पर आधारित है।
- यह संरक्षण प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों को संबोधित करता है। इसमें शामिल हैं- स्थानीय मानव जनसंख्या को सहायता पहुँचाना (सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ), समग्र जैव विविधता में वृद्धि, शिकार-आधार (Prey-base) और आवास कवर को बढ़ाना। साथ ही यह कानूनों को लागू करने के लिए विषय-वस्तु, उपयोग एवं क्षमता के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र के कानूनी सन्दर्भ पर भी विचार करता है।
- यह **CA|TS साझेदारी द्वारा संचालित** है, जिसमें टाइगर रेंज वाली सरकारें, अंतर सरकारी एजेंसियां, संरक्षण संगठन और अन्य संस्थान, जैसे- ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP), WWF इत्यादि शामिल हैं।
- CA|TS के सचिवालय का संचालन WWF द्वारा किया जाता है।
- यह सभी 13 टाइगर रेंज वाले देशों (TRC) द्वारा की गई प्रतिबद्धता के तहत 2022 तक वैश्विक बाघ जनसंख्या को दोगुना (Tx2) करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- नेपाल इस प्रक्रिया को लागू करने वाला **पहला TRC** है।
- अभी तक, तीन साइटों- **भारत के उत्तराखंड में लैंसडाउन वन प्रभाग**, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान और रूस में सिखोट-एलिन नेचर रिजर्व को CA|TS अनुमोदित दर्जा देने का निर्णय लिया गया है।

5.5. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या में वृद्धि

(Rise In Rhino Population In Kaziranga National Park)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम वन विभाग द्वारा की गई जनगणना के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि विशिष्ट एक सींग वाले गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2015 में इनकी संख्या 2,401 थी, जो अब बढ़कर 2,413 हो गई है।

एक सींग वाला गैंडा

- एक सींग वाला गैंडा (ग्रेट वन-हॉर्नड राइनो या इंडियन राइनो), गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है जो मुख्य रूप से नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत में पाई जाती है।
- यह भारत के असम राज्य में- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य आदि में पाया जाता है।
- इसे **IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेवल** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। इन्हें अवैध शिकार, आवास विध्वंस और बाढ़ आदि से खतरा है।
- **इंडियन राइनो विजन 2020-** इसे असम राज्य सरकार द्वारा एक सक्रिय भागीदार के रूप में बोडो स्वायत्त परिषद् (बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद्) के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे WWF-इंडिया से सहयोग प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य गैंडो की संख्या में वृद्धि करना और एक सींग वाले गैंडों की आबादी को दीर्घजीविता प्रदान करना है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

- असम में अवस्थित यह राष्ट्रीय उद्यान, UNESCO के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यह असम में **पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट** के किनारे स्थित है।
- यहां एक सींग वाले गैंडों की वैश्विक आबादी का दो-तिहाई भाग पाया जाता है।
- इस उद्यान का क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी, मोरा धनसिरी, डिफ्लू और] मोरा डिफ्लू द्वारा घिरा हुआ है।
- इसे **बर्ड लाइफ इंटरनेशनल** द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी चिह्नित किया गया है और यह महत्त्वपूर्ण प्रवासी पक्षियों, जैसे- लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूज, फेरूजिनस डक, लेसर ऐडजुटेंट आदि का निवास स्थल भी है।

नॉर्दन व्हाइट राइनो

- विश्व के आखिरी नर नॉर्दन व्हाइट राइनो 'सूडान' की मृत्यु हो गई। "आयु सम्बन्धी समस्याओं" से पीड़ित होने के कारण केन्या में इसे दयामृत्यु (euthanasia) दे दी गयी।
- वर्तमान में इस उप- प्रजाति की केवल 2 मादाएँ ही जीवित बची हुई हैं। अतः अब इस प्रजाति को केवल इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF) तकनीक की सहायता से ही बचाया जा सकता है। इस तकनीक में मादा के अंडों को, संगृहीत करके रखे गए नर से प्राप्त सीमेन से निषेचित किया जाएगा और सदर्न व्हाइट राइनो मादाओं से सरोगेट कराया जाएगा।

हाल ही में, विलुप्त होने वाली प्रजातियां

- बैजी रिवर डॉल्फिन (Baiji River Dolphin)- 2006
- वेस्टर्न ब्लैक राइनो - 2011
- फॉर्मोसन क्लाउडेड लेपर्ड - 2013
- बैरियर रीफ रोडेंट - 2016 (जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाला प्रथम स्तनपायी)

5.6. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

(National Clean Air Programme: NCAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वायु प्रदूषण को कम करने हेतु बहुचरणीय रणनीतियों का प्रस्ताव करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का प्रारूप जारी किया है।

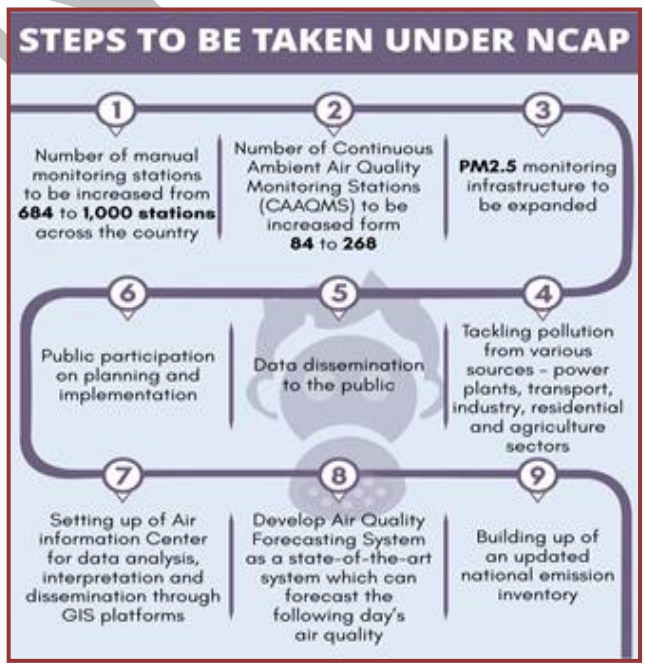

इस कार्यक्रम के बारे में

- यह कार्यक्रम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को सम्मिलित करता है (चित्र देखें)।
- इससे पूर्व पर्यावरण मंत्रालय ने आगामी तीन वर्षों में वायु प्रदूषण में 35% की कमी तथा आगामी पांच वर्षों में भारत भर में चिह्नित किये गए कम से कम ऐसे 100 शहरों के लिए 50% की कटौती के लक्ष्य की घोषणा की है जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं।
- अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकने वाले शहर की वायु गुणवत्ता वस्तुतः राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (National Ambient Air Quality Standards) की तुलना में खराब होती है।
- हालांकि, मंत्रालय द्वारा नवीनतम जारी दस्तावेज में इन लक्ष्यों का कोई संदर्भ नहीं है।

5.7. राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

(National Biogas And Manure Management Programme: NBMMP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** ने राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP) के अंतर्गत चालू वर्ष में 65,180 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पृष्ठभूमि

- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 65.9 प्रतिशत परिवार खाना बनाने हेतु सॉलिड बायोमास, जलाने योग्य लकड़ी, फसल अवशेष और गाय के गोबर जैसे प्राथमिक ईंधनों पर निर्भर हैं।
- भारत में 2022 तक 175 गीगावाट (1,75,000 मेगावाट) के नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में जैव- ईंधन का योगदान 5,000 मेगावाट तक अपेक्षित है।
- NBMMP के तहत 31 मार्च, 2014 तक भारत में 47.5 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

NBMMP प्रोग्राम के बारे में

- यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य **ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करने और उचित प्रकाश व्यवस्था हेतु** घरेलू बायोगैस संयंत्र उपलब्ध करवाना है।
- यह कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत राज्य नोडल विभागों / राज्य नोडल एजेंसियों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तथा बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केंद्रों (BDTCs) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

लाभ

- **उत्पादकता में वृद्धि:** बायोगैस संयंत्रों से उत्पादित अपशिष्ट का उपयोग कार्बनिक जैव-खाद के रूप में फसल उपज को बढ़ाने एवं मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में किया जा सकता है।
- **सामाजिक लाभ:** ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने में संलग्न महिलाओं की कठिनाइयों में कमी कर और धुएँ से भरी रसोइयों में खाना पकाने के दौरान होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से निजात दिलाकर ग्रामीण परिवारों को **सामाजिक लाभ** पहुंचाया जा सकता है।
- बायोगैस संयंत्रों के साथ स्वच्छ शौचालयों को लिंक कर गांवों की स्वच्छता में सुधार किया जा सकता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** पर्यावरणीय निम्नीकरण में कमी कर और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों (GHGs), जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन के उत्सर्जन को कम कर **पर्यावरणीय लाभ** प्राप्त किया जा सकता है।
- **आर्थिक लाभ:** LPG की वार्षिक बचत के माध्यम से LPG सिलेंडर की पुनर्भराई की लागत में बचत करके, यूरिया और अन्य समतुल्य उत्पादों, जैसे- उर्वरकों पर निर्भरता कम करके एवं इनकी उत्पादन लागत में कमी करके **आर्थिक लाभ** प्राप्त किया जा सकता है।

बायोगैस प्लांट में कार्बनिक पदार्थों जैसे- मवेशियों के गोबर और जैव-निम्नीकरण (bio-degradable) सामग्रियों, जैसे- फार्म, गार्डन, किचन एवं मानव मल-मूत्र आदि के बायोमास के **अवायवीय अपघटन (AD)** से बायोगैस उत्पन्न होती है।

बायोगैस के प्रमुख घटकों में मीथेन (55-70%), CO_2 (30-45%) और कुछ मात्रा में H_2S और अमोनिया जैसी गैसें शामिल होती हैं।

5.8 UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट

(UN World Water Development Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में **नेचर बेस्ड सोल्यूशन्स (NBS) फॉर वाटर** शीर्षक से UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समकालीन जल प्रबंधन चुनौतियों से निपटना है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से कृषि हेतु जल, संधारणीय शहर, आपदा जोखिम में कमी एवं जल की गुणवत्ता सम्मिलित हैं।
- वर्तमान समय में विश्व वृहद् स्तर पर जल संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे:
  - जनसंख्या वृद्धि के कारण **जल की मांग में अत्यधिक वृद्धि**।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण वैश्विक जल चक्र पर असर पड़ रहा है जिससे **जल की कमी** की समस्या उत्पन्न हुई है। फलस्वरूप आर्द्र क्षेत्र अधिक आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र अधिक शुष्क होते जा रहे हैं।
  - औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट जल के निष्कासन से जल प्रदूषण होता है, जिसके कारण **जल की गुणवत्ता में कमी** आ रही है।

प्रकृति आधारित समाधान (Nature-based Solutions-NBS) क्या है?

- ये ऐसे समाधान होते हैं जो प्रकृति से प्रेरित और समर्थित होते हैं तथा सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग व नकल करते हैं। साथ ही मानव कल्याण एवं जैव विविधता को भी लाभ प्रदान करते हैं।
- NBS को खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, जल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आपदा जोखिम, सामाजिक और आर्थिक विकास जैसी प्रमुख सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है।

जल संबंधी समस्याओं के समाधान में NBS की भूमिका:

- जल भंडारण (प्राकृतिक आर्द्रभूमियां, मृदा की नमी, भूजल का कुशलतापूर्वक पुनर्भरण) के पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल रूपों से और बाँधों जैसे परम्परागत ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्थान पर संरक्षण जुताई जैसी पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों के माध्यम से **जल उपलब्धता का प्रबंधन** करना।

- प्रदूषकों को प्रच्छादित और सीमित करने व अवसाद के भार को कम करने के लिए **वनों**, आर्द्रभूमियों, घास भूमियों, मिट्टियों एवं फसलों के **समुचित प्रबंधन के माध्यम से जल की गुणवत्ता का प्रबंधन करना।** साथ ही, मृदा के पोषक तत्वों के प्रबंधन में सुधार करने में सक्षम बनाने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं के पुनर्स्थापन के द्वारा कृषि के गैर-बिंदु (डिफ्यूज) स्रोत प्रदूषण में कमी और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना।
- **सूखा एवं बाढ़ जैसे जल संबंधी जोखिमों और आपदाओं का प्रबंधन:** बाढ़ प्रबंधन के लिए NBS, जल के प्रवेशन (infiltration) और धरातल पर प्रवाह के प्रबंधन के द्वारा जल पुनर्भरण को शामिल कर सकता है और इस प्रकार यह बाढ़ के मैदानों में जल भंडारण की परिस्थितियां सृजित करता है।
- **जल सुरक्षा को बढ़ावा देना:** जल उपलब्धता और जल की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा जल संबंधी जोखिम को कम करने के साथ अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सह-लाभों का सृजन करना।

चुनौतियां और सीमाएं

- ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन्स के निरंतर अपरिहार्य प्रभुत्व के कारण NBS के प्रति एक ऐतिहासिक जड़ता बनी हुई है।
- NBS को प्रायः विभिन्न संस्थानों एवं हितधारकों के मध्य सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
- NBS वास्तव में क्या लाभ प्रदान कर सकता है, इस सम्बन्ध में समुदायों से लेकर क्षेत्रीय नियोजकों और राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के प्रत्येक स्तर पर जागरूकता, संवाद और ज्ञान की कमी है। ग्रीन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पैमाने पर एकीकृत करने की समझ और साथ ही समग्र रूप से जल के सन्दर्भ में NBS के क्रियान्वयन की क्षमता का अभाव है।
- NBS के निष्पादन की सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए NBS विकल्प प्रदूषक के प्रकार और इसकी लोडिंग पर निर्भर करते हैं।
- यद्यपि, कुछ लघु-स्तर के NBS अनुप्रयोग अल्प या शून्य लागत के हो सकते हैं, किंतु कुछ अन्य अनुप्रयोगों, विशेष रूप से वृहद्-स्तर वाले NBS हेतु अत्यधिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है।

आगे की राह

- **लाभप्रद वित्तीयन:** मौजूदा वित्तीयन के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाने और पुनर्निर्देशन की आवश्यकता है। उभरते हुए ग्रीन बांड बाजार का उपयोग किया जा सकता है।
- **एक सक्षम विनियामक और वैधानिक परिदृश्य का सृजन करना:** विनियामक तंत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन किए बिना, NBS को मौजूदा फ्रेमवर्क के माध्यम से भी प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसकी पहचान करना कि NBS मौजूदा नियोजन दृष्टिकोण में विभिन्न स्तरों पर कहाँ और कैसे सहायता कर सकते हैं, इस प्रक्रिया में प्रथम उपयोगी कदम हो सकता है।
- आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक एजेंडे में नीतियों के बेहतर सामंजस्य के माध्यम से **विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग में सुधार करना**।
- अधिक श्रम साध्य अनुसंधान के माध्यम से, NBS पर **ज्ञान आधार में सुधार करना**।

5.9 स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, 2017

(State of Global Climate Report, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आर्गेनाईजेशन (WMO) द्वारा अपनी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, 2017 (वैश्विक जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर 2017 की रिपोर्ट) जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- 2016 के बाद **2017 अब तक दर्ज दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष** और **सर्वाधिक गर्म गैर-एल नीनो वर्ष** था।
- 2013 से 2017 अब तक दर्ज **औसत रूप से सर्वाधिक गर्म पाँच वर्ष** थे।
- **2017 के वैश्विक समुद्र सतह के तापमान** को तृतीय सर्वाधिक गर्म के रूप में रैंक प्रदान की गई है। यह 2015 और 2016 के तापमानों से थोड़ा सा कम था।
- 2017 में जलवायु से संबंधित घटनाओं से कुल वैश्विक आपदा ह्रास 320 बिलियन अमरीकी डॉलर था, इसने 2017 को इस सन्दर्भ में दर्ज सबसे महंगा वर्ष बना दिया है।
- आर्कटिक और अंटार्कटिक की समुद्री हिम औसत से काफी निम्न हैं और **क्रायोस्फ़ेयर** का सिकुड़ना जारी है। क्रायोस्फ़ेयर पृथ्वी का जमे हुए जल का भाग होता है, जिसमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक में पायी जाने वाली महाद्वीपीय हिम चट्टानों के साथ-साथ आइस कैप्स, हिमनद, हिम क्षेत्र और पर्माफ्रॉस्ट शामिल हैं। इसमें महासागर के जमे हुए भाग, जैसे- अंटार्कटिक और आर्कटिक के आसपास का जल और मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जमी हुई नदियाँ और झीलें भी शामिल होती हैं।
- सागरीय जल का pH मान 1980 के दशक के आरंभ के 8.10 से घटकर पिछले पाँच वर्षों में 8.04 व 8.09 के मध्य पहुँचने के साथ महासागरों का अम्लीकरण होना जारी है।

VISION IAS

वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आर्गेनाइजेशन

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेषीकृत एजेंसी है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार, भूमि एवं महासागरों के साथ इसकी अंत:क्रिया, इसके द्वारा जनित मौसम व जलवायु तथा इसके परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का आधिकारिक मत व्यक्त करता है।

5.10 क्लीन सी कैम्पेन

(Clean Seas Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, न्यूजीलैंड **संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में संचालित क्लीन सी कैम्पेन (स्वच्छ समुद्र अभियान)** में शामिल हो गया है।

क्लीन सी कैम्पेन से संबंधित तथ्य

- इसे 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध संघर्ष में सरकारों, लोगों, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्रों को शामिल करना है।
- यह **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर** और **UNEP** के **ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन** लक्ष्यों में योगदान देता है।
- यह कैम्पेन **SDG12**- सतत उपभोग और उत्पादन, **SDG13**- जलवायु परिवर्तन और **SDG14**- **जल के अन्दर जीवन** के साथ तालमेल स्थापित करता है।
- **भारत क्लीन सी कैम्पेन का सदस्य देश नहीं** है।

UNEP ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन (UNEP/GPA):

- इसका उद्देश्य पक्षकारों को समुद्री पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के दायित्व का बोध कराकर भूमि आधारित गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण के अपघटन को रोकना है।
- इसका गठन **वाशिंगटन डिक्लेरेशन** ऑन प्रोटेक्शन ऑफ़ द मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड-बेस्ड एक्टिविटीज, 1995 के माध्यम से किया गया था।
- यह स्थलीय, ताज़े जलीय, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संपर्क के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित एकमात्र वैश्विक पहल है।
- GPA सचिवालय तीन वैश्विक बहु-हितधारक साझेदारियों की स्थापना करता है: द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट (GPNM), द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर (GPML) और द ग्लोबल वेस्टवाटर इनिशिएटिव (GWI)।
- **ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर (GPML)** को जून 2012 में, ब्राजील में संपन्न रियो+20 में स्थापित किया गया था। यह एक वैश्विक साझेदारी है जो विभिन्न विशिष्ट लक्ष्यों के माध्यम से अपने मुख्य उद्देश्य के रूप में समुद्री कचरे के प्रबंधन और उसमें कमी के द्वारा मानव स्वास्थ्य और वैश्विक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारों, NGOs, अकादमिक जगत, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और व्यक्तियों को एकजुट करती है।

अन्य संबंधित पहलें

- **होनोलूलू स्ट्रेटेजी:** यह समुद्री मलबे की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क है।
- **नैरोबी कन्वेंशन:** यह सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी और UNEP के रीजनल सी प्रोग्राम का भाग है। यह स्वच्छ नदियों, तटों और महासागरों के साथ समृद्ध पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र बनाने हेतु कार्य करता है।

5.11 WWF का वन प्लैनेट वन सिटी चैलेंज

(One Planet One City Challenge of WWF)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, WWF के वन प्लैनेट वन सिटी चैलेंज (OPCC) के 2017-18 संस्करण में भारत के 3 शहरों को नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में चयनित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड फॉर नेचर (WWF) शहरों को वन प्लैनेट सिटी चैलेंज में भागीदारी हेतु एकजुट करने के लिए **ICLEI-लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी** (1500 से अधिक शहरों, गाँवों और क्षेत्रों का एक वैश्विक नेटवर्क, जो एक सतत भविष्य के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है) के सहयोग से कार्य करता है।

VISION IAS

- भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के शहरों में से तीन शहर पणजी, पुणे और राजकोट अब राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च शहर के रूप में विजित होने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करेंगे।
- भारत में बढ़ते शहरीकरण के आलोक में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने व साथ ही जलवायु अनुकूल विकास हेतु तैयार रहने के संदर्भ में शहरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

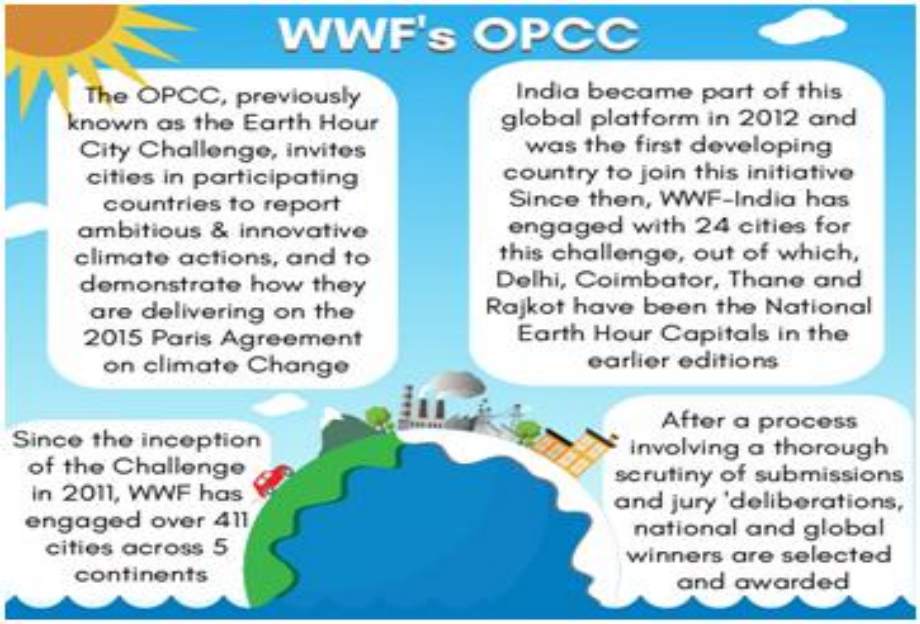

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फण्ड फॉर नेचर

- यह 1961 में स्थापित एक **अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन** है, जो वन संरक्षण और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करने के लिए कार्यरत है।
- WWF द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में **लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट** जारी की जाती है।
- WWF द्वारा 'अर्थ ऑवर' का भी आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम विश्व भर में वार्षिक रूप से मार्च माह के अंत में व्यक्तियों, समुदायों, परिवारों और व्यवसायों को एक निर्धारित दिन 8:30 से 9:30 रात्रि में , एक घंटे के लिए अपनी अनावश्यक लाइटों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह इसमें सहभागिता करने वालों की पृथ्वी के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

5.12. स्थायी कार्बनिक प्रदूषक

(Persistent Organic Pollutants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, पर्यावरण मंत्रालय ने **परसिस्टेंट आर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP) रूल्स, 2018 (स्थायी कार्बनिक प्रदूषक नियम, 2018)** संबंधी विनियमों को अधिसूचित किया है।

इस अधिसूचना के बारे में अन्य विवरण

- यह **स्टॉकहोम कन्वेंशन** के अंतर्गत सूचीबद्ध सात विषाक्त रसायनों के विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
- अधिसूचना में वर्णित किया गया है कि औद्योगिक इकाइयों या व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रसायनों को,
    - उत्प्रवाही उपचार संयंत्र,
    - सीवेज उपचार संयंत्र,
    - किसी भी भूमि पर,
    - सार्वजनिक सीवरों में,
    - अंतर्देशीय सतह के जल में या
    - समुद्री तटीय क्षेत्रों में

अपवाहित या निस्तारित नहीं किया जाएगा।

POP क्या हैं?

- POP **मानव और वन्यजीवन दोनों के लिए विषाक्त कार्बनिक पदार्थ** होते हैं जो पर्यावरण में एक बार निर्मुक्त होने के बाद वर्षों तक निरंतर यथावत बने रहते हैं।
- वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से वितरित हो जाते हैं और मनुष्यों सहित अन्य जीवों के **वसीय ऊतकों** में संचित होते रहते हैं (**इस प्रकार उनका वसा में विलेय होना आवश्यक है**)।
- POP को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा समूह 1 के कैंसरजनक या कैंसर का कारण बनने वाले पदार्थों के रूप में पहचाना गया है।
- POP के विशिष्ट प्रभावों में **कैंसर, एलर्जी और अतिसंवेदनशीलता, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्षति, प्रजनन संबंधी विकार और प्रतिरक्षा प्रणाली में व्यवधान शामिल हो सकते हैं।**

स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट आर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स

- यह एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी** वैश्विक संधि है, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POP के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करना है।
- प्रारंभ में कन्वेंशन द्वारा 12 रसायनों के उत्पादन एवं निस्तारण को प्रतिबंधित किया गया था जबकि वर्तमान में यह **23 रसायनों को** कवर करता है।
- **ग्लोबल एनवायरन्मेंट फैसिलिटी (GEF)** स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए प्राधिकृत अंतरिम वित्तीय तंत्र है।
- भारत ने कन्वेंशन और इसके आरम्भिक 12 सूचीबद्ध रसायनों की पुष्टि (रैटिफिकेशन) की है।

- इसके अतिरिक्त इसमें यह निर्धारित किया गया है कि इन रसायनों को धारण करने वाले अपशिष्ट का निपटान **खतरनाक और अन्य कचरा (प्रबंधन और सीमापार परिवहन) नियम, 2016** के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- ये नियम खतरनाक और अन्य अपशिष्टों, जैसे- धातु और धातु युक्त अपशिष्टों, अकार्बनिक या कार्बनिक तत्वों से युक्त अपशिष्टों पर लागू होते हैं। यह अपशिष्ट जल और एग्जॉस्ट गैसों, रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट ,जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैसे अन्य कृत्यों के तहत शामिल किए गए अपशिष्टों पर लागू नहीं होते हैं।

5.13. ई-कचरा (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018

(E-Waste (Management) Amendment Rules, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने पूर्व के ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन किया।

नए नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- इसका लक्ष्य **ई-कचरे के पुनर्चक्रण** या उसे विघटित करने में संलग्न इकाइयों को वैधता प्रदान करना तथा उन्हें **संगठित करना** है।
- **चरणबद्ध संग्रह:** इसने ई-कचरे के लिए चरणबद्ध संग्रह का लक्ष्य प्रस्तुत किया है जो कि 2017-18 के दौरान EPR योजना में निर्दिष्ट किये गए अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 10% होगा। 2023 तक इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य भी समाहित है। जैसा कि EPR योजना में वर्णित है, 2023 के बाद यह लक्ष्य अपशिष्ट उत्पादन की कुल मात्रा का 70% हो जाएगा।
- यदि किसी उत्पादक के बिक्री परिचालन के वर्ष उसके उत्पादों के औसत आयु से कम हैं, तो ऐसे नए उत्पादकों के लिए **ई-कचरा संग्रहण के लिए पृथक लक्ष्य** निर्धारित किए गए हैं।
- **रिडक्शन ऑफ़ हैज़ार्डस सब्सटेंसेज़ (RoHS):** इसके तहत RoHS परीक्षण आयोजित करने के लिए सैंपलिंग और टेस्टिंग हेतु जो लागत आएगी वह सरकार द्वारा वहन की जाएगी और यदि उत्पाद RoHS प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो लागत उत्पादकों द्वारा वहन की जाएगी।
- **प्रोड्यूसर रिस्पॉसिबिलिटी ऑर्गेनाईज़ेशन (PROs):** PROs को नए नियमों के तहत कामकाज करने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के बारे में

- यह PROs (उत्पादक जवाबदेही संगठनों), उपभोक्ताओं, विघटनकर्ताओं (डिसमेंटलर), पुन: चक्रणकर्ताओं, व्यापारियों, निर्माताओं आदि जैसे सभी हितधारकों पर लागू होता है।

- इसमें **संग्रह तंत्र-आधारित दृष्टिकोण (कलेक्शन मैकेनिज्म-बेस्ड एप्रोच)** को अपनाया गया है जिसमें EPR के तहत उत्पादकों द्वारा उत्पादों के संग्रह हेतु संग्रह केंद्र, संग्रह बिंदु तथा वापस लेने की प्रणाली आदि शामिल है।
- इसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घटक और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त CFL, जैसे- मर्करी युक्त लैंप भी सम्मिलित हैं।
- इसमें खरीद के समय उपभोक्ता पर उत्पादक द्वारा आरोपित **इंटरेस्ट-बिअरिंग डिपॉज़िट रिफंड स्कीम** का प्रावधान है।
- इसमें राज्य-वार EPR अनुज्ञप्ति (ऑथराइज़ेशन) के बदले CPCB द्वारा पैन इंडिया EPR अनुज्ञप्ति को अपनाया गया है।

ई-कचरा क्या है?

- यह ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) और उसके हिस्सों को संदर्भित करता है जिन्हें पुन: उपयोग के प्रयोजन के बिना उसके स्वामी द्वारा कचरे के रूप में त्याग दिया गया है।
- ई-कचरे में पाए जाने वाले सामान्य खतरनाक पदार्थ हैं: भारी धातुएं (जैसे- पारा, सीसा, कैडमियम इत्यादि) और रसायन (जैसे- CFCs / क्लोरोफ्लोरोकार्बन या विभिन्न अग्निशामक)।
- भारत ई-कचरे का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का मुख्य स्रोत सरकार, सार्वजनिक और निजी (औद्योगिक) क्षेत्र हैं, जो कुल कचरा उत्पादन के लगभग 71% के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारत में ई-कचरे का लगभग 90.5% अनौपचारिक क्षेत्रक द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।

प्रोड्यूसर रिस्पॉसिबिलिटी ऑर्गेनाईज़ेशन (PROs): यह एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न पुन: चक्रणकर्ताओं और विघटनकर्ताओं के माध्यम से उत्पादकों को EPR लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है।

एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉसिबिलिटी (EPR): यह एक ऐसी रणनीति है, जिसके तहत उत्पादों के बाजार मूल्य में उनके संपूर्ण जीवन चक्र में उक्त वस्तु से संबद्ध पर्यावरणीय लागतों के समेकन को बढ़ावा देने के लिए प्रकल्पित की गई है। EPR के तीन बुनियादी उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- विनिर्माताओं को उनके उत्पादों के पर्यावरणीय डिजाइन और उन उत्पादों की आपूर्ति के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- उत्पादों को एक उच्च उपयोगिता दर प्राप्त करनी चाहिए।
- सामग्रियों को प्रभावी और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त संग्रह तकनीक व उपचार के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए।

5.14. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2018

(Bio-Medical Waste Management Rules, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम में संशोधन जारी किए गए।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (BIO-MEDICAL WASTE) क्या है?

- 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट' से आशय मानवों अथवा पशुओं के रोग निदान, उपचार अथवा प्रतिरक्षण या अनुसंधान गतिविधियों के दौरान उत्पादित अपशिष्ट से है।
- इसमें सीरिंज, सुईयां, कॉटन की पट्टी, छोटी शीशियाँ आदि सम्मिलित हैं। इनमें शरीर से निकले द्रव्य हो सकते हैं जिनके द्वारा संक्रमण का प्रसार हो सकता है।
- यह पाया गया है कि इस उत्पादित 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट' का केवल 15% हिस्सा ही खतरनाक होता है। हालांकि, अपशिष्ट की संपूर्ण मात्रा को उपचारित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

- सरकार ने 1998 में **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के अंतर्गत 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट' प्रबंधन नियम को अधिसूचित किया था। इसे पुनः 2000 एवं 2003 में दो बार संशोधित किया गया।
- 2016 में सरकार ने एक नया **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य जैव-अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तार, इसमें सुधार तथा इसके लिए एक व्यापक व्यवस्था करना था।
- इस नवीन संशोधन का उद्देश्य अनुपालन को बेहतर बनाना तथा पर्यावरण अनुकूल 'जैव-चिकित्सा अपशिष्ट' के समुचित प्रबंधन के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन 1974 में किया गया था और इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए।
- CPCB के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं -
  - जल प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उसमें कमी लाकर राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों की जलधाराओं व कुओं की स्वच्छता को प्रोत्साहित करना।
  - देश में वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उसमें कमी लाकर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 की विशेषताएं

- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादकों अर्थात् अस्पताल, क्लीनिक, टीकाकरण कैंप आदि के लिए अब यह आवश्यक होगा कि वे **क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैगों** और दस्तानों को **मार्च 2019** तक प्रयोग से बाहर कर दें।
- कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBMWTF) द्वारा CPCB के दिशानिर्देशों के अनुरूप **GPS और बार कोडिंग सुविधा की स्थापना की जाएगी।**
- **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पूर्व उपचार (Pre-treatment): WHO और WHO ब्लू बुक 2014 की गाइडलाइन्स ऑन सेफ मैनेजमेंट ऑफ़ वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर एक्टिविटीज** के अनुसार, प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्मजैविक अपशिष्ट, रक्त नमूनों जैसे अपशिष्ट रखने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान के लिए इनका उसी स्थान पर (ऑन साईट) पूर्व-उपचार करना आवश्यक है। इसके पश्चात् इसे अंतिम निस्तारण हेतु CBMWTF के पास भेजा जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि संक्रामक तरल अपशिष्ट, जैसे- विषैले पदार्थ आदि सीवरेज तंत्र में निर्मुक्त न हों।
- इन संशोधित नियमों के प्रकाशित होने के दो वर्षों के भीतर सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को **अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट** उपलब्ध करवानी होगी।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की विशेषताएँ

- **विस्तृत न्यायाधिकार-क्षेत्र –** नियमों के दायरे को बढ़ाकर टीकाकरण कैंपों, रक्तदान शिविरों और शल्य चिकित्सा कैंपों आदि को भी सम्मिलित किया गया है।
- **अपशिष्ट का पूर्व-उपचार–** प्रयोगशालाओं में उत्पन्न अपशिष्ट, सूक्ष्मजैविक अपशिष्ट, रक्त नमूनों व रक्त थैलियों का WHO अथवा NACO द्वारा बताए गए तरीके से कीटाणुनाशन व रोगाणुनाशन कर पूर्व-उपचार करना।
- **बेहतर पृथक्करण:** जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 10 की बजाए 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये हैं– अनुपचारित मानव शारीरिक अपशिष्ट, जंतु शारीरिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट एवं जैवप्रौद्योगिकीय अपशिष्ट।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बनाए गए बैग या कंटेनरों के लिए बार-कोड की व्यवस्था।
- **प्रशिक्षण एवं प्रतिरक्षण –** सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षण देना एवं उनका प्रतिरक्षण करना।
- भट्टी (इन्सिनरेटरों) के लिए **प्रदूषण संबंधी कठोर नियम** ताकि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषकों (डाइऑक्सिन और फ्यूरान की उत्सर्जन सीमाओं सहित) के उत्सर्जन को घटाया जा सके।
- **दो वर्षों के भीतर** क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैगों, दस्तानों और रक्त की थैलियों को प्रयोग से बाहर करना।
- **निस्तारण की प्रक्रिया –** बायोमेडिकल वेस्ट को **अपशिष्ट की श्रेणी के अनुसार रंगीन बैगों में** पृथक कर लिया जाना चाहिए। इसे **48 घंटों तक संग्रहित किया जा सकता है** जिसके पश्चात् या तो इसका **स्व-स्थाने उपचार** किया जाए अथवा इसे CBMWTF कार्यकर्ताओं द्वारा संग्रहित किया जाए।

5.15. रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम

(Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा सरकार अपनी पूर्व-चेतावनी सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारी को बेहतर बनाने के लिए RIMES के साथ मिलकर कार्य करेगी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- ओडिशा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण (Odisha State Disaster Mitigation Authority: OSDMA) और RIMES, सूखे की निगरानी एवं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में पूर्व चेतावनी के क्षेत्र में साझेदारी करेंगे।
- यह विशेषीकृत विशेषज्ञ प्रशिक्षण के माध्यम से OSDMA की भविष्यवाणी और अनुक्रिया क्षमता को सुदृढ़ बनाने में सहायता प्रदान करेगा।

RIMES के बारे में

- रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एन्ड एशिया (RIMES), **संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पंजीकृत** एक अंतर्सरकारी निकाय है। इसका स्वामित्व एवं प्रबंधन का दायित्व एशिया प्रशांत और अफ्रीकी क्षेत्र के 45 सहयोगी देशों पर है।
- **उद्देश्य:**
  - पूर्व चेतावनी से संबंधित सूचना के सृजन तथा संचार हेतु मल्टी-हैज़र्ड (बहु-जोखिम) फ्रेमवर्क के भीतर एक क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली (रीजनल अर्ली वार्निंग सिस्टम) स्थापित करना; तथा
  - सीमापारीय जोखिमों के प्रति तैयारी तथा अनुक्रिया संबंधी क्षमता का निर्माण करना।
- इस एजेंसी की प्रोग्राम यूनिट (कार्यक्रम इकाई) थाईलैंड में अवस्थित है। भारत इस निकाय का अध्यक्ष है।
- RIMES पहले से ही तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ कार्य कर रहा है।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टास्क फोर्स रिपोर्ट

(Artificial Intelligence Task Force Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के अंतर्गत अगस्त 2017 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पर गठित टास्क फ़ोर्स ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ

- रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वस्तुतः "कुशल मशीनें (intelligent machines), विशेष रूप से कुशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है।" इसमें विभिन्न प्रकार के उप-क्षेत्र जैसे कंप्यूटर विज़न, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स इत्यादि शामिल हैं।
- यह AI को शीघ्रता से अपनाये जाने हेतु **10 विशिष्ट क्षेत्रों** की पहचान करता है, जैसे: विनिर्माण, फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी), हेल्थकेयर, कृषि/खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, रिटेल/कस्टमर इंगेजमेंट, निःशक्त व्यक्तियों के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी, **पर्यावरण, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ और राष्ट्रीय सुरक्षा।**
- रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में AI के अपनाये जाने के संबंध में चार **"बड़ी चुनौतियों"** की पहचान की गयी हैं:
  - लाभदेयता बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से SME (लघु और मध्यम आकार के उद्यमों), में नौकरियों में वृद्धि के लिए विनिर्माण में सुधार;
  - स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, पहुँच और लागत में सुधार;
  - कृषि उपज और लाभदेयता में सुधार; तथा,
  - सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार।
- रिपोर्ट में इस बात की उच्च संभावना व्यक्त की गयी है कि AI नौकरियों को समाप्त करने के स्थान पर उनका सृजन करेगा। यह विभिन्न क्षेत्रों में सहायक हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप नई नौकरियों का सृजन होगा।
- **नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (N-AIM):** केंद्रीय बजट के अंतर्गत पाँच वर्ष की अवधि के लिए 1,200 करोड़ रुपये की राशि के आबंटन के साथ एक अंतर-मंत्रालयी N-AIM की स्थापना की जाएगी।
- **डिजिटल डेटा बैंक:** साझाकरण को अनिवार्य बनाने वाले विनियमों के साथ, उद्योगों के लिए डेटा और जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डेटा बैंक, बाजार और एक्सचेंज स्थापित किए जाने चाहिए।
- डेटा-संबंधित मुद्दों और शिकायतों को तत्काल संबोधित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा **डेटा-लोकपाल** का गठन और कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।
- **मानक व्यवस्था:** AI आधारित सिस्टम के डिजाइन, विकास और परिनियोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक मानक व्यवस्था किया जाना। उदाहरणार्थ, डेटा भंडारण एवं निजता मानक और कारों जैसी स्वचालित प्रणालियों के लिए संचार मानक।
- **समर्थकारी नीतियाँ:** इसे केंद्र सरकार द्वारा विकसित किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में दो प्रमुख सिफारिशें हैं: (i) स्वामित्व, साझा करने के अधिकार और उपयोग नीतियों से युक्त एक डेटा नीति विकसित करना और (ii) सामाजिक रूप से प्रासंगिक परियोजनाओं हेतु AI प्रौद्योगिकियों और ऐप्लिकेशन्स को अपनाने के फलस्वरूप सृजित आय के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **मानव संसाधन विकास**: एक AI शिक्षा रणनीति को विकसित कर और AI-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना। इसमें AI के लिए आवश्यक स्किल सेट की पहचान के माध्यम से री-स्किलिंग के साथ-साथ राज्यों के लिए AI रेडिनेस इंडेक्स का निर्माण भी शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय नियमों की स्थापना:** AI से संबंधित प्रौद्योगिकियों के गवर्नेंस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने वाले वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी करना। इसमें वर्द्धित द्विपक्षीय सहयोग भी शामिल हैं।

AI से सम्बद्ध चुनौतियाँ

- डेटा बाजार / एक्सचेंज के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ डेटा संग्रह, पुरालेखन (आर्काइविंग) और डेटा उपलब्धता को प्रोत्साहित करना।
- विनियामक और तकनीकी दोनों ढांचों को सक्षम करने के माध्यम से डेटा सुरक्षा, संरक्षण, निजता और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना।

VISION IAS

- साइबर हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करते समय इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) के साथ सिस्टम और प्रक्रियाओं का डिजिटाइजेशन।
- रोजगार सृजन, संपदा सृजन, AI सक्षम मध्यम वर्ग की प्राथमिकता में परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी AI के सामाजिक रूप से विघटनकारी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
- मानव पूर्वाग्रहों और पूर्वधारणाओं का इस पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त लेखांकन।
- उपभोक्ता जागरूकता का अभाव।
- प्रौद्योगिकी वितरण में चैनल अवरोध जैसे - अपर्याप्त इंटरनेट पहुंच।
- AI प्रौद्योगिकियों में व्यापक विशेषज्ञता का अभाव। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि नीतिगत निर्णय विचारों के संकीर्ण स्पेक्ट्रम के आधार पर लिए जाने लगें।
- मानव / रोबोट अंतःक्रिया के लिए परिदृश्य नियोजन (सेनारियो प्लानिंग)।

N-AIM (नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन) की मुख्य विशेषताएं

- शैक्षणिक(अकैडेमिया) सेवा उद्योग, उत्पाद उद्योग, स्टार्ट-अप और सरकारी मंत्रालयों के मध्य एक नेटवर्क ऑफ़ अलायन्स के लिए फंड की स्थापना;
- नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज फंड की स्थापना और उसका प्रशासन;
- AI-यात्रा (AI-yatra) के माध्यम से AI के संबंध में जागरूकता का प्रसार;
- राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं का समन्वय: PPP मॉडल और स्टार्ट-अप के माध्यम से AI आधारित उत्पादों और प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यीकरण को त्वरित करना;
- अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना;
- AI आधारित उत्पादों के सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए एक जेनेरिक AI टेस्ट बेड की स्थापना;
- एक अंतर्विषयक और समर्पित वृहद डेटा एकीकरण केंद्र का वित्तपोषण।

AI को आगे बढ़ाने हेतु सहायक कारक

- मशीनों और स्वचालित प्रणालियों के प्रति विश्वास हेतु एक सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण।
- अपने डेटा के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डेटा साक्षरता।
- एक परिवेश (डिजिटल डेटा मार्केटप्लेस, एक्सचेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर) जो डेटा और सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है।
- नीति और विनियामक ढांचे को सक्षम बनाना।
- स्किल सेट के साथ कार्यबल उपलब्धता।
- डेटा विनिमय और सुरक्षा के लिए मानकों की स्थापना।
- सरकार, सिविल सोसाइटी, उद्योग, शैक्षणिक समुदाय और अनुसंधान एवं विकास के मध्य सहक्रिया (सिनर्जी)।

6.2. ई-सिगरेट

(E-Cigarettes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने WHO की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा कि बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और प्रजननक्षम आयु की महिलाओं को ई-सिगरेट के उपयोग के विरुद्ध चेतावनी देने हेतु **पर्याप्त साक्ष्य** उपलब्ध हैं।

ई-सिगरेट के बारे में

- ई-सिगरेट वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) का एक प्रकार है। इसके सम्बन्ध में यह दावा किया जाता है कि यह सिगरेट में उपस्थित अन्य हानिकारक रसायनों के बिना निकोटिन उत्सर्जित करता है।
- इनका उद्देश्य धुएँ के बिना ही तम्बाकू-युक्त धूम्रपान जैसा अनुभव प्रदान करना है। इन्हें धूम्रपान कम करने या छोड़ने के लिए एक साधन के रूप में बेचा जाता हैं।
- इनके द्वारा एक द्रव को गर्म कर एयरोसोल उत्पादित किया जाता है जिसमें सामान्यतः निकोटिन, फ्लेवरिंग्स और अन्य रसायन उपस्थित होते हैं। तत्पश्चात् इसे ई-सिगरेट उपयोगकर्ताओं द्वारा अंदर खींचा जाता हैं।
- ई-सिगरेट से धूम्रपान को **वैपिंग (vaping)** भी कहा जाता है।

ENDS के विनियमन पर WHO के रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई हैं:

- घरों के भीतर और सार्वजनिक स्थानों पर ENDS के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।
- धूम्रपान न करने वालों को ENDS हेतु प्रोत्साहित करने को रोकने तथा मौजूदा तम्बाकू नियंत्रण प्रयासों की सुरक्षा हेतु अधिनियम लाया जाए।

- हालाँकि WHO द्वारा इनके उपयोग के संबंध में कुछ गंभीर चिंताओं को भी रेखांकित किया गया है। यथा:
  - वैपिंग किशोरों को निकोटिन का आदी बना सकती है और वे अन्य तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं।
  - ई-सिगरेट धूम्रपान से छुटकारा पाने में सहायक है, इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपस्थित नहीं हैं।
  - ई-सिगरेट द्वारा धूम्रपान वस्तुतः शरीर में कैंसरजनक रसायनों को प्रविष्ट करता है।
  - यह "ट्यूमर प्रमोटर" के रूप में कार्य कर सकता है और इसके न्यूरो-डीजनरेशन में शामिल होने की सम्भावना है।
  - यह कार्डिओवैस्क्युलर (हृदयवाहिका) रोगों का भी कारण हो सकता है।
  - भ्रूण के स्तर पर और किशोरावस्था में निकोटिन के संपर्क में आने से मस्तिष्क के विकास पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। यह संभावित रूप से **लर्निंग एंड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर** का भी कारण बन सकता है।
- **उपर्युक्त चिंताओं के आलोक में यह कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर ई-सिगरेट के प्रयोग को भी** अन्य पारंपरिक तम्बाकू उत्पादों के समान ही विनियमित करने की आवश्यकता है।

[तम्बाकू उपयोग के प्रभाव तथा तम्बाकू प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु की गयी पहलों पर अधिक जानकारी हेतु कृपया जनवरी 2018 के अंक में 'तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी' नामक आलेख पढ़ें।]

6.3. सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक

[Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक, 2017 का मसौदा जारी किया गया।

विधेयक की आवश्यकता

- **ART उद्योग में विनियमन का अभाव:** भारत में होने वाली IVF प्रक्रियाओं का लगभग 50 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के क्लीनिकों में संपन्न किया जाता है। यहाँ अनुभव की कमी के कारण विभिन्न अनैतिक तरीके अपनाये जाते हैं।
- **ART तक अपर्याप्त पहुँच:** संतानोत्पत्ति में अक्षम कुल जनसंख्या में से लगभग 1 प्रतिशत लोग ही मूल्यांकन के लिए आगे आते हैं और उनमें से भी 40 प्रतिशत से कम लोगों के उपचार की व्यवस्था की जाती है।

- **ART** का आशय उन सभी तकनीकों से है जिनके द्वारा मानव शरीर के बाहर शुक्राणु अथवा अंडाणु की सहायता से निर्मित युग्मक या भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर गर्भाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF), ART का सबसे सामान्य रूप है।
  - **IVF प्रक्रिया** के अंतर्गत प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है एवं तत्पश्चात् भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- **सरोगेसी:** सरोगेसी, ART की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी इच्छुक दम्पति द्वारा उनकी संतान को गर्भधारण करने के लिए एक सरोगेट माँ की सहायता ली जाती है।

विधेयक के बारे में

उद्देश्य: इस विधेयक का उद्देश्य ART क्लीनिकों तथा ART बैंकों के निरीक्षण एवं विनियमन के द्वारा ART सेवाओं के दुरूपयोग को रोकना तथा इसकी सुरक्षित और नैतिक प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करना है। इस मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- ART के लिए **राष्ट्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्ड** की स्थापना करना। ये बोर्ड:
  - सरकार को ART से संबंधित नीतिगत विषयों में सलाह प्रदान करेंगे।
  - विधेयक के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करेंगे।
- **एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना:** इसे राष्ट्रीय बोर्ड के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। यह पंजीकरण प्राधिकरण एवं भारत में ART क्लीनिकों एवं बैंकों के केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगी।

- इस विधेयक में यह प्रावधान है कि इस प्रक्रिया से जन्म लेने वाले बच्चे को इच्छुक दम्पति के जैविक बच्चे के रूप में माना जाएगा तथा उसे वे सभी अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होंगे जो प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे के लिए उपलब्ध होती हैं।
- **लिंग निर्धारण:** विधेयक में संतान की लैंगिक पहचान के पूर्वनिर्धारण को कठोरता से प्रतिबंधित किया गया है।
- अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं: सूचनाओं की गोपनीयता, एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ़ इंडिया जनरल फण्ड की स्थापना आदि।

6.4. स्टीफ़न हॉकिंग

(Stephen Hawking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफ़न हॉकिंग का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वे **एमियोट्रॉफिक लैटरल स्लेरॉसिस** या **ALS** नामक रोग से पीड़ित थे। ALS को लोउ गेहरिग रोग (Lou Gehrig's disease) के नाम से भी जाना जाता है।

एमियोट्रॉफिक लैटरल स्लेरॉसिस (ALS)

- ALS एक न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थिति है जो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की मोटर तंत्रिका कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। यह उन कोशिकाओं के मांसपेशियों के साथ होने वाले संपर्क तथा ऐच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण को बाधित करता है, जो अंततः पक्षाघात का कारण बनता है।
- ALS अत्यंत दुर्लभ मामला है। इसके प्रतिवर्ष औसतन प्रति 1,00,000 लोगों में दो नए मामले सामने आते हैं। यह आमतौर पर 55 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करता है।
- वर्तमान में ALS का कोई इलाज नहीं है। इसे न तो रोका जा सकता है और न ही इसका पूर्ण उपचार संभव है।

सिंगुलैरिटी: वे बिंदु जहां दिक्-काल या स्पेस-टाइम असीमित वक्र के रूप में प्रतीत होते हैं।

अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत (जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी) के अंतर्गत ब्लैक-होल के अस्तित्व की कल्पना की थी। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि इवेंट होराइज़न नामक उसके एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाली किसी भी वस्तु का बचकर निकल पाना संभव नहीं है।

क्वांटम सिद्धांत: यह अत्यंत सूक्ष्मकणों (परमाणु से भी छोटे, जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अथवा उनसे भी छोटे जैसे क्वार्क) के व्यवहार का वर्णन करता है।

सामान्य सापेक्षता: यह अतिविशाल पिंडों यथा ग्रहों, तारों तथा ब्लैक होल के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार का वर्णन करता है।

स्टीफ़न हॉकिंग का योगदान

हॉकिंग-पेनरोज़ प्रमेय/बिग बैंग सिद्धांत

- 1970 में सर रॉजर पेनरोज़ तथा स्टीफ़न हॉकिंग ने एक प्रमेय के माध्यम से सिद्ध किया कि कुछ निश्चित सामान्य भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत स्पेस-टाइम में एक निश्चित बिंदु पर आकर आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भंग हो जाता है। ब्लैक-होल के अंदर स्थित इस बिंदु को 'सिंगुलैरिटी' कहा गया। यह बिंदु ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर संकेत करता है। वर्तमान में बिग बैंग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है।

इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स (सूचना विरोधाभास) अथवा हॉकिंग पैराडॉक्स

- सामान्य सापेक्षतावादी क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके, उन्होंने सिद्ध किया कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं और उनमें तापमान भी होता है। यह उत्सर्जन किसी ब्लैक-होल से वस्तु के पलायन के समान ही होगा। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि इस तापीय विकिरण अथवा हॉकिंग रेडिएशन के उत्सर्जन के कारण, ब्लैक-होल में ऊर्जा का ह्रास होगा और यह अंततः अदृश्य या वाष्पित (evaporate) हो जाएगा।
- यदि यह विरोधाभास सत्य है, तो इससे भौतिकी में महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता होगी क्योंकि इससे आधुनिक भौतिकी के दो प्रमुख स्तम्भ क्वांटम यांत्रिकी और आइन्स्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत असंगत सिद्ध हो जायेंगे।
- यह भौतिकी के एक अंतिम एकीकृत सिद्धांत 'क्वांटम ग्रेविटी' या अधिक लोकप्रिय शब्दों में **'द थ्योरी ऑफ़ एव्रीथिंग'** का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

VISION IAS

हॉकिंग-हर्टल स्टेट

- अपने सहकर्मी जेम्स हर्टल के साथ मिलकर हॉकिंग ने ब्रह्मांड के एक क्वाण्टम-मैकेनिकल मॉडल का विकास किया, जिसके अनुसार ब्रह्माण्ड स्वयं में निहित या परिपूर्ण (जैसे पृथ्वी की सतह, जिसका कोई आरम्भिक बिंदु नहीं है) है किन्तु इसकी कोई सीमा नहीं है (जैसे हम पृथ्वी के किसी किनारे से गिर नहीं सकते)। अतः ब्रह्मांड परिमित किन्तु सीमाहीन (पृथ्वी की सतह की भाँति जिसका क्षेत्र निश्चित है किन्तु कोई किनारा नहीं है) है।

ब्रेकथ्रू इनिशिएटिव

- **रूसी तकनीकी निवेशक यूरी मिलनर तथा ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफ़न हॉकिंग** द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य ब्रह्मांड का अन्वेषण एवं पृथ्वी के बाहर जीवन के वैज्ञानिक साक्ष्यों की खोज करना है। इस पहल के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:
  - **ब्रेकथ्रू लिसेन प्रोजेक्ट:** यह खगोलीय अवलोकन हेतु 100 मिलियन डॉलर का एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन की खोज हेतु 1 मिलियन तारों, गैलेक्टिक प्लेन (आकाशगंगा का वह तल जहाँ उसका अधिकांश द्रव्यमान अवस्थित है) तथा 100 पड़ोसी आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण करना है।
  - **ब्रेकथ्रू मैसेज:** यह पृथ्वी, जीवन तथा मानवता का वर्णन करने वाले एक सन्देश की रचना (जिसे अन्य सभ्यताओं द्वारा समझा जा सके) हेतु 1 मिलियन डॉलर के पुरस्कार राशि की एक प्रतिस्पर्धा है।
  - **ब्रेकथ्रू वॉच**: यह करोड़ों डॉलर का एक खगोलीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पृथ्वी तथा अंतरिक्ष आधारित ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है जो हमारे ब्रह्मांडीय परिवेश में पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की खोज कर सके। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना है कि क्या उन ग्रहों पर जीवन संभव है।
  - **ब्रेकथ्रू स्टारशॉट:** यह 100 मिलियन डॉलर का अनुसंधान एवं अभियांत्रिकी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक ऐसी नई तकनीक की अवधारणा का प्रमाण प्रदर्शित करना है जो प्रकाश की गति के 20% की गति वाली अल्ट्रा-लाइट मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान को सक्षम बनाने तथा एक पीढ़ी के भीतर अल्फा सेंटौरी (Alpha Centauri) के लिए फ्लाईबाई मिशन की नींव स्थापित करने में समर्थ हो।

6.5 जीसैट- 6A

(GSAT-6A)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से GSLV F08 प्रक्षेपण यान द्वारा GSAT-6A का प्रक्षेपण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रक्षेपण भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F08 की 12वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ छठी उड़ान थी।
- GSAT-6 के सदृश GSAT-6A भी एक उच्चस्तरीय S-बैंड संचार उपग्रह है जो हैंडहेल्ड उपकरणों के लिए मोबाइल संचार में सुधार करेगा। इसके साथ ही यह उपग्रह-आधारित मोबाइल संचार अनुप्रयोगों में उपयोगी नेटवर्क प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाने में सहायता करेगा।
- हालांकि बाद में इसरो का अपने संचार उपग्रह GSAT-6A के साथ संपर्क टूट गया।

6.6. कॉपरनिकस कार्यक्रम

(Copernicus Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के फलस्वरूप भारत और यूरोपीय संघ एक-दूसरे के उपग्रहों से प्राप्त अर्थ ऑब्ज़र्वेशन डेटा को साझा करने में सक्षम होंगे।

व्यवस्था के बारे में

- कॉपरनिकस कार्यक्रम वस्तुतः यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency: ESA) से साझेदारी के साथ यूरोपीय आयोग (EC) की अध्यक्षता में संचालित एक अर्थ ऑब्जरवेशन प्रोग्राम है।

- भारत को कॉपरनिकस सेंटीनेल समूह के छह उपग्रहों से प्राप्त डेटा तक मुफ़्त, पूर्ण और खुली पहुँच प्राप्त हो जाएगी।
- इसके बदले में भारत इसरो के भूमि, महासागर और वायुमंडलीय श्रृंखला के नागरिक उपग्रहों (ओशेनसैट-2, मेघा-ट्रापिक्स, स्कैटसैट -1, सरल, इनसेट-3 डी, इनसेट-3DR) के वाणिज्यिक उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले उपग्रह डेटा को छोड़कर अन्य सभी डेटा तक मुफ़्त, पूर्ण और खुली पहुँच प्रदान करेगा।
- ये सेवाएँ **छह विषयगत (थीमेटिक) क्षेत्रों** को संबोधित करती हैं: भूमि, समुद्र, वायुमंडल, जलवायु परिवर्तन, आपातकालीन प्रबंधन और सुरक्षा।

6.7. एयर-ब्रीथिंग इलेक्ट्रिक थ्रस्टर

(Air-Breathing Electric Thruster)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency: ESA) ने विश्व के प्रथम एयर-ब्रीदिंग इलेक्ट्रिक थ्रस्टर का परीक्षण किया है, जो उपग्रहों को लंबे समय तक निचली कक्षा में बनाए रख सकता है।

एयर-ब्रीदिंग इलेक्ट्रिक थ्रस्टर या आयन थ्रस्टर क्या है?

- यह एक आयन थ्रस्टर है जो एयर-ब्रीदिंग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (ABEP) या RAM इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन विधि का उपयोग करता है।

ABEP कैसे कार्य करता है?

- ABEP ऑन-बोर्ड प्रोपेलेंट का उपयोग करने के बजाय शीर्ष वायुमंडल से वायु के अणुओं का अंतर्ग्रहण करता है।
- फिर यह इन अणुओं को विद्युत आवेशित और त्वरित करता है।
- अंत में, यह आयनित अणुओं को अंतरिक्ष में वापस इंजेक्ट करता है जो इसे थ्रस्ट प्रदान करता है।

ABEP का महत्व

- यह नई प्रणाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उपग्रह का वजन कम हो जाता है और इस प्रकार ईंधन की खपत भी कम हो जाती है।
- इस प्रणाली से उपग्रह लगभग अनिश्चित काल तक अंतरिक्ष में बने रह सकते हैं तथा यह डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है।

6.8. माइक्रो-LED: अगली पीढ़ी की डिस्प्ले प्रौद्योगिकी

(Micro-LED: The Next-Gen Display Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सैमसंग ने 146 इंच डिस्प्ले वाला एक प्रोटोटाइप MicroLED आधारित TV का प्रदर्शन किया।

MicroLED के बारे में

- यह एक उभरती हुई फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक है, जिसमें डिस्प्ले में इंडिविजुअल पिक्सल एलीमेंट से बने माइक्रोस्कोपिक LEDs के ऐरे (arrays) निहित होते हैं।
- ये सामान्य पारंपरिक LEDs होते हैं जिन्हे संकुचित कर एक ऐरे में व्यवस्थित किया जाता है। LED तकनीक नवीन नहीं है, परन्तु ऐसे सूक्ष्म घटकों का उपयोग कर पैनल ऐरे का निर्माण करना अत्यंत कठिन है। वर्तमान में OLED की तुलना में यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

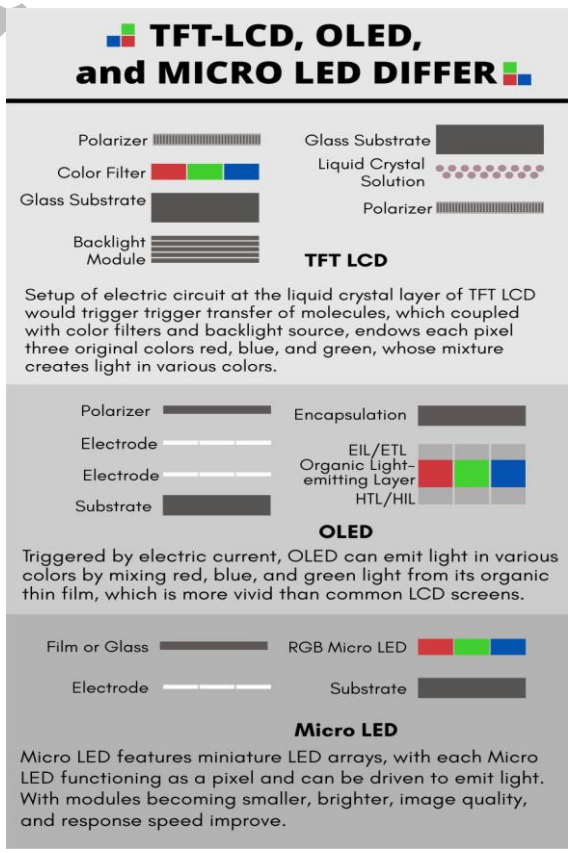

OLEDs और MicroLEDs

- OLEDs स्व-उत्सर्जक (self-emmissive) हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बजाय यह आवश्यकतानुसार प्रत्येक पिक्सल को लाइट प्रदान करता है। OLED की तरह Micro LED को भी बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है।
- OLEDs कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। अनइवेन एजेइंग (असमान जीर्णता) की संभावना से युक्त इन कार्बनिक पदार्थों के परिणामस्वरुप समय के साथ OLEDs की चमक (ज्योति तीव्रता) में कमी आ जाती है। MicroLEDs के अकार्बनिक (गैलियम नाइट्राइड) होने के कारण जीर्णता का इनकी चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

VISION IAS

- कार्बनिक से अकार्बनिक में यह परिवर्तन भी पोलराइज़िंग और इन्कैप्सुलेशन परत की आवश्यकता को कम कर देता है, जिसके कारण पैनल पतले होते हैं।
- OLED विनिर्माण प्रक्रिया संभावित स्क्रीन आकृति और आकार को भी सीमित करती है। MicroLED तकनीक प्रकृति में "मॉड्यूलर" होते हैं जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है।
- MicroLEDs, OLEDs की तुलना में अधिक ऊर्जा-दक्ष हैं।

6.9. शीत संलयन रिएक्टर

(Cold Fusion Reactor)

सुर्ख़ियों में क्यों

भारत शीत संलयन रिएक्टर के क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ करने की दिशा में कदम उठा रहा है।

शीत संलयन रिएक्टर

- शीत संलयन अभिक्रिया या निम्न ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया (Low Energy Nuclear Reaction: LENR) तकनीक वस्तुतः नाभिकीय संलयन की एक तकनीक है, जो संभवतः कमरे के तापमान पर या उसके निकट तापमान पर संपन्न होती है। यह अभी भी अनुसंधान के चरण में है।
- यह ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन के विभिन्न धातुओं जैसे निकल और पैलेडियम के साथ अंतर्क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।
- शीत संलयन के तहत हानिकारक विकिरण, जटिल उपकरण और अत्यधिक तापमान एवं दबाव के अनुप्रयोगों के बिना नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करने का प्रयास किया जाता है।

शीत संलयन रिएक्टर और नाभिकीय संलयन / विखंडन रिएक्टर के मध्य तुलना

शीत संलयन अभिक्रिया	नाभिकीय संलयन / विखंडन अभिक्रिया
कच्चे माल के रूप में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है।	रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग किया जाता है।
दुर्बल नाभिकीय बलों का उपयोग।	प्रबल नाभिकीय बलों का उपयोग।
1 eV से कम ऊर्जा के साथ मंद न्यूट्रॉनों का उपयोग।	1 MeV ऊर्जा के साथ तीव्र न्यूट्रॉनों का उपयोग।
किसी प्रकार के रेडियोधर्मी अपशिष्ट या विकिरण उत्पन्न नहीं होते हैं।	रेडियोधर्मी अपशिष्ट या विकिरण उत्पन्न होते हैं।

संभावित लाभ

- LENR प्रौद्योगिकी का उपयोग **वहनीय (vehicular) और लघु (at-home) नाभिकीय रिएक्टरों के निर्माण** के लिए किया जा सकता है, जो ऊष्मा और विद्युत् दोनों प्रदान करते हैं।
- रेडियोधर्मी पदार्थों को अनुकूल/स्वच्छ तत्वों में परिवर्तित किया जा सकता है जो इस ग्रह को हजारों टन रेडियोधर्मी अपशिष्ट से मुक्त करने में सहायक सिद्ध होगा।
- **अत्यंत-स्वच्छ और ऊर्जा सघन:** शीत संलयन ऊर्जा जनरेटरों को विद्युत ग्रिड से सम्बद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। लघु और वहनीय विद्युत इकाइयाँ किसी भी स्थान पर मांग के अनुसार ऊर्जा प्रदान करेंगी।

6.10. अपशिष्ट ऊष्मा को विद्युत् में परिवर्तित करने वाला नवीन पदार्थ

(Novel Material To Convert Waste Heat To Electricity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नवीन पदार्थ (AgCuTe) विकसित किया है।

सिल्वर कॉपर टेल्युराइड (AgCuTe) के बारे में

- यह एक ताप-विद्युत पदार्थ है जिसका उपयोग अपशिष्ट ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह 25-425 डिग्री सेल्सियस के परास में निम्न ऊष्मा चालकता और उच्च विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है।
- इस पदार्थ में उपस्थित सिल्वर, कॉपर और टेल्यूरियम में अलग-अलग गुण हैं जिनके प्रायोगिक परीक्षण सफल रहे हैं।

गुणधर्म

- **टेल्यूरियम:** इसके परमाणु दृढ़ता से परस्पर आबद्ध होते हैं और जालक (lattice) अत्यधिक कठोर होता है। यह गठन होल्स के लिए एक चालन चैनल प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप यौगिक को उच्च विद्युत चालकता प्राप्त होती है।
- **सिल्वर और कॉपर**: यह कम तापीय चालकता में योगदान करता है। 170 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर सिल्वर और कॉपर आयन दोनों कठोर टेल्यूरियम उप-जालक के भीतर तरल के समान प्रवाहित होते हैं, जिससे होल (विद्युत वाहक) के प्रवाह को प्रभावित किए बिना यह तापीय चालकता को कांच की तापीय चालकता के स्तर तक घटा देता है।
- **महत्त्व :**
  - AgCuTe में ऊष्मा को विद्युत् में परिवर्तित करने की 14% दक्षता है जिसका उपयोग ऊष्मा के रूप में व्यर्थ होने वाले उपयोगी ऊर्जा के लगभग 65% भाग की क्षति को कम करने के लिए किया जा सकता है।
  - AgCuTe का विकास ऑटोमोबाइल उद्योग, रसायन और तापीय विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्र, ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट आदि के लिए अत्यधिक उपयोगी हो सकता है।

6.11. वैटेराइट- पौधों में दुर्लभ खनिज

(Vaterite- Rare Minerals In Plants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कई अल्पाइन पौधों की पत्तियों पर वैटेराइट नामक एक दुर्लभ और अस्थायी खनिज पाया गया। ऐसा पहली बार है कि पौधों से संबंधित किसी दुर्लभ खनिज का पता लगाया गया है।

वैटेराइट के बारे में

- वैटेराइट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) का एक **पॉलीमॉर्फ** (एक ठोस रासायनिक यौगिक, जो एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में विद्यमान रहता है) है, वस्तुतः एक खनिज है।
- पृथ्वी के आर्द्र वायुमंडल में अस्थायी होने के कारण यह प्राय: कैल्साइट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के अधिक सामान्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है।
- वैटेराइट को प्राय: बाह्य अन्तरिक्ष से सम्बद्ध किया जाता है परंतु पृथ्वी पर यह कुछ सागरीय एवं ताजा जल क्रस्टेशियन, पक्षियों के अंडों, सालमन मछली के आंतरिक कर्ण, उल्कापिंडों तथा चट्टानों में भी पाया जाता है।
- उच्च लोडिंग क्षमता, कोशिकाओं द्वारा उच्च अवशोषण तथा घुलनशीलता जैसे इसके विशिष्ट गुण इसे औषधियों हेतु सम्भावित रूप से बेहतर वाहक बनाते हैं। इन विशिष्ट गुणों के कारण इसके माध्यम से रोगियों में उपचारात्मक औषधियों का निरंतर और लक्षित वितरण संभव है।

6.12. गैलीनीन

(Gallenene)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- शोधकर्ताओं ने मृदु धातु गैलियम (Gallium) की एक द्विआयामी (2D) अवस्था को पृथक किया है, जिसे "**गैलीनीन**" कहा जाता है। गैलीनीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पतले और कुशल धात्विक संपर्क स्थापित कर सकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- एक सामान्य त्रि-आयामी पदार्थ को द्विआयामी अवस्था में परिवर्तित करने से मौलिक रूप से इसके इलेक्ट्रिकल, चुम्बकीय, भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है।
- वैज्ञानिकों ने ग्राफीन (Graphene) के अतिरिक्त ब्लैक फास्फोरस, मॉलिब्डेनम डाइसल्फ़ाइड तथा क्रोमियम ट्राईक्लोराइड जैसे पदार्थों के 2D संस्करणों का निर्माण किया है।
- गैलीनीन प्रथम धातु है जिसे 2D अवस्था में निर्मित किया गया है। 2D धातुओं का निष्कर्षण करना कठिन होता है, क्योंकि ये मुख्यतः उच्च-सामर्थ्य, अविलेपित (uncoated) और परतदार संरचनाएं होती हैं। इस कारण गैलीनीन एक अपवाद है जो 2D अवस्था में धातुओं की कमी को पूर्ण कर सकता है।
- गैलीनीन अर्धचालकों को अच्छी तरह से बांधे रखता है और इसे अब अपेक्षाकृत सरल तकनीक के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इसका नैनो स्केल पर एक कुशल इलेक्ट्रॉनिक धातु संपर्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में ऐसे अनुप्रयोगों हेतु 2D धातुओं के अधिक विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

6.13. रिडबर्ग पोलरॉन्स: पदार्थ की एक नई अवस्था

(Rydberg Polarons: A New State Of Matter)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक "विशाल परमाणु" (giant atom) का निर्माण किया और इसे सामान्य परमाणुओं से भरकर सफलतापूर्वक पदार्थ की एक नई अवस्था का विकास किया। पदार्थ की इस नई अवस्था को **"रिडबर्ग पोलरॉन्स"** नाम दिया गया है।

नया पोलरॉन्स कैसे निर्मित किया गया?

- यह दो अलग-अलग क्षेत्रों, बोस आइंस्टीन कंडेन्सेशन तथा रिडबर्ग एटम की अवधारणाओं का उपयोग करता है।
- बोस आइंस्टीन कंडेन्सेट (BEC) अत्यंत निम्न ताप पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की द्रव जैसी अवस्था है। BEC को विक्षोभ उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है जो कि झील में तरंगों के निर्माण के समान है।
- एक 'रिडबर्ग एटम' ऐसा परमाणु होता है जिसमें एक इलेक्ट्रान को एक उच्च कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस कार्य में स्ट्रांशियम परमाणुओं के एक BEC पर लेज़र प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन को एक उच्च कक्षा में उत्तेजित करता है, जिससे रिडबर्ग एटम का निर्माण होता है। यह कक्षा अपने अंदर कई अन्य स्ट्रांशियम परमाणुओं को घेरने के लिए पर्याप्त वृहद् होता है।
- जैसे ही इलेक्ट्रान अनेक स्ट्रांशियम परमाणुओं का चक्कर लगाता है, यह BEC की तरंगों को उत्पन्न करता है। रिडबर्ग एटम इन तरंगों के साथ जटिल रूप से मिश्रित हो जाता है तथा एक नए सुपर-एटम 'रिडबर्ग पोलरॉन्स' का निर्माण करता है।

रिडबर्ग पोलरॉन्स का प्रयोग

- यह ब्रह्मांड विज्ञान (cosmology) में उपयोगी सिद्ध होगा। डार्क मैटर के कुछ सिद्धांतों ने यह स्वीकार किया है कि यह एक ब्रह्मांडीय (कॉस्मिक) बोस आइंस्टीन कंडेनसेट है। यदि हम वास्तव में एक अदृश्य सर्वव्यापी बोस आइंस्टीन कंडेन्सेट में रह रहे हैं, तो यह प्रयोग इसका पता लगाने की विधियों के संबंध में सुझाव दे सकता है।
- दुर्बल बंध से निर्मित पदार्थ की यह नई अवस्था अतिशीतित परमाणुओं (ultracold atoms) की भौतिकी को समझने में एक नवीन संभावना प्रस्तुत करती है।

6.14. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर दुर्लभ 'आइस-VII' का पता लगाया

(Scientists Found Rare 'ICE-VII' On Earth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने हीरे के अंदर पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आइस-VII के पहले नमूने का पता लगाया।

आइस-VII के बारे में अन्य संबंधित तथ्य:

- सामान्य बर्फ को आइस-I कहा जाता है, जिसकी क्रिस्टल संरचना षट्कोणीय होती है, जिससे इसका घनत्व जल की तुलना में कम होता है। बर्फ को संपीड़ित करने से इसके क्रिस्टलीय आकार में परिवर्तन होता है, जिससे आइस-I आइस-II (समचतुर्भुज आकार के क्रिस्टल), आइस-III (चतुष्कोणीय क्रिस्टल) आदि में परिवर्तित हो जाती है।
- आइस-VII की क्रिस्टल संरचना क्यूबिक होती है जिसका घनत्व आइस-I से 1.5 गुना अधिक है।
- आइस-VII के निर्माण हेतु निम्न तापमान और वायुमंडलीय दाब से 30,000 गुना (3 गीगा पास्कल) उच्च दाब की आवश्यकता होती है। यह उच्च दाब अत्यधिक गहराई में पृथ्वी के मेंटल में प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु यहां अत्यधिक तापमान के कारण बर्फ नहीं जम सकती।
- हीरा प्राय: पृथ्वी की गहराई में अपने निर्माण के दौरान अणुओं को ग्रहण करता है। इस प्रकार के उच्च दाब के कारण उनके भीतर फंसा हुआ जल अति-दुर्लभ आइस-VII बन जाता है।

6.15. डिजीज 'x'

(Disease 'X')

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डिजीज 'X' के संबंध में वैश्विक चेतावनी जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य :

- WHO ने **ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीज** की 2018 की अपनी वार्षिक समीक्षा में इस नए और अत्यधिक घातक रोगाणु ('डिजीज 'X') को सूचीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य बेहतर ज्ञात रोगों (जो संभवतः एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का रूप ले सकते हैं) को भी इस सूची में सम्मिलित किया गया है, जैसे- मर्स (MERS) और मारबर्ग वायरस।
- यह ब्लूप्रिंट रिव्यु वस्तुतः अनुसंधान एवं विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से रोगों और रोगाणुओं को सूचीबद्ध करती है। ये रोग प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं और इनके संबंध में निगरानी और निदान सहित आगे और अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता होती है।

डिजीज 'X' क्या है:

- "डिजीज X" एक नव अभिज्ञात जानलेवा रोगाणु नहीं है। यह एक तथाकथित "ज्ञात अज्ञात" है - यह स्पेनिश फ्लू अथवा HIV जैसे जैविक उत्परिवर्तनों सदृश विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है अथवा इसे एक आतंकी हमले या एक सामान्य दुर्घटना द्वारा भी फैलाया जा सकता है।
- डिजीज X यह तथ्य प्रदर्शित करता है कि वर्तमान में कोई अज्ञात रोगाणु गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का कारण बन सकता है।

6.16. इंटरस्टीशियम

(Interstitium)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों द्वारा इंटरस्टीशियम नामक एक नए मानव अंग की पहचान की गई है। इंटरस्टीशियम के अतिरिक्त, अभी तक मानव शरीर में 79 अंगों की पहचान की जा चुकी है।

इंटरस्टिशियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:

- ये तरल पदार्थों से भरे कंपार्टमेंट्स हैं जो हमारी त्वचा के नीचे पाए जाने के साथ ही आँत, फेफड़े, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के नीचे भी परत के रूप में पाए जाते हैं। ये आपस में जुड़कर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसे मजबूत और लचीले प्रोटीन के जाल द्वारा आधार प्राप्त होता है।
- इन्हें पूर्व में सघन संयोजी ऊतक माना जाता था।
- ये "आघात अवशोषक" (shock absorbers) के रूप में कार्य कर सकते हैं जो शरीर में ऊतकों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है।
- इस नई खोज की मदद से मनुष्य के शरीर में कैंसर कैसे फैलता है इसे आसानी से समझा जा सकेगा।
- इंटरस्टीशियम मानव शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है।

इस अंग को पूर्व में क्यों नहीं खोजा जा सका?

शरीर के ऊतकों के परीक्षण की पारंपरिक विधियां इंटरस्टीशियम का पता नहीं लगा पाईं क्योंकि मेडिकल माइक्रोस्कोप स्लाइड्स की असेम्बलिंग के लिए प्रयुक्त "फिक्सिंग" विधि में तरल पदार्थ को हटा दिया जाता है, जिससे इस अंग की संरचना नष्ट हो जाती है।

7. सामाजिक

(SOCIAL)

7.1. एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना

(Integrated School Education Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने 15 से भी अधिक वर्षों से परिचालित सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षण (Teacher Education: TE) को एक **एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना** (Integrated School Education Scheme) के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

इस योजना के उद्देश्य

यह एकीकृत योजना वर्ष 2018 से 2020 तक की अवधि के लिए होगी। इस योजना के लिए अनुमानित आबंटन 75,000 करोड़ रूपये होगा, जो वर्तमान आबंटन से 20% अधिक है। इसके उद्देश्यों में सम्मिलित हैं:

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि,
- स्कूल शिक्षा में लैंगिक असमानता को पाटना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना;
- स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना;
- शिक्षा के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करना;
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; और
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs) / राज्य शिक्षा संस्थाओं और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढ़ और उन्नयन करना।

सम्भावित लाभ

- **राज्य / संघ शासित प्रदेश,** इस योजना के मानदंडों और उनके पास उपलब्ध समग्र संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में योजना बनाने और प्राथमिकता तय कर हस्तक्षेप करने में सक्षम होंगे। इस संबंध में लचीला रूख अपनाया गया है।
- **स्कूलों को 'अविच्छिन्न' रूप में देखने के लिए एकीकृत प्रशासन:** इससे स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संक्रमण दरों में सुधार होगा तथा स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए बच्चों को सार्वभौम पहुंच प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। स्कूली शिक्षा के समर्थन में पहली बार उच्चतर माध्यमिक स्तर और प्री-स्कूल स्तर को एक साथ सम्मिलित किया गया है।
- शिक्षक शिक्षण संस्थाओं, जैसे- SCERTs और DIET को सुदृढ़ बनाकर **शिक्षकों के क्षमता निर्माण को उन्नत करना**।
- इससे **बजटीय आबंटन का इष्टतम उपयोग** और पूर्व योजनाओं के लिए सृजित मानव संसाधनों तथा संस्थागत संरचनाओं का प्रभावी उपयोग होगा।
- **अन्य लाभों में** शिक्षा में प्रौद्योगिकी का वर्द्धित उपयोग, 'स्वच्छ विद्यालय' को प्रोत्साहन, स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं की गुणवत्ता में सुधार, शैक्षणिक रूप से पिछड़े खंडों की प्राथमिकता आदि सम्मिलित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

SSA को प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के उद्देश्य से 2001 से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009, 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। इस कानून के अधिनियमन के पश्चात् SSA अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय कार्यक्रम बन गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

- 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से RMSA को प्रारम्भ किया गया था।
- इस योजना के तहत 100% GER (सकल नामांकन दर) और 2020 तक माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को सार्वभौमिक रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से घरों से यथोचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर नामांकन दर में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षक शिक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:

- **शिक्षक शिक्षण को सुदृढ़ करना:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की घोषणा के बाद उसके अनुसरण में 1987 में शिक्षक शिक्षण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गयी। इसका उद्देश्य 2011 तक सृजित सभी जिलों में **DIETs** को स्थापित करना था तथा शिक्षक शिक्षण कॉलेजों (CTEs), *इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन* (IASEs) को सुदृढ़ करना और शिक्षक शिक्षण के लिए चिन्हित SC/ST/अल्पसंख्यक सकेंद्रित जिलों में प्रखंड शिक्षक शिक्षण संस्थानों (BITEs) को स्थापित करना था।

VISION IAS

- **शिक्षक शिक्षण की गुणवत्ता:** शिक्षकों हेतु शिक्षक शिक्षण के लिए एक अलग कैडर का निर्माण और पूरे देश में शिक्षक शिक्षण प्रणाली के नियोजित और एकीकृत विकास हेतु शिक्षकों के कैडर को सुदृढ़ बनाना।

7.2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को 2020 तक जारी रखने की घोषणा की।

RUSA के सम्बन्ध में:

- यह 2013 में प्रारम्भ की गयी थी। यह केन्द्र प्रायोजित एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना है। यह एक मिशन मोड में संचालित कार्यक्रम है। यह योग्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करता है।
- राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक, अकादमिक, सम्बद्धता और मान्यता सुधार जैसे परिवर्तनकारी सुधार इसकी पूर्व-आवश्यकताएं हैं।
- राज्यों को वित्त पोषण वस्तुतः राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित हैं। इसके तहत उच्च शिक्षा में निष्पक्षता, पहुंच और उत्कृष्टता के मुद्दों को हल करने के लिए प्रत्येक राज्य की रणनीति पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- RUSA के अंतर्गत सभी वित्त पोषण, मानक आधारित हैं और भविष्य के अनुदान परिणामों पर निर्भर हैं।

RUSA 2.0 के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण पहलें:

- RUSA 2.0 राज्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अधिक संसाधन प्रवाह को सुनिश्चित करने का दृष्टिकोण रखता है। RUSA 2.0 राज्यों और संस्थानों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) पर आधारित परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- इस अवधि के दौरान इसके तहत GER में 30% की वृद्धि, 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेज और 8 नए व्यवसायिक कॉलेजों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, यह 10 चयनित राज्य विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता व उत्कृष्टता में वृद्धि का प्रयास करेगा। साथ ही यह 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करेगा।
- **अवसंरचना और उपकरणों (स्टॉक) का एक ऑनलाइन प्लेटफार्म** बनाया जाएगा ताकि संस्थान इन संसाधनों का साझा उपयोग कर सकें।
- यह योजना उच्च नामांकन और प्रतिधारण (रिटेंशन) के माध्यम से पहुंच और समानता में सुधार हेतु नीति आयोग द्वारा चिन्हित **महत्त्वाकांक्षी जिलों को प्राथमिकता प्रदान करेगा।**
- **राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संसाधन केंद्र (NHERC)** का सृजन किया जाएगा। यह अनुंसधान, नीति समर्थन, क्षमता निर्माण, सशक्त नीति और साक्ष्य आधारित अनुसन्धान इनपुट के लिए एक संसाधन केंद्र होगा।
- संस्थागत सुधार और पुनर्गठन, क्षमता निर्माण तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली के घटकों को एक एकल घटक में विलय कर दिया गया हैं।
- यह निगरानी और मूल्यांकन हेतु मौजूदा तंत्रों में वृद्धि करेगा। साथ ही यह फंड ट्रैकर, सुधार ट्रैकर, भुवन-RUSA और PFMS जैसे निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अभिनव तरीकों पर कार्य करेगा, ताकि परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी की जा सकें।

7.3. नेशनल एकेडमिक डिपाजिटरी

(National Academic Depository: Nad)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रारम्भ किये गये NAD को e-SANAD पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

e-SANAD का लक्ष्य भारत में दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रस्तुति या प्रमाणन हेतु आवेदकों को प्रमाण-पत्र देने और सामान्य प्रमाणन सेवा उपलब्ध कराने हेतु एक सम्पर्क-रहित, नकदी-रहित, चेहराविहीन और कागज-रहित सुविधा प्रदान करना है (यह चरणबद्ध रूप में विदेशों में रहने वाले भारतीयों तक विस्तारित की जाएगी)। इसे **NIC** द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। e-SANAD सेवा को CBSE डिपाजिटरी के साथ प्रारम्भ किया जाएगा।

परिणाम मंजूषा

- यह **CBSE के अकादमिक रिकार्ड की एक डिजिटल डिपाजिटरी है।**

VISION IAS

- **CBSE के छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्डों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए** नियोक्ता और शिक्षण संस्थान इस डिपाजिटरी का उपयोग कर सकते हैं।
- इस डिपाजिटरी के एकेडमिक रिकार्ड छात्रों को **डीजी-लॉकर** के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे।

NAD के बारे में

NAD वस्तुतः विभिन्न अकादमिक संस्थानों/स्कूल बोर्डों/योग्यता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल रूप से दर्ज एकेडमिक अवार्डों की एक 24x7 ऑनलाइन डिपाजिटरी होगी। नियोक्ता और कोई भी अन्य व्यक्ति पूर्वानुमति से किसी भी एकेडमिक अवार्ड की प्रमाणिकता का सत्यापन कर सकते हैं।

अन्य विवरण

- सभी केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्विद्यालय, CBSE, राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड इस डिपाजिटरी में भागीदारी करेंगे।
- NAD को कार्यान्वित करने के लिए UGC एक अधिकृत निकाय होगा।
- इसमें दो इंटर-ओप्रेबल डिजिटल डिपाजिटरी होंगी अर्थात् NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (NDML) और CDSL वेंचर लिमिटेड (CVL)।
- NAD के एक स्थाई और सुरक्षित रिकार्ड होने के कारण डुप्लीकेट एकेडमिक अवार्ड जारी करने की आवश्यकता और अवार्डों के खोने, नष्ट होने, क्षतिग्रस्त या नकली अवार्ड होने का खतरा समाप्त हो जायेगा, क्योंकि यह इन अकादमिक दस्तावेजों को सुविधाजनक रूप में उपलब्ध कराएगा।

7.4. आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति

(Status Of Anganwadi Centres)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में आंगनवाड़ी केन्द्रों (AWCs) की आधारभूत सरंचना की स्थिति पर प्रकाश डाला है।

इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- AWCs की स्वीकृत और संचालित संख्या के बीच अंतर है। यह अंतर बिहार (20%) और J&K में (7.3%) अधिकतम है।
- लगभग 4.5 लाख आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल और शौचालय की सुविधाओं का अभाव है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% आंगनवाडी केन्द्रों में पेयजल सुविधाएँ और 36% में शौचालय की सुविधाएँ विद्यमान नहीं हैं।
- बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों, AWWs और AWHs के पद रिक्त हैं।

आंगनवाडी केन्द्रों (AWCs) के बारे में:

- ICDS योजना के अंतर्गत यह गाँव या किसी बस्ती में निर्दिष्ट सेवायें प्रदान करने के लिए आंगन में बना एक खेल केंद्र (courtyard play centre) है।
- आंगनवाडी कर्मचारियों (AWWs) के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित के कार्यान्वयन में सहायता करना सम्मिलित हैं: सभी परिवारों का एक त्वरित सर्वेक्षण, AWCs में अनौपचारिक प्री-स्कूल गतिविधियों का आयोजन, परिवार नियोजन और प्रसव की तैयारी संबंधी अभियान, शिशुओं की पोषण प्रगति (**राष्ट्रीय पोषण मिशन**) पर फोकस, ICDS के अंतर्गत दवाओं की किट व गर्भनिरोधकों की उपलब्धता, किशोरी शक्ति योजना (KSY) के कार्यान्वयन में सहायता करना आदि।

एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme: ICDS)

- 1975 में शिशुओं (6 महीने से 6 वर्ष तक) और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की चिंता किये बिना प्रारम्भ किया गया था।
- इसे केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत **कोर योजना** के रूप में प्रारम्भ किया गया था।
- **SDGs के लक्ष्य 2 और 3 (**पोषण में सुधार और क्रमशः सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करना) को प्राप्त करने हेतु कार्यरत।
- **यह छह सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज** प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं: (i) पूरक पोषण कार्यक्रम (ii) रेफरल सेवायें (iii) अनौपचारिक प्री-स्कूल शिक्षा (iv) टीकाकरण (v) स्वास्थ्य जांच पड़ताल (vi) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा।
- **स्वास्थ्य से जुडी** सेवाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाडी स्तर पर **5-स्तरीय** निगरानी तन्त्र।

VISION IAS

AWCs के समक्ष चुनौतियाँ

- **फंड और कार्यान्वयन उपकरणों की कमी:** आवश्यक वस्तुओं के लिए फंड प्राप्ति में विलम्ब की समस्या को कई रिपोर्टों में चिन्हित किया गया है।
- **प्रोत्साहन:** AWWs को 'स्वैछिक' कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिदिन उनके 10 घंटों से भी अधिक कार्य करने पर भी उनके वेतन को 'मानदेय' माना जाता है। उनसे कुछ अन्य अतिरिक्त कार्यों की भी अपेक्षा की जाती है, जैसे- सार्वजनिक शौचालयों, गर्भवती महिलाओं का सर्वेक्षण और पेयजल की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण।
- **पर्यवेक्षण का अभाव**: आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उच्च अधिकारियों द्वारा अत्यंत कम या नगण्य पर्यवेक्षण होता है, जिसके कारण ICDS का निम्न प्रदर्शन और कार्यान्वयन देखा जाता है।
- **अपर्याप्त ज्ञान:** विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्रत्येक लाभार्थी के पोषण के लिए कैलोरी, प्रोटीन के लिए आंवटित धन और संशोधित मानदंडों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।
- **सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह**: मानव विकास संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार कई गाँवों में जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रहों ने बच्चों के विरुद्ध जाति आधारित भेदभाव के साथ-साथ आशा कर्मियों और विभिन्न जातियों व समुदायों के AWWs के मध्य सहयोग की कमी के कारण आंगनवाड़ी सेवा केन्द्रों में सेवा वितरण को प्रभावित किया है।
- **भ्रष्टाचार:** आंगनवाड़ी श्रमिकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, राशन वितरण में कालाबाजारी, चिकित्सा किटों और फंड का अवैध रूप से अन्य उपयोग में हस्तांतरण जैसी अनियमितताएं भी सामने आयी हैं।

आगे की राह

- **आंगनवाड़ी के लिए PPP मॉडल**– सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित हरियाणा के आधुनिक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र **"नन्द-घर"** का अन्य राज्यों में भी विस्तार किया जाना चाहिए।
- AWCs कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न रजिस्टरों को स्वतंत्र रूप से सम्भालने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
- सभी सेवाओं और सुविधाओं का व्यापक मूल्यांकन समय की मांग है।
- बच्चों के पोषण, विशिष्ट पहचान कोड और आंगनवाड़ी केन्द्रों के भू-मानचित्रण डाटा को अपडेट करने के लिए स्मार्टफोन और टेबलेट जैसे IT-सक्षम उपकरणों के विस्तार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर **समर्पित कार्यक्रम** चलाये जाने चाहिए।

7.5. बाल विवाह में तीव्र गिरावट

(Child Marriage Numbers Drop Sharply)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में यूनिसेफ ने स्पष्ट किया है कि भारत में बाल विवाह की घटनाएं पिछले एक दशक में लगभग आधी हो गईं हैं।
- पिछले दशक में विश्व भर में 25 मिलियन बाल विवाहों को रोका गया था। दक्षिण एशिया में बालविवाह में सर्वाधिक कमी दर्ज की गयी, जिसमे भारत सबसे आगे था।

बाल विवाह के उच्च प्रचलन के कारक

- **व्यापक सामाजिक स्वीकृति सहित व्यापक रूप से प्रचलित सामाजिक प्रथा** आंध्रप्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बाल विवाह के उच्च प्रचलन के प्रमुख कारक हैं।
- **निर्धनता, विवाह की उच्च लागत और अन्य आर्थिक कारण**: कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में श्रम और उच्च महिला कार्य भागीदारी की मांग भी बाल विवाह का निर्धारण करती हैं।
- **स्कूली शिक्षा, विशेषकर माध्यमिक स्तर तक पहुंच का अभाव:** यूनिसेफ के अनुसार 10 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाली एक बालिका का 18 वर्ष से पहले विवाह करवाने की घटनाओं में छह गुना कमी देखी गई है।
- सामाजिक स्वीकृति के कारण इसे राजनीतिक सरंक्षण भी मिलता है, क्योंकि राजनेता बाल विवाह की प्रथा का विरोध करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उन्हें अपने वोट और समर्थन गंवाना पड़ सकता है।
- बाल विवाह का व्यापक रूप से यौन व्यापार या सस्ते श्रम के लिए गरीब आदिवासी परिवारों से बालिकाओं को लाने के लिए छद्म उपयोग किया जाता है।

बाल विवाह में कमी लाने के प्रयास:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बालिकाओं की स्थिति में सुधार के लिए और बाल विवाह की समस्या को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाये हैं:
    - प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अक्षय तृतीया पर होने वाले (बाल) विवाह को रोकने के लिए समन्वित प्रयास की विशेष पहल करें। अक्षय तृतीया (आखा तीज) परम्परागत रूप से इस प्रकार के विवाह का दिन माना जाता है।

- मंत्रालय ने एक अभिसरित राष्ट्रीय रणनीति विकसित की है –**"बाल विवाह की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक दस्तावेज"**। वर्तमान में यह इस समस्या को रोकने हेतु रणनीतियों के कार्यान्वयन में सभी राज्यों के मार्गदर्शन के लिए बाल विवाह पर कार्यवाही की योजना तैयार कर रहा है। बाल विवाह को रोकने के लिए सुझाये गये कदम इस प्रकार हैं:
  - **कानून प्रवर्तन:** बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, 21 वर्ष से कम आयु के किसी लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का विवाह किए जाने को प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार के कानून के प्रवर्तन के लिए बाल विवाह को रोकने वाले अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना, समुदायों और व्यक्तियों में कानून के बारे में जागरूकता, क्षमता निर्माण आदि महत्वपूर्ण हैं।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** और अन्य अवसरों तक पहुंच, क्योंकि शिक्षा बाल विवाह के निवारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - **मानसिकता और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन:** महिलाओं की परिवार और समाज में भूमिका, लैंगिक धारणाओं, लड़की के किशोरावस्था में विवाह करने की प्रथाओं की व्यापक स्वीकृति आदि मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
  - लडकियों को जीवन कौशल संबंधी प्रशिक्षण को बढावा देने वाली **SABLA** जैसी योजनाओं के माध्यम से किशोर लडकियों का सशक्तिकरण।
  - **ज्ञान और डाटा** पर फोकस करना, जो साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप को आकार प्रदान करते हैं।
  - बाल विवाह की रोकथाम हेतु किए जाने वाले हस्तक्षेपों के प्रभाव को समझने के लिए निगरानी योग्य संकेतकों को विकसित करना।
- बाल विवाह से लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अन्य कानून हैं – किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

7.6. निष्क्रिय इच्छामृत्यु

(Passive Euthanasia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेशिया या निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर अपना निर्णय दिया है।

इच्छामृत्यु (Euthanasia) क्या है?

इच्छामृत्यु को **असिस्टेड सुसाइड** (दूसरे की सहायता से आत्महत्या) या अनौपचारिक भाषा में **दया मृत्यु (mercy killing)** भी कहा जाता है। इसका अर्थ दुसाध्य (सतत, अविरल) कष्ट से मुक्ति दिलाने हेतु किसी जीवन को समाप्त करने के अभिप्राय से जान-बूझ कर किया गया प्रयास है। **सक्रिय इच्छामृत्यु** (active euthanasia) में एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से तथा जान-बूझ कर रोगी को मृत्यु प्रदान करता है, जबकि **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** (passive euthanasia) में वे सीधे रोगी की जान नहीं लेते, वे केवल उन्हें मृत्यु की ओर जाने देते हैं। भारत में इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या मृत्यु का अधिकार **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत जीने के अधिकार का ही एक भाग है या नहीं।

न्यायालय के निर्णय से संबंधित अन्य तथ्य

- खंडपीठ ने इस निर्णय को बरकरार रखा कि जीवन तथा गरिमा संबंधी मौलिक अधिकार में उपचार से मना करने तथा गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी सम्मिलित हैं, क्योंकि "अर्थपूर्ण अस्तित्व" संबंधी मौलिक अधिकार में किसी व्यक्ति के बिना कष्ट के मरने का निर्णय संबंधी अधिकार सम्मिलित है।
- इस निर्णय में लिविंग विल की जांच करने के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके आधार पर यह अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए कि, कब तथा किस प्रकार इसे अमल में लाया जाना है।
- इस दिशा-निर्देश में एक ऐसी स्थिति को भी सम्मिलित किया गया है जहां कोई लिविंग विल न हो, तो ऐसी दशा में निष्क्रिय इच्छामृत्यु संबंधी अनुनय किस प्रकार किया जाए।
- न तो उक्त व्यक्ति को कोई तर्क या कारण देने की आवश्यकता है, न ही उसे इस बात के लिए किसी अधिकारी को उत्तर देने की आवश्यकता है कि क्यों उसे अग्रिम निर्देश ज़ारी करना चाहिए।
- किन्तु खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा गया कि **सक्रिय इच्छामृत्यु गैर-क़ानूनी** है।

पृष्ठभूमि

- 2002 में, 196वें भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का समर्थन किया गया था। तथापि, इसके अंतर्गत इच्छामृत्यु पर कोई क़ानून न बनाने का निर्णय लिया गया।
- 2011 में *अरुणा शॉनबाग* वाद में, जो कि इस दिशा में एक मील का पत्थर था, सर्वोच्च न्यायालय ने परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) (स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था) में पड़े रोगियों की जीवन रक्षक प्रणाली को हटा कर निष्क्रिय इच्छामृत्यु को क़ानूनी मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया। न्यायालय के अनुसार, रोगी का निर्णय अवश्य ही सूचित निर्णय होना चाहिए।

- बाद में, अपनी 241वें रिपोर्ट में विधि आयोग ने कुछ वर्ग के लोगों यथा ऐसे अचेत लोगों की जो अपनी चेतन अवस्था से वापस लौट नहीं सकते, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं या विक्षिप्त या रुग्ण मस्तिष्क के हैं या जो निर्णय ले पाने संबंधी मानसिक क्षमता से वंचित हैं, उनकी जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने के निर्णय का समर्थन किया।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ये दिशा-निर्देश तथा इच्छामृत्यु के संबंध में इस देश के क़ानून के अनुसार सक्रिय इच्छामृत्यु अब भी भारत में वैध नहीं है।
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने लिविंग विल (चिकित्सकों को जीवन रक्षक संबंधी चिकित्सकीय उपकरणों को हटाने के संबंध में अग्रिम रूप से लिखित निर्देश) की अवधारणा को वैधानिक रूप दिए जाने का विरोध किया।

संबंधित तथ्य

- लिविंग विल एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई रोगी जब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट (स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था) में हो तथा उसके जीवित बचने की कोई वास्तविक संभावना न हो, तब वह अपनी सहमति से जीवन रक्षक प्रणाली को हटाए जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- यह एक प्रकार का **अग्रिम निर्देश** होता है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति अशक्तता की अवस्था को प्राप्त होने से पूर्व चिकित्सा के सभी प्रकारों की चर्चा कर, अधिकांशतः चिकित्सा कराने से इनकार करने हेतु करता है।
- जब कोई व्यक्ति चिकित्सा ज़ारी रखने या उसे बंद रखने संबंधी सहमति देने की स्थिति में न हो तो चिकित्सकीय आचार-नीति के दो आधारभूत सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं:
  - लिविंग विल में व्यक्त उसकी इच्छाओं या उसके बदले निर्णय ले रहे उसके प्रतिनिधि की इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
  - उपकारिता (Beneficence) जिसका आशय किसी व्यक्तिगत विश्वास, उद्देश्यों तथा अन्य धारणाओं से प्रभावित हुए बिना रोगी के सर्वाधिक हित में आचरण करना।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के पक्ष में तर्क

- कुछ लोगों का विश्वास है कि प्रत्येक रोगी को उसी प्रकार मरने का समय चुनने का अधिकार है जिस प्रकार उन्हें संविधान द्वारा जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है।
- प्रस्तावक ऐसा मानते हैं कि सरकार द्वारा क़ानून बना कर इच्छामृत्यु को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु पहले से ही विश्व के बहुत सारे देशों में अमल में लाई जा रही है।
- विश्व में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त हो रहे पैलीएटीव सिडेशन (palliative sedation) के मामले में प्रयुक्त विभिन्न सिडेटिव से किसी व्यक्ति के जीवन काल के कम होने का ख़तरा रहता है। इसलिए, यह भी तर्क दिया जा सकता है कि पैलीएटीव सिडेशन वस्तुतः इच्छामृत्यु का ही एक प्रकार है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के विपक्ष में तर्क

- वैकल्पिक उपचार, जैसे- रोग के लक्षण कम करने हेतु देखभाल तथा मरणासन्न रोगियों का अस्पताल उपलब्ध हैं। हमें लक्षणों को समाप्त करने के लिए रोगी को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी व्यथाओं का शमन संभव है।
- मारे जाने का कोई अधिकार नहीं होता। चिकित्सकों को रोगी के जीवन-मरण संबंधी अधिकार दे कर स्वैच्छिक इच्छामृत्यु का द्वार खोलने से अनैच्छिक इच्छामृत्यु के द्वार भी खुल जाएंगे।
- रोगी को जीवन समाप्त करने का अधिकार है, ऐसी पूर्वधारणा के कारण चिकित्सकों पर रोगियों को मारने का कर्तव्य भी आरोपित हो जाएगा। इससे चिकित्सकों की स्वायत्तता में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, कुछ लोगों के लिए विशेषतः जो सुभेद्य तथा अन्यों पर निर्भर हैं, मरने का अधिकार अन्यों के द्वारा मृत्यु का निर्णय लेने संबंधी कर्तव्य में बदल जाएगा।

7.7. डिजिटल इनफार्मेशन इन हेल्थकेयर सिक्योरिटी एक्ट (DISHA) का मसौदा

[Draft Digital Information In Healthcare Security Act (DISHA)]

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने डिजिटल इनफार्मेशन इन हेल्थकेयर सिक्योरिटी एक्ट (Digital Information in Healthcare Security Act: DISHA) का मसौदा जारी किया।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- इसके अनुसार शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य दशा, लैंगिक-रुझान (सेक्सुअल ओरीएन्टेशन), चिकित्सकीय रिकॉर्ड तथा उसका इतिहास एवं बायोमेट्रिक सूचना जैसे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोई भी आंकड़े उसी व्यक्ति की संपत्ति हैं जिससे वह संबंधित है।
- इसमें एक **स्वास्थ्य सूचना एक्सचेंज**, एक **राज्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण** तथा एक **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण** की परिकल्पना की गयी है। इनका संयुक्त दायित्व किसी व्यक्ति के डिजिटल स्वास्थ्य डेटा की निजता, गोपनीयता तथा सुरक्षा को संरक्षित करना होगा।

स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल डेटा का महत्व

- कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में हाल में हुई प्रगति का लाभ स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। स्मार्टफोन हज़ारों रोगियों तथा चिकित्सकों के हाथों में एक उन्नत साधन की भांति प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सही सॉफ्टवेयर से सज्जित होने पर वे गंभीर चिकित्सकीय समस्याओं के लिए आसान तथा लीक से हट कर समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे अधिक दवाएं लिखने से बचाव, रोगी के द्वारा स्वयं की देखभाल को बढ़ावा देना, जीवन शैली संबंधी सकारात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन देने तथा स्वास्थ्य समस्याओं के पूर्व संकेतों के सबंध में चेतावनी दे पाने में सहायता मिलेगी।
- वृहद् आंकड़ों के विश्लेषणात्मक उपयोग से समुदायों में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों तथा जीवन शैली की प्रवृत्तियों के बारे में जानने में सहायता मिलती है। उन परिवर्तनों के बारे में पूर्व चेतावनी मिलने से स्वास्थ्य अधिकारियों को अनुक्रिया का समय मिल जाता है। नई प्रौद्योगिकियाँ भी अकुशल तथा बेकार की प्रणालियों की पहचान कर स्वास्थ्य सेवा संबंधी लागत में महत्वपूर्ण कमी करती हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित विभिन्न सरकारी पहलें:

- **ई-हॉस्पिटल:** इसमें रोगियों की देखभाल, प्रयोगशाला संबंधी सेवाएं, कार्य-प्रगति पर आधारित दस्तावेजों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान, मानव संसाधन तथा चिकित्सकीय रिकॉर्ड का प्रबंधन सम्मिलित हैं।
- **नि:क्षय (NIKSHAY)**: यह एक वेब सक्षम तथा मामलों पर आधारित निगरानी एप्लीकेशन है। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम (RNTCP) की प्रभावी निगरानी के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा इसका विकास किया गया है। इसमें रोगियों से बात करने के लिए SMS सेवाएँ भी सम्मिलित हैं।
- **डिजिटल AIIMS:** इसे AIIMS, UIDAI तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) के बीच प्रभावी लिंकेज हेतु निर्मित किया गया है। AIIMS आने वाले प्रत्येक रोगी के आधार प्लेटफॉर्म पर एक विशिष्ट पहचान संख्या सृजित की जाती है।
- **मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (MCTS):** यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तथा टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाता है।

7.8. लक्ष्य (LaQshya) कार्यक्रम

(LaQshya Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

इस कार्यक्रम से सम्बंधित अन्य सम्बंधित तथ्य

- इसका लक्ष्य **प्रसव तथा प्रसवोत्तर अवधि में की जाने वाले देख-भाल को उन्नत** बनाएगा। यह स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का लाभ उठाने वाली सभी गर्भवती महिलाओं के लिए **सम्मानजनक मातृत्व देखभाल** (Respectful Maternity Care: RMC) का प्रावधान करता है। इससे मातृत्व तथा नवजात शिशु संबंधी रुग्णता और मृत्यु-दर में कमी आएगी।
- इसका लक्ष्य 18 महीनों के भीतर स्पष्ट परिणाम पाने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक हस्तक्षेप करना है।
- इसके अंतर्गत अवसंरचना उन्नयन, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्यकर्मियों का क्षमता निर्माण तथा प्रसव कक्ष में गुणवत्तापूर्ण प्रक्रियाओं में सुधार जैसी बहु-आयामी रणनीति को अपनाया गया है।
- इसे सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, जिला अस्पतालों, फर्स्ट रेफेरल यूनिट्स (FRU) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रसव कक्ष तथा मातृत्व संबंधी शल्य-कक्ष में गुणवत्ता में सुधार का मूल्यांकन, NQAS (राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक) के आधार पर किया जाएगा।
- मातृत्व संबंधी उत्तरजीविता में सुधार की बात की जाए तो भारत ने एक लम्बी दूरी तय कर ली है, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर (MMR) 2001-03 में 301 से घटकर 2011-13 में 167 की संख्या पर पहुँच गयी है। यह एक दशक में हुई 45% की प्रभावी कमी है।

7.9. सुविधा

(Suvidha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत 100% ओक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन को लांच करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

- इस अभियान का आरम्भ **औषध विभाग** द्वारा जनऔषधि केन्द्रों के नाम से जाने जाने वाले विशिष्ट केन्द्रों के माध्यम से जनता को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

ब्यूरो ऑफ़ फार्मा PSU ऑफ़ इंडिया (BPPI)

- इसे औषध विभाग के अंतर्गत सभी औषधीय CPSU's को मिला कर 2008 में स्थापित किया गया था।
- यह इन संगठनों के कार्य तथा संसाधनों को आगे बढाने में प्रभावी सहयोग प्रदान करता है।

सुविधा (Suvidha) के बारे में

- यह एक **वहनीय मूल्य वाला सैनिटरी नैपकिन** है। भारत की वंचित महिलाओं की **स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा सुविधा** को सुनिश्चित करने के लिए इसे आरम्भ किया गया है।
- यह **औषध विभाग** की एक पहल है तथा इसका विनिर्माण **BPPI** द्वारा किया जा रहा है।
- इसका शुभारम्भ विश्व महिला दिवस पर किया गया तथा यह वर्तमान में 3,200 जनऔषधि केन्द्रों पर उपलब्ध हैं।

महत्व

- **पहुँच-** यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहुँच में वृद्धि होगी। हालिया NFHS (2015-16) आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक दस में से चार महिलाएं रजोधर्म की अवधि में स्वच्छ सुरक्षा विधि नहीं अपनाती हैं।
- **प्रयोज्यता**- मेंसुरल हेल्थ अलायन्स इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, रजोधर्म संबंधी 13% अपशिष्ट को खुले स्थानों यथा नदियों, झीलों इत्यादि पर फेंक दिया जाता है; 10% अवशिष्ट को प्रसाधन कक्ष में डाला जाता है; 9% को जला दिया जाता है तथा; 8% को भूमि खोद कर दबा दिया जाता है।
- **रजोधर्म संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकताएं** – यह फंगल (कवक) इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रजोधर्म चक्र के दौरान प्रयुक्त अस्वच्छ सुरक्षा विधियों के परिणामस्वरूप होने वाले गर्भाशय कैंसर से सुरक्षा करेगा तथा साथ ही महिलाओं में इन्फर्टिलिटी (infertility) की सम्भावना को कम करेगा।

7.10. लैंगिक वेतन असमानता

(Gender Pay Disparity)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बैंक रिपोर्ट** ने कार्यस्थल पर भर्ती एवं वेतन, दोनों मामलों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये की ओर संकेत दिया।

मोन्स्टर सैलरी इंडेक्स (Monster Salary Index MSI), 2018

- इसके अनुसार, भारत में महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में 20% कम है।
- यद्यपि, लैंगिक वेतन अंतराल में 2016 के 24.8% में लगभग 5% की कमी आई है। साथ ही 3-5 वर्ष के अनुभव समूह में मामूली रूप से व्युत्क्रमित वेतन असमानता विद्यमान थी, जहां महिलाओं की आय पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी।

संबंधित डेटा

- वैश्विक स्तर पर 2017 में महिलाओं में बेरोजगारी दर 6.2% थी, जबकि पुरुष बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत थी।
- भारत में विद्यमान है:
  - **संपत्ति पर निम्न अधिकार:** महिलाएं कृषि श्रम में लगभग 40% योगदान करती हैं, परंतु मात्र 9% भूमि पर उनका स्वामित्व है।
  - **वित्तीय निर्भरता:** महिलाओं की लगभग आधी आबादी के पास स्वयं के उपयोग के लिए बैंक या बचत खाते नहीं हैं तथा 60% महिलाओं के नाम पर कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं है।
  - **निम्न आर्थिक गतिविधि:** सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान केवल 17% है, जबकि वैश्विक औसत 37% है।
  - **2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) सर्वेक्षण** में भी भारत की **महिला श्रमशक्ति भागीदारी** (**Female Labour Force Participation** -FLFP) दर को 131 देशों में 121वां स्थान दिया गया था।
  - **व्युत्क्रम रुझान (Reverse Trend):** हालांकि 2004 से 2011 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% की वृद्धि दर्ज हुई तथापि देश की श्रमशक्ति में महिला भागीदारी में वृद्धि होने के बजाय 35% से 25% तक की गिरावट आई थी।
  - **विश्व आर्थिक मंच** की **"ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017"** में भी भारत को अत्यंत निम्न, 108वां स्थान प्राप्त हुआ था।
  - **मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स, 2018 के अनुसार, भारत में महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में 20% कम है।**

शिक्षा में महिलाओं के दाखिलों में वृद्धि: कुछ शोधों के अनुसार, FLFP में हालिया गिरावट के लिए एक व्यावहारिक स्पष्टीकरण यह है कि हाल में माध्यमिक शिक्षा में विस्तार तथा भारत में तेजी से बदल रहे सामाजिक मानदंड के कारण कामकाजी आयु वर्ग की युवा महिलाएं (15 से 24 वर्ष) श्रमशक्ति में शीघ्र सम्मिलित होने के बजाय अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प चुन रही हैं।

VISION IAS

भारत में लैंगिक अंतराल समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम

संवैधानिक

- **DPSP के तहत अनुच्छेद 39(d):** इसके अनुसार, राज्य विशेष रूप से पुरुष एवं महिलाओं, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को निर्देशित करेगा।

न्यायिक

- ***रणधीर सिंह बनाम भारत संघ* तथा *गृह कल्याण केंद्र बनाम भारत संघ:*** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत संवैधानिक लक्ष्य है तथा इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तनीय है।

विधायी

- **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** इस अधिनियम का उद्देश्य पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक प्रदान करना तथा रोजगार एवं रोजगार के अवसरों से संबंधित सभी मामलों में लैंगिक आधार पर भेदभाव को रोकना है।
- प्रसव अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने हेतु 2017 में **मातृत्व लाभ अधिनियम** में संशोधन किया गया था।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 (SHW Act):** यह अधिनियम विशाखा दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने तथा महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- **अन्य कदम:** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता हेतु भारत सरकार की **मुद्रा योजना (MUDRA Scheme)** तथा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु **जन धन योजना** के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। मुद्रा योजना के तहत उधारकर्ताओं की कुल संख्या का लगभग 78% हिस्सा महिला उद्यमी हैं।

कामकाजी महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

- **कानूनी प्रतिबंध:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक अध्ययन के अनुसार, 143 अर्थव्यवस्थाओं में से लगभग 90% में कम से कम एक महत्वपूर्ण, लिंग-आधारित कानूनी प्रतिबंध विद्यमान है।
- **पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण:** 2011 के NSSO डेटा के अनुसार उच्च जातियों तथा उच्च आय वाले परिवारों की महिलाएं घर के बाहर कम काम करती हैं।
- **2012 के "औपचारिक क्षेत्र में लिंग वेतन असमानता" रिपोर्ट** के अनुसार, महिलाओं की आयु, कार्य अनुभव, शैक्षिक योग्यता एवं व्यावसायिक पदानुक्रम में वृद्धि के साथ वेतन में असमानता भी बढ़ती है।
- **देश में पक्षपातपूर्ण मानव पूंजी मॉडल,** जो कौशल, शिक्षा एवं अनुभव में लैंगिक अंतरों पर केंद्रित है।
- **कार्यस्थल असुरक्षा:** भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर 53.9% है।
- **अन्य चुनौतियां:** आकर्षक रोजगार विकल्प एवं आय सुरक्षा का अभाव, अपर्याप्त यात्रा एवं परिवहन सुविधाएं, लंबे समय तक काम करने वाली महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा, कार्यस्थल पर क्रैच सुविधा का अभाव, आदि।

आगे की राह

- महिलाओं के लिए बेहतर नौकरी के अवसर सृजित करने तथा श्रम कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए **श्रमशक्ति का औपचारीकरण**।
- **कौशल विकास:** महिलाओं में विपणन योग्य कौशल तथा बेहतर निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता हेतु व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण, जीवन कौशल एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम।
- मातृ अवकाश के बजाय **माता-पिता को अवकाश अनिवार्य** करने संबंधी कदम शिशु जन्म के पश्चात पुन: श्रमशक्ति का हिस्सा बनने में महिलाओं की सहायता करेगा तथा पुरुषों को शिशु की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- **कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम:** कॉर्पोरेट इंडिया को वेतन अंतराल को समाप्त करने, स्वस्थ कार्य संस्कृति को लेकर कर्मचारियों की धारणा को बदलने तथा समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक नीतियों को बढ़ाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

7.11. लिंग भेद्यता सूचकांक

(Gender Vulnerability Index - GVI)

सुर्खियों में क्यों

हाल ही में, बाल विकास एनजीओ 'प्लान इंडिया' द्वारा पहली बार लिंग भेद्यता सूचकांक (GVI) जारी किया गया।

मुख्य विशेषताएं

- इस सूचकांक का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं के आयामों को व्यापक रूप से समझना है।
- यह चार मानकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के संबंध में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करता है।
- नीति निर्माताओं की प्राथमिकताओं को चिह्नित करने में सहायता करने हेतु इस सूचकांक का उपयोग किया जा सकता है।
- अध्ययन का डेटासेट 170 संकेतकों पर आधारित था जिसके लिए डेटा जनगणना 2011 सहित सभी राज्यों में उपलब्ध है।
- गोवा, केरल तथा मिजोरम शीर्ष तीन स्थान प्राप्त राज्य हैं, जबकि बिहार, यूपी तथा दिल्ली निचले तीन स्थान प्राप्त राज्य हैं।

7.12. निर्भया कोष

(Nirbhaya Fund)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने 'सुरक्षित शहरों' के निर्माण के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत 2,919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

निर्भया कोष

- 2013 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा के बाद बालिका व महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये की निधि के साथ इसका गठन किया गया था।
- यह कोष आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रशासित है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा तथा अपराध के विरुद्ध निवारण प्रदान करने हेतु अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के पश्चात् त्वरित अनुक्रिया प्रणाली कार्यान्वित करना है।
- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद तथा लखनऊ जैसे 8 शहरों में यह पहल प्रारंभ की जाएगी।
- सुरक्षित शहरों की योजना इन शहरों के नगरपालिका तथा पुलिस आयुक्तों की सहमति एवं सहयोग से तैयार की गई है।
- राज्यों के साथ 60:40 अनुपात के लागत साझाकरण के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य निगरानी, जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा द्वीपों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना है।

7.13. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2018

(World Happiness Report 2018)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (United Nations Sustainable Development Solutions Network) द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी।

यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क

- यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में 2012 से जारी है।
- यह SDG व पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन सहित संधारणीय विकास के व्यावहारिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी निपुणता को संगठित करता है।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2018 के विषय में

- यह एक **वार्षिक प्रकाशन** है, जो देशों को उनकी **प्रसन्नता स्तर** के आधार रैंकिंग प्रदान करता है।.
- यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का **छठा संस्करण** है, जबकि प्रथम रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में **156 देशों को प्रसन्नता स्तर** के आधार पर तथा 117 देशों को उनके प्रवासियों की प्रसन्नता के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है।
- **कल्याण संबंधी मुख्य चर** हैं - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, उदारता एवं भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति।
- उपर्युक्त चरों के अतिरिक्त **इस वर्ष के सर्वेक्षण का मुख्य फोकस** देशों के भीतर एवं देशों के मध्य प्रवास है।

- उदारता, भ्रष्टाचार पर धारणा, जीवन में चयन करने की स्वतंत्रता, जीवन प्रत्याशा आदि में कम स्कोर के आधार पर **भारत को निम्न रैंक, 133वां स्थान प्रदान किया गया है।**
- यह पड़ोसी देशों चीन (86वें), पाकिस्तान (75वें) एवं नेपाल (101वें) से बहुत पीछे तथा सभी सार्क देशों से पीछे है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- नॉर्वे का स्थान लेते हुए फिनलैंड रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है, उसके पश्चात् डेनमार्क का स्थान है। सबसे दुखी देश बुरुंडी है तथा दूसरे स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है।
- दस सबसे प्रसन्न देश प्रसन्न आप्रवासियों वाले शीर्ष ग्यारह स्थानों में भी सम्मिलित हैं।
- सबसे प्रसन्न आप्रवासियों वाले देश सबसे धनी देश नहीं हैं। इसके बजाय श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक संतुलित सामाजिक एवं संस्थागत परिवेश वाले देश हैं।

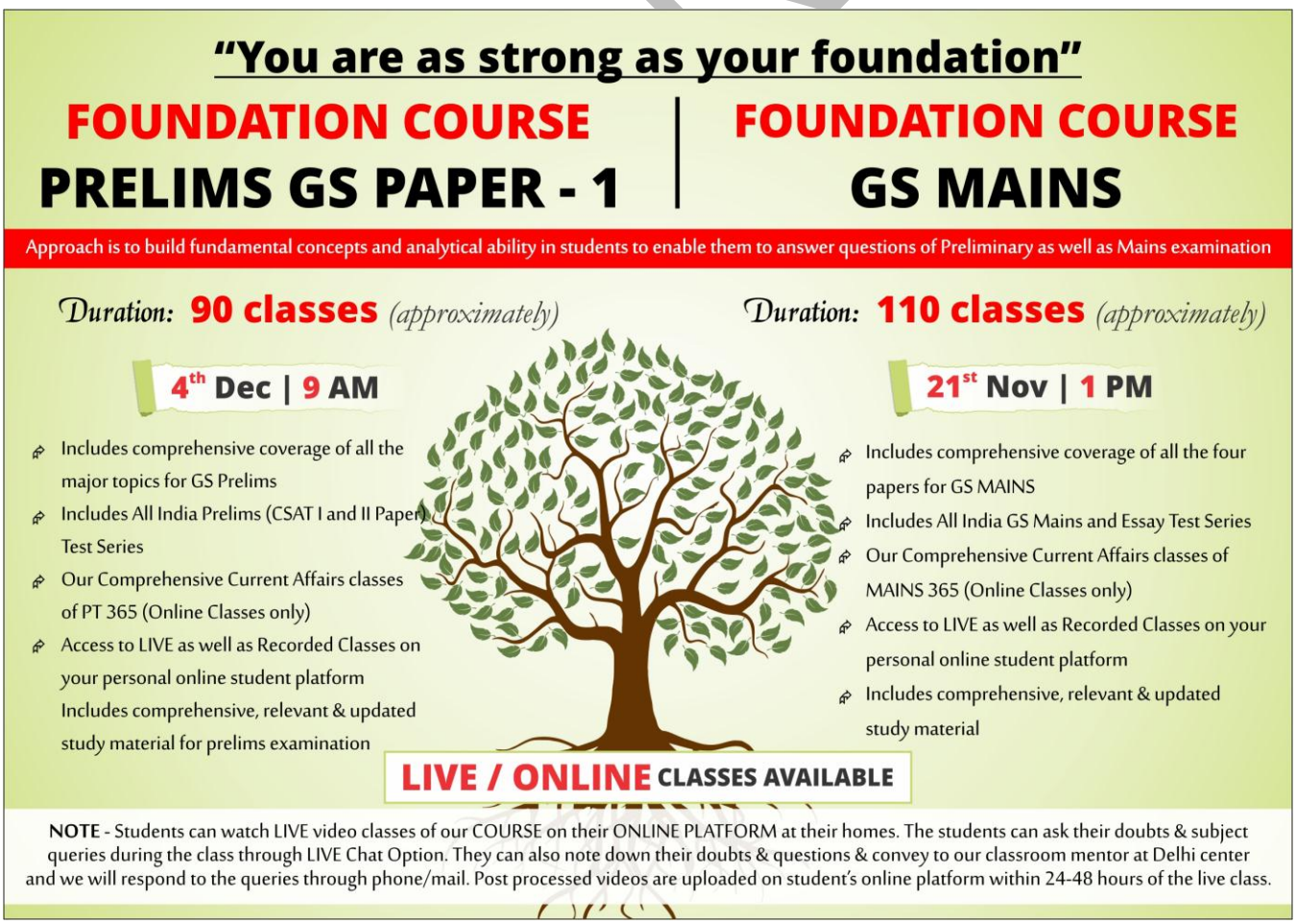

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1 सौरा चित्रकला

(Saora Paintings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में ओडिशा की 'सौरा' चित्रकला की मांग में वृद्धि देखने को मिली है।

सौरा चित्रकला

- सौरा चित्रकला एक प्रकार की **पारंपरिक भित्ति-चित्रकला** (दीवारों पर की जाने वाली) है। स्थानीय रूप से इसे **इडिताल** (Idital) कहा जाता है तथा इसके चित्रकारों को **इडितालमार (iditalmar)** के नाम से जाना जाता है।

सौरा चित्रकला की विशेषताएं

- इसका चित्रांकन **प्रतीकात्मक प्रारूपों और चित्रों** के रूप में किया जाता है, जिन्हें शैलीबद्ध रूप में अंकित किया जाता हैं।
- प्रत्येक चित्रकारी में एक **आयताकार फ्रेम** होता है और प्रकृति के **देवताओं एवं प्रतीकों** के चित्र होते हैं।
- **चित्रकारी का उद्देश्य:** देवताओं और पूर्वजों को प्रसन्न करना, बीमारियों को दूर रखना, उर्वरता में वृद्धि, मृतकों का सम्मान इत्यादि।
- **केंद्रीय विषय:** वस्तुतः इडिताल एक घर होता है जिसे एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन चित्रों को पट्टिकाओं जैसे एक वृत्त में रखा जाता है, जो त्रिकोणीय रूप में इडिताल के चारों ओर निर्मित होते हैं।

सौरा चित्रकला के बनावट की विधि:

- दीवारों पर चित्रकारी करने से पूर्व दीवारों को साफ किया जाता है और स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल मिट्टी से इसकी पुताई की जाती है तथा सफ़ेद रंग के रूप में पिसे हुए चावल के लेप का प्रयोग किया जाता है। इडितालमार, चित्रकारी पूर्ण होने तक 10 से 15 दिनों के लिए मात्र एक समय का भोजन ग्रहण करने संबंधी अनुष्ठान का पालन करते हैं।
- चित्रकारी के लिए, बांस की लकड़ी की एक कूची (ब्रश) बनाई जाती है। दिये से उत्पन्न कालिख को काले रंग के लिए तथा धूप में सुखाए गए चावल के पाउडर को सफ़ेद रंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन सभी को जल तथा औषधियों एवं जड़ों के रस के साथ मिश्रित कर एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है।

सौरा जनजाति

सौरा (इसे सोरा या लांजिया साओरा भी कहा जाता है) उन आदिवासी समुदायों में से एक हैं, जो **दक्षिणी ओडिशा** की वंशधारा नदी के पास स्थित सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करती हैं।

- नृजातीय रूप से ये लोग प्रोटो-आस्ट्रेलायड समूह से संबंधित हैं।
- ये लोग प्राचीन मुंडा भाषा की सौरा नामक एक उपभाषा बोलते हैं।
- सौरा अपने जीवन निर्वाह हेतु भूमि और वन पर निर्भर होते हैं तथा स्थानांतरित कृषि करते हैं।
- इनकी गणना ओडिशा के 13 विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों में की जाती है।

8.2. कुथियोट्टम

(kuthiyottam)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केरल स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स: KSCPCR) ने **कुथियोट्टम अनुष्ठान** के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है।

पृष्ठभूमि:

- **बाल अधिकारों का उल्लंघन करने और बच्चों की सहमति को ध्यान में न रखने** के कारण कुथियोट्टम अनुष्ठान पर्यवेक्षण (जाँच) के दायरे में रहा।

VISION IAS

- KSCPCR ने बाल अधिकारों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए 2016 में अलाप्पुझा जिले के चेट्टीकुलंगारा मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

कुथियोट्टम अनुष्ठान के बारे में:

- सामान्यत: कुथियोट्टम अनुष्ठान, केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में प्रतिवर्ष पोंगल त्यौहार के दौरान संपन्न होता है।
- पोंगल दिवस से पूर्व लगभग 1,000 बच्चे सात दिनों तक तपस्या करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बच्चे देवी के घायल सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इन बच्चों को कठोर अनुशासन का पालन करना होता है और उन्हें मंदिर के अंदर सात दिनों तक रहना पड़ता है। उन्हें एक पतला वस्त्र (लुंगी) पहनाया जाता है जिसे थोर्थु कहा जाता है।
- वे फ़र्श पर सोते हैं, अल्प मात्रा में भोजन करते हैं और दिन में तीन बार स्नान करते हैं। उन्हें देवी के समक्ष 1,008 बार दण्डवत् प्रणाम करना होता है।
- इस अनुष्ठान के अंतर्गत बच्चे के शरीर पर एक छोटे हुक की सहायता से छेद कर धागा बांधा जाता है जिसे देवी के साथ उसके बंधन का प्रतीक माना जाता है।
- इस अनुष्ठान को सम्पूर्ण केरल के विभिन्न मंदिरों में आयोजित किया जाता है। इसे राज्य के कई हिस्सों में चूरल मुरियल भी कहा जाता है।

पोंगल तमिलनाडु और केरल में फसल कटाई के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार है। इनमें सर्वाधिक विख्यात अट्टुकल पोंगल है। **इसे विश्व में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है।**

पोंगल का अर्थ है 'उबलना'। यह एक अनुष्ठान है जिसमें महिलाएं चावल, गुड़, नारियल और केले से बना हलवा तैयार करती हैं और इसे देवी को अर्पित करती हैं। यह अनुष्ठान केवल महिलाओं द्वारा संपन्न किया जा सकता है।

8.3. माधवपुर मेला

(Madhavpur Mela)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, प्रसिद्ध माधवपुर मेले में उत्तर-पूर्व के साथ पहला सांस्कृतिक एकीकरण देखने को मिला।

मेले के बारे में

- माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर-घेड में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है।
- गुजरात का माधवपुर ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ था।
- माधवपुर मेले का संबंध अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति से भी है। मिश्मी जनजाति पौराणिक राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मिणी को अपना पूर्वज मानती है।
- इस महोत्सव के दौरान, उत्तर-पूर्व से आये 150 लोगों के एक समूह ने रुक्मिणी के परिवार के प्रतिनिधि के रूप में मेले में भाग लिया।

8.4. नब कलेवर उत्सव

(Nabakalebar festival)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, **राष्ट्रपति** ने नवकलेवर उत्सव के अवसर पर संस्मरण सिक्कों के रूप में 1000 रुपए और 10 रूपए के सिक्के जारी किए।

इस उत्सव के बारे में:

- इस उत्सव का संबंध **पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चार देवताओं की** काष्ठ निर्मित मूर्तियों के सांकेतिक पुनर्निर्माण से है। यहाँ नव का आशय नये एवं कलेवर का आशय शरीर से है।
- जगन्नाथ संप्रदाय में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ निर्मित मूर्तियों का एक निश्चित अवधि के पश्चात् नवीनीकरण किया जाता है।
- एक उच्च तकनीकी व्यवस्था तथा रहस्यमयी विधि से आत्मा अथवा ब्रह्म को पुरानी मूर्तियों से नए शरीर में स्थानांतरित किया जाता है।
- नवकलेवर उत्सव 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है।
- इस उत्सव के दौरान वार्षिक रथयात्रा, नवकलेवर रथ यात्रा बन जाती है।

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1 नीतिशास्त्र और अंगदान

(Ethics and Organ Donation)

किसी जीवित दाता की सहमति से या मृत्यु के पश्चात् उसके रिश्तेदारों की सहमति के आधार पर कानूनी रूप से उसके अंगों को उसके शरीर से अलग किया जाना अंगदान कहलाता है। यह अंगदान या तो अनुसंधान या किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण के लिए हो सकता है। किडनी या लीवर जैसे कुछ अंग एवं ऊतकों को जीवित दाताओं द्वारा दान किया जा सकता है, जबकि अधिकांश अंगदान मृत्यु के पश्चात् ही किए जाते हैं।

अंग प्रत्यारोपण में सम्मिलित हितधारक:

- वह व्यक्ति जिसका अंग प्रत्यारोपित किया जा रहा है।
- व्यक्ति/संगठन जिसके लिए अंगदान किया जा रहा है।
- यदि दाता की मृत्यु हो चुकी है तो दाता का वह रिश्तेदार जो सहमति प्रदान कर रहा है।
- इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने वाला डॉक्टर।
- संपूर्ण समाज।

अंग प्रत्यारोपण में शामिल नैतिक मुद्दे:

- **न्याय बनाम आवंटन का लाभ (Justice versus benefit in allocation):** दाताओं की कमी के कारण यह प्रश्न उठता है कि अंगों को पहले किसे दान किया जाना चाहिए। क्या उसे दिया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बीमार है या जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है या उसे जिसे सर्वाधिक लाभ पहुँच सकता है या फिर सबसे अमीर व्यक्ति को? इन सब प्रश्नों के कारण एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है।
- **व्यक्तिगत मान्यताएं (Individual beliefs system):** मृत्यु के पश्चात् शरीर एवं उसके अंगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह न केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक कारणों से बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्व रखता है।
- **शरीर के अंगों का मौद्रीकरण (Monetizing body parts):** मौद्रिक आवश्यकताओं के लिए एक अंग का विक्रय वस्तुतः नैतिकता के साथ-साथ गरीब वर्गों के शोषण से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है। ईरान जैसे अनेक देशों में किडनी खरीदना कानूनी रूप से वैध है।
- **दबाव डालना (Coercion):** भारत में, ऑप्ट-इन सिस्टम (opt-in system) का पालन किया जाता है अर्थात् केवल इच्छुक दाता ही अपने अंगों को दान कर सकते हैं। लेकिन कई बार यह पाया जाता है कि परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए महिलाओं पर अपने अंगों को दान करने हेतु दबाव डाला जाता है।
- **गैर-सूचित अंगदान (Non-informed donation):** अंगों की तस्करी से संबंधित घटनाएं दाता की सूचित सहमति से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं।
- **अंगदान से संबंधित संभावित जोखिम:** कभी-कभी दाताओं को संभावित जोखिमों और बाद में पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान नहीं होता है। अतः दाता के स्वास्थ्य को अंग प्राप्तकर्ता के ऊपर वरीयता दी जानी चाहिए।
- **गैर-सार्वभौमिकता (Non-universality):** अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास एवं उपयोग काफी महंगा होता है तथा यह कई लोगों की आर्थिक पहुँच से बाहर है।

उपर्युक्त मुद्दों के बावजूद, अंगदान के अनेक सकारात्मक पहलू भी हैं:

- **परोपकारिता (Altruism):** अंगदान करना दूसरों को मूल्यवान वस्तु प्रदान करने का एक निःस्वार्थ कार्य है।
- **जीवन को बचाना (Saving of life):** मृत या मृत्युकालिक के अंगदान से प्राप्तकर्ता (receiver) को एक नया जीवनदान प्राप्त होता है।

हालांकि, अंगदान में शामिल जटिल नैतिक मुद्दों के कारण सरकार को निश्चित रूप इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि रोगी और समाज को होने वाला लाभ, दाता को होने वाली हानि से अधिक हो तो लोगों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परोपकारी अंगदान की दिशा में कदम बढ़ाना बेहतर है क्योंकि यह अंग तस्करी के साथ-साथ गरीबी के कारण अंगों को बेचने वाले लोगों पर भी नियंत्रण रख सकता है। यह ज्ञात करने के लिए कि दाता की सहमति दबाव आधारित है या वास्तविक, जीवित दाता का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाना चाहिए। एक ऑप्ट-आउट सिस्टम (opt-out system) भी अपनाया जा सकता है जहां जो लोग अंगदान करने के इच्छुक नहीं हैं वे इस संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें।

VISION IAS

9.2 नीतिशास्त्र एवं वैन्डलिज़म

(Ethics And Vandalism)

वैन्डलिज़म (जानबूझकर तोड़-फोड़ करना) एक प्रकार का अपराध है। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को उसके स्वामी की अनुमति के बिना जानबूझकर नष्ट या विकृत करता है तो उसे वैन्डलिज़म कहते हैं।

वैन्डलिज़म से संबंधित कृत्यों के अंतर्गत दुकानों को जलाना, वाहनों की तोड़-फोड़ करना, खिड़कियां तोड़ना, सूचनापट्ट को विकृत करना या सार्वजनिक भवनों, रेलवे लाइनों आदि को नष्ट करने जैसे उपद्रव या गुंडागर्दी के कार्य सम्मिलित हो सकते हैं। हाल के दिनों में वैन्डलिज़म के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जैसे- लेनिन और पेरियार की मूर्तियों को नष्ट करना, जाट आंदोलन के दौरान रेलवे लाइनों को नष्ट करना, पद्मावती फिल्म के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बसों को आग लगाना आदि। भारत में वैन्डलिज़म को एक आपराधिक कृत्य माना गया है जिसे **लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of damage to Public Property Act, 1984)** और **IPC की धारा 425** के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस धारा में इस कृत्य को 'रिष्टि/कुचेष्टा (Mischief)' के रूप में परिभाषित किया गया है।

वैन्डलिज़म से संबंधित नैतिक मुद्दे

- **सामाजिक सामंजस्य में कमी:** इससे समाज में सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। अम्बेडकर, पेरियार जैसे नेताओं की मूर्तियों को नष्ट करना या बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटनाएं समाज को जाति और धर्म के आधारों पर विभाजित करती हैं। ऐसे कृत्यों के प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं।
- **सार्वजनिक संपत्ति का विनाश:** वैन्डलिज़म के कृत्यों के कारण सामान्यत: सार्वजनिक संपत्ति को अधिक नुकसान पहुंचता है। इसके कारण परोक्ष रूप से करदाताओं के धन की क्षति होती है।
- **अविवेकपूर्ण और स्थायी क्षति:** इस प्रकार के कृत्यों से निहित उद्देश्य की प्राप्ति हो भी सकती है या नहीं भी। लेकिन इसके कारण स्थायी क्षति होती है, उदाहरण के लिए जाट आरक्षण आंदोलन ने समग्र व्यवस्था को कई दिनों तक पंगु बना दिया था और सार्वजनिक संपत्ति का अविवेकपूर्ण विनाश हुआ, तथापि परिणाम प्रदर्शनकारियों की इच्छानुसार प्राप्त नहीं हुए।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों और अन्य प्रभावित लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पद्मावती फिल्म के रिलीज से संबंधित हाल की वैन्डलिज़म की घटनाओं ने स्कूल जाने वाले बच्चों के अबोध मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाला। वैन्डलिज़म के इस प्रकार के कृत्यों के दौरान कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गयी और रास्ते में आने-जाने वालों को प्रताड़ित किया गया।
- **किसी स्थान की शुचिता (sanctity) पर प्रभाव:** वैन्डलिज़म के कारण बहुमूल्य कला और कला रूपों का विनाश हो सकता है। यह प्राचीन अभिलेखों की कलात्मक सौन्दर्यता को हानि पहुँचाता है और स्मारकों को स्थायी रूप से नष्ट कर देता है। स्मारकों की दीवारों पर लिखना, मूर्तियों को नष्ट करना, तम्बाकू पदार्थों को थूकना आदि इस प्रकार के वैन्डलिज़म के उदाहरण हैं।
- **आक्रामकता (aggression) को वैधता:** क्योंकि सामान्यत: इस प्रकार के कृत्यों में सजा नहीं हो पाती और इस प्रकार के कृत्यों को प्राय: समूहों में किया जाता है।
- **व्यवस्था में विश्वास का कम होना:** जब सरकारी तंत्र तत्काल ऐसे कृत्यों को रोकने में सक्षम नहीं होता है और बाहुबल द्वारा आलोचकों की आवाज को दबा दिया जाता है तो लोगों का व्यवस्था में विश्वास कम हो जाता है।
- **ख़राब मूल्यों की अभिव्यक्ति:** इस प्रकार के कृत्य पूरे समाज और शिक्षा प्रणाली की विफलता को दर्शाते हैं, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि वे सम्मान, करुणा, शांति और वार्ताओं के माध्यम से मुद्दों के समाधान जैसे मूलभूत मूल्यों को प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं।
- **धैर्य और सहिष्णुता की कमी:** यह न्याय प्राप्त करने या उचित चैनलों के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने के सन्दर्भ में धैर्य की कमी को दर्शाता है।

वैध कारणों के लिए भी वैन्डलिज़म को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह न्यायिक प्रणालियों और संवैधानिक प्रावधानों में विश्वास की कमी, अवैज्ञानिक मनोवृति तथा विरासत के प्रति अनादर की भावना को प्रदर्शित करता है। इसके कारण समाज में आतंक एवं अराजकता का माहौल बनता है तथा यह लोगों की निजता, चुनने और आवागमन के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

VISION IAS

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. महिला उद्यमिता पोर्टल और उद्यम सखी पोर्टल

(Women Entrepreneurship Portal And Udyam Sakhi Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर **नीति आयोग** द्वारा महिला उद्यमिता पोर्टल (WEP) तथा **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** द्वारा **उद्यम सखी** पोर्टल का शुभारम्भ किया गया।

महिला उद्यमिता पोर्टल से संबंधित तथ्य

- यह लैंगिक भेदभाव से मुक्त एक सक्रिय उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यह व्यावसायिक गतिविधियों से अवकाश लेने वाली महिलाओं सहित सभी आयु वर्गों की महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और साथ ही उन महिलाओं को "नया भारत" (New India) के निर्माण के लिए अग्रिम पंक्ति के रूप में तैयार करेगा।
- यह 'DICE जिलों' द्वारा स्थापित 10 करोड़ रुपये के फंड के माध्यम से संभावित इक्विटी निवेश तथा CRISIL द्वारा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के क्रेडिट मूल्यांकन जैसी सेवाओं के माध्यम से अवसर प्रदान कर **महिला उद्यमियों की संख्या में व्यापक वृद्धि** करेगा।
- WEP के कुछ उद्देश्यों में इंडस्ट्री लिंकेज, मौजूदा योजनाओं की व्यापक पहुँच, मुद्दों की पहचान और उनका समाधान, महिला उद्यमियों के पंजीकरण हेतु एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं।

उद्यम सखी पोर्टल से संबंधित तथ्य

- इस पोर्टल के उद्देश्य हैं:
  - **सामाजिक असमानताओं** को समाप्त करने हेतु **महिलाओं को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर** बनाने के लिए **अल्प लागत वाले उत्पादों एवं सेवाओं** पर केन्द्रित व्यावसायिक मॉडलों का निर्माण करना; तथा
  - **सामाजिक उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करना।**
- यह इंटरप्रेन्योरियल लर्निंग टूल्स (उद्यमिता अधिगम उपकरणों), इन्क्यूबेशन सुविधाओं, निधि संग्रहण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सलाहकारों की उपलब्धता, वन-टू-वन निवेशक सम्मेलन, बाजार सर्वेक्षण सुविधा एवं तकनीकी सहयोग हेतु सहायता प्रदान करेगा।
- इस पहल को **मेक इन इंडिया** और **स्टार्ट अप इंडिया** पहलों के साथ समन्वित कर दिया गया है। यह पहल भारत में लगभग 8 मिलियन महिला उद्यमियों को लाभान्वित करेगी।

10.2. अतुल्य भारत 2.0 अभियान

(Incredible India 2.0 Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **पर्यटन मंत्रालय** ने अतुल्य भारत 2.0 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण और संभावित पर्यटक बाजार (पोटेंशियल सोर्स मार्केट) (वे देश जहाँ से सर्वाधिक संख्या में पर्यटकों के आने की सम्भावना होती है) में **देश के विभिन्न गंतव्य स्थलों तथा पर्यटन उत्पादों का प्रचार करना है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- अतुल्य भारत अभियान की संकल्पना **सर्वप्रथम 2002 में की गयी थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य देश की एक विशिष्ट पहचान का सृजन करना है।**
- इस अभियान ने सफलतापूर्वक भारत को एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित किया है। इसके फलस्वरूप प्रथम वर्ष में ही पर्यटकों की संख्या में 16% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी।
- नए अभियान का लक्ष्य **विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या (टूरिज्म ट्रैफिक) को दोगुना करना है।**
- यह अभियान दुनिया भर में सामान्य प्रचार के बजाये **विशिष्ट बाजार में प्रचार संबंधी योजनाओं, सामग्री सृजन और विषयगत रचनात्मकताओं के उपयोग** की ओर एक बदलाव को दर्ज करेगा।
- वनस्पति और जंतुओं के प्रचार के अतिरिक्त **आध्यात्मिक, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर्यटन पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।**

VISION IAS

10.3. राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय

(National Virtual Library)

सुर्खियाँ में क्यों?

- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय (नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया) का शुभारम्भ किया।

भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय के बारे में

- यह पुस्तकों, दस्तावेजों तथा विभिन्न विषयों के ऑडियो-विज़ुअल संग्रह का एक **बहु-भाषी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** होगा।
- यह **राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (National Mission on Library: NML)** का एक भाग है।
- यह प्लेटफार्म सामान्य व्यक्तियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा संपादन और सहयोग हेतु स्वतंत्र रूप से सुलभ होगा। इस प्रकार इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल (यूजर फ्रेंडली) बनाया जाएगा।
- इस परियोजना हेतु अन्य सहभागी संस्थाओं में शामिल हैं- IIT मुंबई, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालय (IGNOU), राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता तथा कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

- यह सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिकीकृत करने और डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है।
- इसकी स्थापना **राष्ट्रीय ज्ञान आयोग** की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी।
- यह योजना निम्नलिखित चार घटकों को सम्मिलित करती हैं:
  - नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया (NVLI) का सृजन,
  - NLM मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना,
  - पुस्तकालयों का मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, और
  - क्षमता निर्माण।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) के बारे में

- **C-DAC,** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है।
- इसकी परियोजनाओं में सुपर कंप्यूटर परम (PARAM) एवं GIST (ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी) समूह की स्थापना के साथ इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग सॉल्यूशन्स आदि शामिल हैं।

10.4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क सम्मेलन

(International Competition Network Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग** द्वारा **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नेटवर्क (ICN)** के 17वें वार्षिक सम्मेलन, 2018 की मेजबानी की गयी।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) की स्थापना *प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002* के तहत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन हेतु की गयी।
- यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है।
- **उद्देश्य:**
  - प्रतिस्पर्द्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रथाओं को रोकना;
  - बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें बनाए रखना;
  - उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; तथा
  - व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- ICN एक अनौपचारिक नेटवर्क है जो 125 अधिकार-क्षेत्रों से 138 प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकरणों को शामिल करता है।
- ICN सम्पूर्ण विश्व में प्रतिस्पर्द्धा प्रवर्तन के लिए श्रेष्ठ मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रियात्मक और वास्तविक अभिसरण हेतु प्रस्ताव तैयार करता है तथा सम्पूर्ण विश्व में सदस्य एजेंसियों, उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्थाओं के लाभ हेतु प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- भारत ने पहली बार ICN के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत ने वर्ष 2009 में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (ICN) की सदस्यता ग्रहण की थी।

10.5. केरल का एनर्जी-पॉजिटिव कैंपस

(Kerala's Energy-Positive Campus)

- एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (EMC) ने त्रिवेंद्रम के श्रीकार्यम में अवस्थित अपने एनर्जी-पॉज़िटिव कैंपस के लिए वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त की है। EMC, केरल सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
- "**द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017:** टुवर्ड ए जीरो-एमिशन, इफिशियन्ट एंड रिज़िलियंट बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर" ने इसे भवनों में ऊर्जा-दक्षता हेतु मुख्य प्रौद्योगिकियों के परिनियोजन में नवीनतम उपलब्धियों की सूची में स्थान दिया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन **यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP)** द्वारा किया जाता है।
- वैश्विक स्तर पर पांच अन्य परियोजनाओं के साथ इस सूची में स्थान प्राप्त करने वाली यह भारत की एकमात्र परियोजना है।

10.6. कड़कनाथ

(Kadaknath)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मध्य प्रदेश** को कड़कनाथ (काले पंखों वाला मुर्गा) नामक एक मुर्गे की प्रजाति के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ।

संबंधित तथ्य

- यह प्रजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के जनजातीय जिले झाबुआ में पायी जाती है।
- दंतेवाड़ा में इसकी सफल प्रजनन परियोजना के पश्चात् इस मुर्गे पर छत्तीसगढ़ ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया था, परन्तु इसे अस्वीकृत कर दिया गया।
- स्वादिष्ट मांस, निम्न कोलेस्ट्रॉल तथा प्रोटीन की उच्च मात्रा के कारण कड़कनाथ की अत्यधिक मांग है।
- GI टैग यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अन्य व्यक्ति अब किसी दूसरे काले मुर्गे को बेचने के लिए कड़कनाथ नाम का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यह उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।

[GI टैग के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण हेतु Vision IAS करेंट अफ़ेयर्स का नवम्बर, 2017 अंक देखें।]

10.7.प्रित्ज्कर पुरस्कार

(Pritzker Prize)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बालकृष्ण वी.दोषी प्रतिष्ठित प्रित्ज्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्हें यह पुरस्कार निम्न लागत वाले आवासों के निर्माण के अभिनव कार्य के लिए प्रदान किया गया।

बालकृष्ण वी.दोषी के बारे में

- अहमदाबाद के मूल निवासी बालकृष्ण दोषी पेशे से एक वास्तुकार एवं शिक्षक हैं।

- इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने अहमदाबाद में अनेक संस्थाओं, जैसे- वास्तु-शिल्प फाउंडेशन, संगथ (Sangath) स्टूडियो, स्कूल ऑफ़ आर्किटेक्चर इत्यादि की स्थापना की है।
- ये चंडीगढ़ और अहमदाबाद में **ली कार्बुजिए** की परियोजनाओं से भी संबंधित हैं।

प्रित्ज्कर पुरस्कार के बारे में

- प्रित्ज्कर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी जीवित वास्तुकार को उसकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को वास्तुशिल्प के नोबेल तथा इस व्यवसाय के सर्वोच्च सम्मान के रूप में भी जाना जाता है।
- शिकागो के प्रित्ज्कर परिवार ने अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की थी ।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत एक लाख डॉलर की राशि तथा एक कांस्य पदक प्रदान किया जाता है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS